यूको पटना दर्पण

पटना अंचल की छमाही गृह पत्रिका (यूको परिवार हेतु)

अंक-6

वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिंदी

सजग बनें, सुरक्षित रहें

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

हमारे मुखपृष्ठ के बारे में

महाबोधि मंदिर, बोधगया — ज्ञान, जागरूकता और मानव कल्याण का वैश्विक प्रतीक

स्थान: बोधगया (बिहार)

इस विशेषांक के मुखपृष्ठ पर बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर महाबोधि मंदिर, बोधगया का मनोहारी चित्र प्रकाशित किया गया है। यह विश्वविख्यात मंदिर भारत की प्राचीन ज्ञान-परम्परा, शांति, करुणा और आत्मबोध का अनुपम प्रतीक है। इसी पावन स्थल पर राजकुमार सिद्धार्थ ने कठोर साधना के उपरान्त बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और भगवान बुद्ध के रूप में समस्त मानवता को सत्य, अहिंसा, करुणा तथा मध्यम मार्ग का संदेश दिया। आज यह स्थल विश्वभर के करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रेरणा का केंद्र है तथा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है।

महाबोधि मंदिर केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर करने की भारतीय परम्परा का जीवंत प्रतीक है। यह हमें स्मरण कराता है कि सही ज्ञान व्यक्ति को विवेक प्रदान करता है, सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है।

यूको बैंक, पटना अंचल की इस छमाही गृह पत्रिका का विशेषांक "वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी" इसी ज्ञान-परम्परा को आधुनिक संदर्भों में आगे बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है। आज के डिजिटल और तीव्र गति से बदलते आर्थिक परिवेश में वित्तीय साक्षरता केवल बैंकिंग का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। जब व्यक्ति बचत, निवेश, ऋण, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, तभी वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाता है।

उपभोक्ता संरक्षण इस जागरूकता का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है। बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षित लेन-देन, ग्राहक अधिकारों का सम्मान तथा समयबद्ध शिकायत निवारण वित्तीय प्रणाली में विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता होता है, और सुरक्षित उपभोक्ता ही सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनता है।

इन उद्देश्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में हिन्दी की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जनसामान्य की भाषा होने के कारण हिन्दी वित्तीय जानकारी को सरल, सहज और प्रभावी रूप में जन-जन तक पहुँचाती है। यही कारण है कि यूको बैंक राजभाषा हिन्दी के संवर्धन के साथ-साथ वित्तीय समावेशन और ग्राहक जागरूकता को भी समान प्राथमिकता प्रदान करता है।

महाबोधि मंदिर का चयन इस विशेषांक के मुखपृष्ठ के लिए इसलिए भी सार्थक है कि यह ज्ञान, जागरूकता, आत्मविश्वास और मानव कल्याण का शाश्वत संदेश देता है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने ज्ञान के प्रकाश से मानवता को नई दिशा प्रदान की, उसी प्रकार वित्तीय साक्षरता नागरिकों को आर्थिक विवेक, उपभोक्ता संरक्षण उन्हें सुरक्षा और हिन्दी उन्हें सहज संवाद का माध्यम प्रदान करती है।

इसी संदेश के साथ प्रस्तुत है यूको बैंक, पटना अंचल की यह छमाही गृह पत्रिका—एक ऐसा प्रयास, जो ज्ञान को जागरूकता में, जागरूकता को सुरक्षा में और सुरक्षा को समृद्धि में रूपांतरित करने की दिशा में समर्पित है।

सभी स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी रचनाएँ यथा कविता, बैंकिंग संबंधी लेख, बैंकिंग समसामयिक घटनाक्रम या उत्कृष्ट कार्य संबन्धित जानकारी व तस्वीर पटना अंचल की गृह-पत्रिका में प्रकाशित कराने हेतु भेजें । शाखा प्रमुखों से निवेदन है कि उनकी शाखाओं में होने वाले कार्यक्रमों, ग्राहक बैठक, उच्च-अधिकारियों के दौरों की रिपोर्टिंग व तस्वीर अंचल कार्यालय को भेजें ताकि इसे पत्रिका के अगले अंक में शामिल किया जा सके ।

संपादक मण्डल

संरक्षक

श्री मोतीलाल बानोत

उप महाप्रबंधक व अंचल प्रमुख

प्रधान संपादक

श्री श्रीकांत सिंह

सहायक महाप्रबंधक व उप-अंचल प्रमुख

परामर्श मण्डल

श्री रोहन कुमार, मुख्य प्रबन्धक

श्री देवेंद्र कुमार, मुख्य प्रबन्धक

श्री मैनाक चटर्जी, मुख्य प्रबन्धक

संपादक

श्रवण कुमार मिश्रा

वरिष्ठ प्रबन्धक (राजभाषा)

संपादकीय पता

यूको बैंक

राजभाषा विभाग,

अंचल कार्यालय, पटना

मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, पटना

ई-मेल : zopatna.ol@uco.bank.in

अस्वीकरण : पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार संबंधित रचनाकारों के निजी विचार हैं; उनसे यूको बैंक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	अंचल प्रमुख का संदेश	2
2	उप अंचल प्रमुख का संदेश	3
3	मुख्य प्रबन्धक का संदेश	4
4	मुख्य प्रबन्धक का संदेश	5
5	मुख्य प्रबन्धक का संदेश	6
6	मुख्य प्रबन्धक का संदेश	7
7	संपादकीय	8
8	यूको बैंक का 84वाँ स्थापना दिवस	9
9	बाढ़ में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ	10
10	राजगीर में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ	11
11	यूको बैंक ने बगहा में खोली नई शाखा	12
12	गणतन्त्र दिवस समारोह	13
13	कार्यपालक निदेशक का त्रि-दिवसीय पटना दौरा	14
14	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का गरिमामय आयोजन	16
15	व्यंग्य : ओटीपी महाराज की जय	17
16	व्यंग्य : अंगूठा छाप प्रोफेसर	18
17	सरल हिन्दी में बैंकिंग—समावेशन की कुंजी	19
18	डिजिटल भुगतान और उपभोक्ता सुरक्षा	21
19	ग्रामीण भारत में बैंकिंग जागरूकता की भूमिका	23
20	वित्तीय समावेशन और सामाजिक परिवर्तन	25
21	स्वयं सहायता समूह - सामुदायिक सहयोग और विश्वास	27
22	राजभाषा ज्ञान प्रश्नावली	29
23	छवि संग्रह	30
24	यूको बैंक :: समाचार पत्रों में	31
25	वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा	32
26	लघु कथा : एक क्लिक का भरोसा	34
27	प्रेरक प्रसंग : एक छोटी-सी पहल	35
28	ज्ञान-कोष : डिजिटल बैंकिंग शब्दावली	36
29	बैंकिंग डायरी : एक हस्ताक्षर की समझ	37
30	भाषा-सरोकार : मैथिली : वित्तीय साक्षरता आ उपभोक्ता संरक्षण	39
31	भाषा-सरोकार : मैथिली : महिला आ वित्तीय सशक्तिकरण	41
32	भाषा-सरोकार : भोजपुरी : जागरूकता के उजाला	43
33	आत्मीय संबंध : आख़िरी डिब्बा	45
34	उपन्यास की समीक्षा : तमस	46
35	बैंकिंग उपभोक्ता अधिकार	48
36	वित्तीय साक्षरता : जागरूक समाज की आधारशिला	50
37	काव्य माला	51
38	डर का आकार	52
39	वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी	54

अंचल प्रमुख का संदेश

प्रिय साथियो,

"यूको पटना दर्पण" के इस अर्ध-वार्षिक विशेषांक का विषय—**वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी**—समय की आवश्यकता और हमारी संस्थागत प्रतिबद्धता, दोनों का सशक्त प्रतिबिंब है। बैंकिंग केवल लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है। अतः हमारा दायित्व है कि हम वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ वित्तीय जागरूकता का भी व्यापक प्रसार करें।

डिजिटल परिवेश में बैंकिंग सुविधाएँ अधिक सुलभ हुई हैं, किन्तु इसके साथ सावधानी और सजगता भी अनिवार्य हो गई है। उपभोक्ता संरक्षण की भावना तभी साकार होती है, जब ग्राहक अपने अधिकारों, सुरक्षा उपायों और शिकायत निवारण प्रणाली से परिचित हो। इस दिशा में दिशा-निर्देशों और ग्राहक हितों की सुरक्षा हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं। हमारा प्रयास है कि इन प्रावधानों की जानकारी सरल और प्रभावी रूप में प्रत्येक ग्राहक तक पहुँचे।

हिन्दी, जो व्यापक जनसमुदाय की भाषा है, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सेतु का कार्य करती है। जब जानकारी सहज और समझने योग्य भाषा में उपलब्ध होती है, तो विश्वास और सहभागिता दोनों सुदृढ़ होते हैं। इस विशेषांक के माध्यम से हमने वित्तीय साक्षरता को जन-आंदोलन का रूप देने का विनम्र प्रयास किया है।

नए वित्तीय वर्ष 2026–27 में हमें सुदृढ़ रणनीति, समन्वय तथा ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीम अपनी प्रतिबद्धता, नवाचार और परिश्रम के बल पर न केवल सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगी, बल्कि अंचल को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी।

मुझे विश्वास है कि यह अंक हमारे यूकोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आइए, हम सब मिलकर सुरक्षित बैंकिंग, जागरूक उपभोक्ता और सशक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ।

शुभकामनाओं सहित,

मोतीलाल बनोत
अंचल प्रमुख

उप अंचल प्रमुख का संदेश

प्रिय साथियो,

अंचल की छमाही गृह पत्रिका "यूको पटना दर्पण" के इस विशेषांक के माध्यम से आप सभी से संवाद स्थापित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह पत्रिका हमारे यूको परिवार की रचनात्मकता, ज्ञान-साझेदारी और संस्थागत प्रतिबद्धता का प्रभावी मंच बन चुकी है। प्रत्येक अंक अपने विषय की सार्थकता के साथ कर्मचारियों की प्रतिभा और सकारात्मक सोच को अभिव्यक्ति प्रदान करता है।

इस बार का विशेषांक **"वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी"** अत्यंत सामयिक एवं प्रासंगिक है। आज बैंकिंग केवल वित्तीय लेन-देन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जनविश्वास, पारदर्शिता, सुरक्षा और उत्तरदायित्व पर आधारित एक व्यापक सेवा व्यवस्था बन चुकी है। डिजिटल बैंकिंग के तीव्र विस्तार ने ग्राहकों को सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं, वहीं सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार, वित्तीय जागरूकता तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजगता की आवश्यकता भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऐसे समय में बैंक की यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह ग्राहकों को जागरूक, सक्षम एवं आत्मविश्वासी बनाए। डिजिटल उत्पादों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना, ग्राहकों में वित्तीय अनुशासन एवं जागरूकता का प्रसार करना तथा उपभोक्ता संरक्षण के प्रति उनकी समझ को सुदृढ़ करना भी हमारी प्राथमिकताओं में सम्मिलित होना चाहिए।

हिन्दी हमारी राजभाषा होने के साथ-साथ जनसामान्य से सहज संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम भी है। सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक हिन्दी के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय जानकारी को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। इससे न केवल वित्तीय समावेशन को बल मिलेगा, बल्कि ग्राहक और बैंक के बीच विश्वास का संबंध भी और अधिक सुदृढ़ होगा।

मुझे विश्वास है कि हम सभी अपने सामूहिक प्रयास, समर्पण, सकारात्मक सोच और नवाचार की भावना के साथ बैंक के उद्देश्यों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सफल होंगे। आइए, वित्तीय रूप से जागरूक, सुरक्षित और सशक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ तथा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा की परंपरा को और अधिक मजबूत बनाएँ।

आप सभी को उज्ज्वल भविष्य एवं सफल वित्तीय वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

श्रीकान्त सिंह
उप अंचल प्रमुख

मुख्य प्रबन्धक का संदेश

प्रिय सहकर्मियों,

किसी भी बैंक की सफलता केवल उसके व्यवसायिक आँकड़ों से नहीं आँकी जाती, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली की सुदृढ़ता, प्रक्रियाओं की स्पष्टता और जिम्मेदार कार्यसंस्कृति से भी परिलक्षित होती है। इस संदर्भ में ऋण प्रबंधन और अनुपालन ऐसे महत्वपूर्ण आधार हैं, जो संस्था को स्थायित्व प्रदान करते हुए उसकी विश्वसनीयता को निरंतर सशक्त बनाते हैं।

ऋण संचालन के क्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है, जहाँ वितरण के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए। खातों की नियमित समीक्षा, समय पर अनुवर्तन, सतर्क निगरानी तथा दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित करना हमें संभावित जोखिमों से बचाते हुए बैंक की परिसंपत्तियों को सुदृढ़ बनाए रखने में सहायक होता है। इसी प्रकार, अनुपालन के प्रति सजगता हमारे कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को स्थापित करती है, जो एक स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था की पहचान है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अंचल द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट कारोबारी प्रदर्शन हम सभी के लिए गर्व का विषय है। यह उपलब्धि टीम के समर्पण, प्रतिबद्धता और समन्वित प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस सराहनीय उपलब्धि के लिए आप सभी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। नए वित्तीय वर्ष 2026–27 में हमें इसी ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए कार्य की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और परिचालन उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने हैं। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर आने वाले समय में और भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करेंगे।

राजभाषा हिन्दी का प्रभावी उपयोग हमारी कार्यप्रणाली को अधिक सहज और जनोन्मुख बनाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम इसे अपने दैनिक कार्यों में और अधिक प्रोत्साहित करें, जिससे संवाद की सरलता और प्रभावशीलता बनी रहे। आइए, हम सब मिलकर अनुशासन, पारदर्शिता और उत्कृष्टता के मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए नए वर्ष को सफलता और उपलब्धियों से परिपूर्ण बनाएं।

आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

रोहन कुमार
मुख्य प्रबन्धक

मुख्य प्रबन्धक का संदेश

प्रिय सहकर्मियों,

आज के परिवर्तित बैंकिंग परिवेश में खुदरा बैंकिंग केवल वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता का माध्यम नहीं, बल्कि ग्राहकों के सपनों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को साकार करने की एक सशक्त कड़ी बन चुकी है। आवास, वाहन, शिक्षा, व्यक्तिगत ऋण तथा अन्य खुदरा ऋण योजनाएँ समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्राहक को उचित मार्गदर्शन, पारदर्शी जानकारी और उत्तरदायी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना भी है।

"**वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी**" विषय पर आधारित इस विशेषांक का प्रकाशन अत्यंत प्रासंगिक है। वित्तीय रूप से जागरूक ग्राहक ही सही वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होता है। जब ग्राहक ऋण की शर्तों, ब्याज दरों, पुनर्भुगतान व्यवस्था, डिजिटल सुविधाओं तथा अपने अधिकारों और दायित्वों को भली-भाँति समझता है, तब बैंक और ग्राहक के बीच विश्वास का संबंध और अधिक सुदृढ़ होता है। यही विश्वास दीर्घकालिक एवं स्वस्थ बैंकिंग संबंधों की आधारशिला है।

खुदरा बैंकिंग के निरंतर विस्तार के साथ यह आवश्यक है कि हम ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, त्वरित सेवा, पारदर्शी प्रक्रिया तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन को समान प्राथमिकता दें। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, उत्तरदायी ऋण वितरण तथा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के माध्यम से ही हम गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय वृद्धि के अपने उद्देश्य को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। राजभाषा हिन्दी इस दिशा में एक प्रभावी सेतु का कार्य करती है। सरल एवं सहज हिन्दी में बैंकिंग संबंधी जानकारी, ऋण योजनाओं का विवरण तथा उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराकर हम अधिकाधिक लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाने में सफल हो सकते हैं।

मुझे विश्वास है कि हम सभी अपने समर्पण, व्यावसायिक दक्षता और टीम भावना के बल पर आगामी समय में खुदरा बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ अर्जित करेंगे।

आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

मैनाक चटर्जी
मुख्य प्रबन्धक

मुख्य प्रबन्धक का संदेश

प्रिय सहकर्मियों,

अंचल की छमाही गृह पत्रिका "यूको पटना दर्पण" के "**वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी**" विशेषांक के प्रकाशन पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह विशेषांक ऐसे समय में प्रकाशित हो रहा है, जब बैंकिंग सेवाओं का स्वरूप निरंतर परिवर्तित हो रहा है और वित्तीय जागरूकता, ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा तथा सरल एवं प्रभावी संवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। मुझे विश्वास है कि यह अंक न केवल ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि बैंकिंग के प्रति समाज में विश्वास और जागरूकता को भी सुदृढ़ करेगा।

एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा के दो ऐसे सशक्त स्तंभ हैं, जिनकी मजबूती देश की समग्र आर्थिक प्रगति का आधार है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नवाचार, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करते हैं, जबकि कृषि क्षेत्र करोड़ों परिवारों की आजीविका, ग्रामीण समृद्धि और खाद्य सुरक्षा का आधार है। इन दोनों क्षेत्रों की निरंतर प्रगति के लिए सुलभ, पारदर्शी और उत्तरदायी बैंकिंग सेवाएँ अत्यंत आवश्यक हैं। एक बैंक के रूप में हमारा दायित्व केवल ऋण वितरित करना नहीं, बल्कि ग्राहकों के साथ विश्वास का ऐसा संबंध स्थापित करना है, जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता पर आधारित हो।

मुझे प्रसन्नता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में हमारे अंचल ने एमएसएमई ऋण के निर्धारित लक्ष्य की सफल प्राप्ति की। यह उपलब्धि केवल सांख्यिकीय सफलता नहीं, बल्कि हमारी टीम की प्रतिबद्धता, ग्राहक-केंद्रित कार्यशैली और उत्कृष्ट समन्वय का प्रमाण है। इसके लिए मैं सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही, कृषि ऋण के क्षेत्र में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त न कर पाना हमें यह संकेत देता है कि अभी और अधिक सक्रियता, क्षेत्रीय आवश्यकताओं की गहन समझ तथा किसानों के साथ सतत संवाद की आवश्यकता है। चुनौतियाँ सदैव नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस अनुभव को अपनी आगामी सफलता का आधार बनाएँगे।

आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में हमारा प्रयास केवल व्यवसाय वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण ऋण वितरण, उत्तरदायी बैंकिंग, डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग तथा वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी होना चाहिए।

आप सभी को उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल वित्तीय वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

देवेंद्र कुमार
मुख्य प्रबन्धक

मुख्य प्रबन्धक का संदेश

प्रिय सहकर्मियों,

अंचल की छमाही गृह पत्रिका "यूको पटना दर्पण" के "**वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी**" विशेषांक के प्रकाशन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। यह विशेषांक इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था केवल व्यवसाय वृद्धि का परिणाम नहीं होती, बल्कि वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायी कार्यप्रणाली, ग्राहक विश्वास और प्रभावी संवाद के सामूहिक प्रयासों से निर्मित होती है।

बैंक की दीर्घकालिक सफलता का आधार केवल नए ऋणों का वितरण नहीं, बल्कि वितरित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखना और उनकी समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करना भी है। स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो बैंक की वित्तीय मजबूती का दर्पण होता है। इसलिए वसूली कार्य को केवल लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि संस्था की स्थिरता, संसाधनों की सुरक्षा और भविष्य की विकास क्षमता से जुड़े एक महत्वपूर्ण दायित्व के रूप में देखना आवश्यक है।

आज के प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। इसके लिए नियमित अनुवर्तन, ग्राहकों के साथ सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद, समयबद्ध समाधान, उपयुक्त पुनर्भुगतान विकल्प तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिसम्मत कार्रवाई—इन सभी का संतुलित और योजनाबद्ध समन्वय अपेक्षित है। वित्तीय साक्षरता का इस दिशा में भी विशेष महत्व है। जब ग्राहक ऋण की शर्तों, पुनर्भुगतान की जिम्मेदारियों तथा विलंब के संभावित परिणामों से भली-भाँति परिचित होते हैं, तब ऋण अनुशासन सुदृढ़ होता है और वसूली संबंधी चुनौतियाँ स्वतः कम होने लगती हैं।

सामान्य प्रशासन भी बैंक की कार्यसंस्कृति का अभिन्न अंग है। सुव्यवस्थित कार्यालय, स्वच्छ एवं ग्राहक-अनुकूल शाखा परिसर, अभिलेखों का वैज्ञानिक संधारण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण—ये सभी तत्व संस्था की दक्षता और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करते हैं। उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण और ग्राहकों के लिए सकारात्मक अनुभव का निर्माण करती है। मुझे विश्वास है कि हम सभी अपनी कार्यनिष्ठा, पारदर्शिता और टीम भावना के साथ वसूली, परिसंपत्ति गुणवत्ता और सामान्य प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट मानक स्थापित करेंगे।

आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

गजेंद्र कुशवाहा
मुख्य प्रबन्धक

संपादकीय

वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी—इन तीनों विषयों को केंद्र में रखकर प्रस्तुत "**यूको पटना दर्पण**" का यह विशेषांक अपने आप में अत्यंत प्रासंगिक और समयोचित है। आज जब बैंकिंग सेवाएँ तेजी से डिजिटल और बहुआयामी होती जा रही हैं, तब यह आवश्यक हो गया है कि ग्राहक न केवल सेवाओं का उपयोग करें, बल्कि उनके प्रति सजग, जागरूक और सुरक्षित भी रहें। यही इस विशेषांक की मूल भावना है।

वित्तीय साक्षरता किसी भी सशक्त समाज की आधारशिला है। जब व्यक्ति अपनी आय, बचत, निवेश और ऋण संबंधी निर्णयों को समझदारी से लेने में सक्षम होता है, तभी वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाता है। इसी के साथ उपभोक्ता संरक्षण का विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागरूक ग्राहक ही सुरक्षित ग्राहक होता है। बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के दौरान सतर्कता, अधिकारों की जानकारी और शिकायत निवारण की समझ—ये सभी पहलू एक स्वस्थ बैंकिंग संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं।

इस संदर्भ में हिन्दी भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हिन्दी के माध्यम से जब बैंकिंग से जुड़ी जानकारी सरल और सहज रूप में ग्राहकों तक पहुँचती है, तब वित्तीय समावेशन को वास्तविक गति मिलती है। यह पत्रिका इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसमें ज्ञान, अनुभव और व्यवहारिक दृष्टिकोण को एक साथ समाहित किया गया है।

इस पत्रिका के प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले सभी सहकर्मियों, लेखकों और सहयोगियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सक्रिय सहयोग और सहभागिता के बिना इस विशेषांक का प्रकाशन संभव नहीं था।

हम सदैव यह प्रयास करते हैं कि "यूको पटना दर्पण" निरंतर अधिक उपयोगी, ज्ञानवर्धक और रोचक बन सके। इस दिशा में आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। आपसे निवेदन है कि अपने विचार, सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ हमें अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम भविष्य के अंकों को और अधिक समृद्ध बना सकें।

आशा है कि यह विशेषांक आप सभी के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध होगा।

सप्रेम,

श्रवण कुमार मिश्रा,
वरिष्ठ प्रबन्धक (राजभाषा)

यूको बैंक का 84वाँ स्थापना दिवस

"विश्वास की विरासत, सेवा का संकल्प और समृद्ध भविष्य की ओर सशक्त कदम"—इसी भावना के साथ यूको बैंक ने अपना 84वाँ स्थापना दिवस पटना अंचल में उत्साह, गरिमा और सामाजिक सरोकारों के साथ मनाया। वर्ष 1943 में स्थापित यूको बैंक ने आठ दशकों से अधिक की अपनी गौरवशाली यात्रा में ग्राहक-विश्वास, उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ किया है। आज बैंक वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर देश की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है।

स्थापना दिवस के अवसर पर पटना अंचल कार्यालय द्वारा विविध सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए पटना के तारामंडल परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा भावी पीढ़ियों के लिए हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण का संकल्प दोहराया। सामाजिक उत्तरदायित्व की इसी श्रृंखला में बैंक द्वारा पटना साहिब गुरुद्वारा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों की सुविधा हेतु हीटर उपलब्ध कराए गए। यह पहल समाज के प्रति बैंक की संवेदनशीलता एवं सेवा-भाव का परिचायक रही।

स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पटना स्थित 'उमंग' वृद्धाश्रम में निवास कर रहे बुजुर्गों के बीच कंबलों का वितरण किया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बुजुर्गों से आत्मीय संवाद स्थापित कर उनके स्वस्थ एवं सम्मानपूर्ण जीवन की कामना की। यह कार्यक्रम बैंक की मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक प्रतिबद्धता का सजीव उदाहरण बना।

उत्सव का एक भावनात्मक क्षण वह भी रहा, जब बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में स्थापना दिवस का केक काटा गया। इस अवसर पर बैंक परिवार ने उनके अमूल्य योगदान, समर्पण एवं दीर्घकालीन सेवाओं को आदरपूर्वक स्मरण किया। वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों का यह आत्मीय मिलन संस्था की समृद्ध कार्य-संस्कृति तथा पारिवारिक वातावरण का परिचायक रहा।

मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया। साथ ही सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया गया, जिससे स्वास्थ्य जागरूकता और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश प्रसारित हुआ।

समूचा आयोजन अंचल प्रमुख श्री मोतीलाल बानोत के प्रेरक मार्गदर्शन एवं उप अंचल प्रमुख श्री श्रीकांत सिंह के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त साथियों की सक्रिय सहभागिता ने स्थापना दिवस समारोह को यादगार बना दिया।

यूको बैंक का 84वाँ स्थापना दिवस केवल स्थापना का उत्सव नहीं था, बल्कि सेवा, संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व और वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त उद्घोष भी था। समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की यही भावना यूको बैंक की वास्तविक पहचान है और भविष्य की प्रेरणा भी।

84 वर्षों की गौरवशाली यात्रा

1943 में स्थापित यूको बैंक ने आठ दशकों से अधिक की अपनी गौरवपूर्ण यात्रा में विश्वास, सेवा और समर्पण की अमिट पहचान बनाई है। कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, डिजिटल बैंकिंग तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंक ने निरंतर उल्लेखनीय योगदान दिया है। आधुनिक तकनीक एवं ग्राहक-केंद्रित सेवाओं के माध्यम से यूको बैंक आज देशभर में लाखों ग्राहकों का विश्वसनीय बैंक बन चुका है। राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की अपनी मूल भावना के साथ बैंक निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

पटना के बाढ़ में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ

वित्तीय समावेशन और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

यूको बैंक द्वारा अपनी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2026 को पटना जिला के बाढ़ में अपनी नई शाखा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बैंक के प्रधान कार्यालय से पधारे माननीय कार्यपालक निदेशक श्री विजय कुमार एन. कांबले ने पटना अंचल के अंचल प्रमुख श्री मोतीलाल बानोत की गरिमामयी उपस्थिति में विधिवत फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया।

उद्घाटन समारोह अत्यंत सौहार्दपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक पूजा-अर्चना एवं मंगलाचरण के साथ हुई, जिसके उपरांत नई शाखा के संचालन की औपचारिक घोषणा की गई। समारोह में पटना अंचल के उप अंचल प्रमुख श्री श्रीकांत सिंह, बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीगण, स्थानीय व्यवसायी, उद्यमी, ग्राहक तथा अनेक गणमान्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी उपस्थित जनों ने नई शाखा के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक सकारात्मक पहल बताया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यपालक निदेशक ने अपने प्रेरक वक्तव्य में कहा कि बैंक देश की आर्थिक संरचना का एक सशक्त आधार हैं। वर्तमान समय में जब भारत तीव्र आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर है, तब बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बैंक केवल वित्तीय संस्थान नहीं हैं, बल्कि वे आर्थिक प्रगति, उद्यमिता और सामाजिक विकास के सशक्त माध्यम भी हैं। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों, व्यापारियों और नागरिकों से आग्रह किया कि वे यूको बैंक की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं, सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रमों तथा आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएँ। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार इसी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

> "नई शाखा बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में न केवल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि स्थानीय समुदाय के विकास और आत्मनिर्भरता को भी नई दिशा प्रदान करेगी।"
>
> **— श्री विजय कुमार एन. कांबले**

अंचल प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि बाढ़ क्षेत्र में यूको बैंक की नई शाखा का उद्घाटन पटना अंचल के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इस शाखा के संचालन से क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बल मिलेगा तथा बैंकिंग सुविधाएँ अब स्थानीय नागरिकों के और अधिक निकट पहुँच सकेंगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करती है। जब लोगों को अपने क्षेत्र में ही बचत, ऋण, भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्राप्त होती है, तो इससे न केवल व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तिकरण होता है, बल्कि स्थानीय व्यापार, कृषि और स्वरोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए यह शाखा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि इससे स्थानीय उद्यमियों को व्यवसाय के विस्तार के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई शाखा क्षेत्र के उद्यमियों, छोटे व्यापारियों, किसानों और युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और उपस्थित नागरिकों ने बैंक को शुभकामनाएँ दीं तथा आशा व्यक्त की कि नई शाखा क्षेत्र के विकास और जनसुविधा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेगी।

> "बाढ़ में यूको बैंक की नई शाखा के खुलने से क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को नई गति मिलेगी। यह शाखा स्थानीय व्यापार, कृषि और स्वरोज़गार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"
>
> **— श्री मोतीलाल बानोत**

नालंदा के राजगीर में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ

ग्राहक सेवा विस्तार एवं वित्तीय समावेशन की दिशा में एक सशक्त पहल

बिहार की ऐतिहासिक एवं पर्यटन नगरी राजगीर में यूको बैंक ने अपने सेवा विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए दिनांक **24 मार्च, 2026** को नई "राजगीर शाखा" का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अंचल प्रमुख **श्री मोतीलाल बानोत** द्वारा शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया, जबकि प्रधान कार्यालय से पधारे **उप महाप्रबंधक श्री विमलेश पाण्डेय** की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की।

उद्घाटन समारोह अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक विधि-विधान एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसने नई शुरुआत के शुभ संकेतों के साथ पूरे वातावरण को उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। समारोह में बैंक के विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जिसने आयोजन को और अधिक सार्थक बना दिया।

राजगीर, जो अपने धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन महत्व के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है, वहाँ यूको बैंक की नई शाखा का खुलना न केवल बैंक के विस्तार का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा। इस शाखा के माध्यम से स्थानीय निवासियों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों तथा पर्यटकों को आधुनिक एवं सुलभ बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा। यह क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है तथा यहाँ निरंतर बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। ऐसे में यूको बैंक की इस नई शाखा का उद्घाटन स्थानीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा सिद्ध होगी। अब क्षेत्र के ग्राहकों को बैंकिंग कार्यों के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने ही क्षेत्र में सुरक्षित एवं विश्वसनीय बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

> "राजगीर शाखा का उद्घाटन न केवल बैंक के विस्तार का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।"
>
> **— श्री विजय कुमार एन. कांबले**

अपने प्रेरक संबोधन में उप महाप्रबंधक श्री विमलेश पाण्डेय ने कहा कि यूको बैंक निरंतर ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राजगीर जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर शाखा की स्थापना बैंक की दूरदर्शी नीति का परिणाम है, जो न केवल ग्राहक सुविधा को बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

> "बैंक देश की आर्थिक संरचना की रीढ़ हैं। बदलते आर्थिक परिदृश्य में बैंकिंग सेवाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना समय की आवश्यकता है।"
>
> **— श्री मोतीलाल बानोत**

अंचल प्रमुख श्री मोतीलाल बानोत ने अपने उद्बोधन में कहा कि यूको बैंक सदैव अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट एवं भरोसेमंद सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राजगीर शाखा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा बैंक की सेवाओं को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएगी।

नई शाखा में ग्राहकों को बचत एवं चालू खाते, विभिन्न प्रकार के ऋण, डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ, एटीएम सेवा तथा अन्य आधुनिक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। समारोह के अंत में सभी उपस्थित अतिथियों एवं कर्मचारियों ने नई शाखा की सफलता और निरंतर प्रगति की कामना की। इस उद्घाटन के साथ यूको बैंक ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह ग्राहक-केन्द्रित सेवाओं, नवाचार और क्षेत्रीय विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ करता जा रहा है। राजगीर शाखा निश्चित रूप से आने वाले समय में बैंक और ग्राहकों के बीच विश्वास और सेवा का एक सशक्त सेतु बनेगी।

84वें स्थापना दिवस पर यूको बैंक ने बगहा में खोली नई शाखा

वित्तीय समावेशन की दिशा में एक और सशक्त कदम

06 जनवरी, 2026 का दिन यूको बैंक परिवार के लिए विशेष महत्व का रहा। बैंक के **84वें स्थापना दिवस** के शुभ अवसर पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के **बगहा** में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। इस नई शाखा के प्रारंभ होने के साथ ही पश्चिम चंपारण जिले में यूको बैंक की शाखाओं की संख्या बढ़कर तीन हो गई। यह केवल बैंक के व्यावसायिक विस्तार का प्रतीक नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन, ग्राहक सुविधा और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक आधुनिक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है।

भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में यूको बैंक भी अपनी स्थापना के समय से ही जनसामान्य तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बगहा में नई शाखा का उद्घाटन इसी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। यह शाखा स्थानीय नागरिकों, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों, महिलाओं, विद्यार्थियों तथा स्वरोज़गार से जुड़े लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनाएगी। आज बैंकिंग का स्वरूप केवल जमा और ऋण तक सीमित नहीं रह गया है। डिजिटल बैंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, बीमा, पेंशन तथा निवेश सेवाएँ भी बैंकिंग व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। नई शाखा के माध्यम से स्थानीय नागरिक इन सभी सेवाओं का लाभ अपने क्षेत्र में ही प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। इस अवसर पर यह भी रेखांकित किया गया कि बैंकिंग सेवाओं का वास्तविक उद्देश्य केवल वित्तीय लेन-देन को सरल बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। वित्तीय साक्षरता इसी प्रक्रिया का आधार है। जब ग्राहक बैंकिंग उत्पादों, ऋण योजनाओं, डिजिटल भुगतान प्रणाली, बचत की आदत तथा सुरक्षित वित्तीय व्यवहार के बारे में जागरूक होते हैं, तब वे अधिक आत्मविश्वास के साथ आर्थिक निर्णय लेते हैं। यही जागरूकता उपभोक्ता संरक्षण को भी सुदृढ़ बनाती है।

बगहा क्षेत्र कृषि, लघु व्यापार और स्थानीय उद्यमिता की दृष्टि से निरंतर विकसित हो रहा है। नई शाखा के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, एमएसएमई इकाइयों को ऋण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

> "बैंकिंग का उद्देश्य केवल वित्तीय लेन-देन तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी भाषा में सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हों। बगहा शाखा स्थानीय विकास, स्वरोज़गार, कृषि, एमएसएमई तथा डिजिटल बैंकिंग को नई गति प्रदान करेगी। हमें विश्वास है कि यह शाखा क्षेत्र के आर्थिक सशक्तीकरण और ग्राहकों के विश्वास का नया केंद्र बनेगी।"
>
> **— श्री मोतीलाल बानोत**

यूको बैंक सदैव इस विश्वास के साथ कार्य करता रहा है कि ग्राहक केवल सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि बैंक का दीर्घकालिक साझेदार है। इसलिए शाखा में पारदर्शी, उत्तरदायी एवं ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ वित्तीय परामर्श और डिजिटल सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाव, सुरक्षित डिजिटल लेन-देन तथा बैंकिंग संबंधी अधिकारों एवं दायित्वों की जानकारी देकर उन्हें वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाने का भी सतत प्रयास किया जाएगा। शाखा में ग्राहकों को बैंकिंग योजनाओं, ऋण सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं तथा उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित जानकारी सरल एवं सहज हिन्दी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे बैंक और ग्राहक के बीच संवाद अधिक प्रभावी एवं आत्मीय बन सके।

यूको बैंक का 84 वर्षों का गौरवशाली सफर सेवा, विश्वास और सामाजिक उत्तरदायित्व की मजबूत नींव पर आधारित रहा है। बगहा शाखा का उद्घाटन इसी यात्रा का एक नया अध्याय है। यह शाखा न केवल बैंक के व्यवसाय विस्तार में योगदान देगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार बनेगी। विश्वास है कि यह नई शाखा स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरते हुए वित्तीय समावेशन, ग्राहक संतुष्टि तथा समावेशी विकास के उद्देश्य को और अधिक सशक्त बनाएगी।

गणतन्त्र दिवस समारोह : संविधान के प्रति निष्ठा का संकल्प

राष्ट्रगौरव, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता के भाव के साथ यूको बैंक के अंचल कार्यालय, पटना में गणतन्त्र दिवस का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। दिनांक 26 जनवरी, 2026 को आयोजित इस समारोह में उत्साह, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में अंचल कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सभी ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय पर्व का गौरवपूर्ण उत्सव मनाया।

कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मानपूर्ण ध्वजारोहण से हुआ। अंचल प्रमुख श्री मोतीलाल बानोत जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान प्रस्तुत कर राष्ट्र, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। सम्पूर्ण परिसर देशभक्ति के उत्साह, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव की भावना से ओत-प्रोत दिखाई दे रहा था। ध्वजारोहण के उपरांत एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने समारोह को और अधिक जीवंत एवं प्रेरणादायी बना दिया। इस अवसर पर अंचल कार्यालय के स्टाफ सदस्यों तथा उनके बच्चों ने देशभक्ति गीत, काव्य-पाठ एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया, जबकि कर्मचारियों की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय पर्व केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि भावनात्मक सहभागिता का भी अवसर है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी प्रस्तुतियों की मुक्तकंठ से सराहना की गई।

भारत का राष्ट्रगान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंग।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशीष मांगे।
गाहे तव जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे॥

अपने संबोधन में अंचल प्रमुख महोदय ने कहा कि गणतन्त्र दिवस हमें केवल एक ऐतिहासिक तिथि का स्मरण नहीं कराता, बल्कि यह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने उल्लेख किया कि 26 जनवरी, 1950 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार कर स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। यह दिन हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे की औपचारिक स्थापना का प्रतीक होने के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का भी बोध कराता है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान केवल विधिक प्रावधानों का संकलन नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—का जीवंत दस्तावेज है। इन मूल्यों को व्यवहार में उतारना ही गणतन्त्र दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर तथा संविधान सभा के सदस्यों के दूरदर्शी चिंतन और अथक प्रयासों से निर्मित यह संविधान आज भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत आधार है और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, गरिमा तथा न्याय सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

समारोह के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि एक जिम्मेदार नागरिक और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग संस्था होने के नाते हमारा दायित्व केवल उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना ही नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण में सक्रिय योगदान देना भी है। यूको बैंक वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा पारदर्शी बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र के आर्थिक विकास में निरंतर अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्थिक रूप से सशक्त नागरिक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाते हैं और यही विकसित भारत की आधारशिला है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, जनहितकारी बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय जागरूकता तथा राजभाषा हिन्दी के प्रभावी प्रयोग के माध्यम से ग्राहकों तक अधिक सरल, सहज और पारदर्शी सेवाएँ पहुँचाने का संकल्प भी व्यक्त किया।

समारोह का समापन इस दृढ़ विश्वास के साथ हुआ कि संविधान की मर्यादा, लोकतांत्रिक परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। गणतन्त्र दिवस का यह आयोजन केवल राष्ट्रीय पर्व का उत्सव नहीं रहा, बल्कि प्रत्येक उपस्थितजन को अपने कर्तव्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागिता के प्रति नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान कर गया।

'कार्यपालक निदेशक का त्रि-दिवसीय पटना दौरा'

यूको बैंक के माननीय **कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार एन. कांबले** का **25 से 27 फरवरी, 2026** तक पटना अंचल का त्रि-दिवसीय दौरा अंचल के लिए अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक, प्रेरणादायी और उपलब्धिपूर्ण रहा। इन तीन दिनों के दौरान उन्होंने नई शाखा के उद्घाटन से लेकर स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय सशक्तीकरण, शाखा निरीक्षण, कर्मचारियों के साथ संवाद, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शाखाओं के सम्मान तथा राजभाषा के क्षेत्र में अंचल की उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने तक अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता की। उनका यह प्रवास केवल प्रशासनिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे अंचल को नई ऊर्जा, स्पष्ट दिशा और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने वाला अवसर सिद्ध हुआ।

पहला दिन : बाढ़ शाखा के उद्घाटन के साथ विकास की नई शुरुआत

दौरे के प्रथम दिन कार्यपालक निदेशक महोदय ने पटना जिले के **बाढ़** में यूको बैंक की नवीन शाखा का शुभारंभ किया। विधिवत उद्घाटन के उपरांत उन्होंने शाखा परिसर का अवलोकन किया तथा उपस्थित ग्राहकों, स्थानीय नागरिकों एवं बैंक अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बैंक की प्रत्येक नई शाखा केवल व्यवसाय विस्तार का माध्यम नहीं होती, बल्कि वित्तीय समावेशन, स्थानीय विकास और जनविश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होती है।

उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना बैंक की सामाजिक प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग है। आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं, ग्राहक-केंद्रित सेवाओं तथा वित्तीय जागरूकता के माध्यम से बैंक समाज के प्रत्येक वर्ग को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

दूसरा दिन : स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण का सशक्त संदेश

दौरे के दूसरे दिन माननीय कार्यपालक निदेशक महोदय मुज़फ्फरपुर पहुँचे, जहाँ आयोजित "स्वयं सहायता समूह वित्तीय सशक्तीकरण कार्यक्रम" में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्याएँ, बैंक अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अपने प्रभावशाली संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक गतिविधियों का माध्यम नहीं हैं, बल्कि महिला सशक्तीकरण, सामाजिक परिवर्तन और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के प्रभावी साधन हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को वित्तीय संसाधनों तक सहज पहुँच मिलती है, तब उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर दिखाई देता है। बैंक का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उद्यमिता, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना भी है।

इस अवसर पर विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को लगभग ₹90 करोड़ की ऋण सुविधा स्वीकृत की गई। कार्यपालक निदेशक महोदय ने अपने कर-कमलों से समूहों के प्रतिनिधियों को स्वीकृति-पत्र एवं ऋण चेक वितरित किए। लाभार्थियों के चेहरों पर झलकती प्रसन्नता इस बात का प्रमाण थी कि बैंक की यह पहल अनेक परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनेगी।

उन्होंने उपस्थित महिलाओं से वित्तीय अनुशासन, डिजिटल बैंकिंग के सुरक्षित उपयोग तथा बचत की आदत को अपनाने का भी आह्वान किया और कहा कि वित्तीय साक्षरता ही आर्थिक सशक्तीकरण की पहली सीढ़ी है।

पटना अंचल में प्रेरक संवाद और उपलब्धियों का सम्मान

मुज़फ्फरपुर कार्यक्रम के उपरांत कार्यपालक निदेशक महोदय पटना पहुँचे, जहाँ अंचल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने बैंकिंग के वर्तमान परिवेश, व्यवसायिक उत्कृष्टता, ग्राहक—केंद्रित

सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन तथा टीम भावना पर विस्तार से विचार व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि बैंक की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मानव संसाधन क्षमता और ग्राहकों का विश्वास है। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि संस्था की प्रतिष्ठा और ग्राहक संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए करें। उन्होंने यह भी कहा कि उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति, पारदर्शिता, नवाचार और सतत सीखने की प्रवृत्ति ही किसी भी संस्था को दीर्घकालिक सफलता प्रदान करती है।

इस अवसर पर विभिन्न व्यवसायिक एवं परिचालन मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शाखाओं और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों और शाखा टीमों का उत्साह देखते ही बनता था। यह सम्मान केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं था, बल्कि सम्पूर्ण अंचल के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा भी था।

कार्यक्रम का एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण वह था, जब **पटना अंचल को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित "यूको जी. डी. बिड़ला राजभाषा शील्ड" से सम्मानित किया गया।** कार्यपालक निदेशक महोदय ने यह प्रतिष्ठित शील्ड अंचल प्रमुख श्री मोतीलाल बानोत को प्रदान की। यह सम्मान राजभाषा हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन, संस्थागत प्रतिबद्धता तथा पूरे अंचल के सामूहिक प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए गर्व का विषय रहा।

तीसरा दिन : गया शाखा निरीक्षण और कर्मचारियों से संवाद

दौरे के अंतिम दिन कार्यपालक निदेशक महोदय विश्वविख्यात तीर्थनगरी गया जी पहुँचे। वहाँ उन्होंने बैंक की शाखा का निरीक्षण कर ग्राहक सेवा, डिजिटल बैंकिंग, शाखा प्रशासन तथा व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने शाखा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद करते हुए स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप व्यवसाय विस्तार, गुणवत्तापूर्ण ऋण वितरण तथा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पर विशेष बल दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक शाखा बैंक की कार्यसंस्कृति का प्रत्यक्ष परिचय होती है। इसलिए ग्राहक के साथ व्यवहार, सेवा की गुणवत्ता तथा पारदर्शिता ही बैंक की वास्तविक पहचान बनाती है।

गया से लौटने के पश्चात उन्होंने पुनः पटना अंचल कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। अपने समापन उद्बोधन में उन्होंने पूरे दौरे के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पटना अंचल में कार्य के प्रति समर्पण, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यही कार्यसंस्कृति आने वाले समय में अंचल को व्यवसाय, ग्राहक सेवा, राजभाषा, वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के सभी क्षेत्रों में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी।

कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार एन. कांबले का यह त्रि-दिवसीय दौरा केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं था, बल्कि प्रेरणा, मार्गदर्शन और संस्थागत मूल्यों का सशक्त संदेश भी था। नई शाखा का उद्घाटन, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग, कर्मचारियों का उत्साहवर्धन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं का सम्मान, गृह पत्रिका का लोकार्पण, राजभाषा शील्ड का अलंकरण तथा शाखा निरीक्षण—इन सभी गतिविधियों ने यह स्पष्ट किया कि यूको बैंक व्यवसायिक उत्कृष्टता के साथ-साथ वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा, राजभाषा संवर्धन और सामाजिक उत्तरदायित्व को समान महत्व देता है।

यह दौरा पटना अंचल के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के लिए नई प्रेरणा, नई कार्यदृष्टि और उत्कृष्ट प्रदर्शन के संकल्प का आधार बन गया। विश्वास है कि कार्यपालक निदेशक महोदय के मार्गदर्शन से प्राप्त यह ऊर्जा भविष्य में भी अंचल की उपलब्धियों को नई दिशा प्रदान करती रहेगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का गरिमामय आयोजन

08 मार्च, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यूको बैंक के अंचल कार्यालय, पटना में एक गरिमामय एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के योगदान का सम्मान करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तथा समानता, सम्मान और सशक्तीकरण के संदेश को प्रोत्साहित करना था। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह, आत्मीयता और सम्मान का वातावरण बना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ अंचल प्रमुख श्री मोतीलाल बानोत के स्वागत उद्बोधन से हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका निरंतर सशक्त होती जा रही है। आज महिलाएँ केवल बैंकिंग सेवाओं के संचालन में ही नहीं, बल्कि नेतृत्व, व्यवसाय विकास, ग्राहक सेवा, जोखिम प्रबंधन और प्रशासन जैसे विविध क्षेत्रों में भी अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट परिचय दे रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की प्रगति तभी संभव है, जब उसे महिलाओं की प्रतिभा, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो।

उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों, गरिमा और समान अवसरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त करने का दिन है। बैंक सदैव ऐसा कार्य वातावरण विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ प्रत्येक महिला अधिकारी और कर्मचारी सम्मान, सुरक्षा तथा समान अवसर के साथ अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके।

इस अवसर पर अंचल कार्यालय में कार्यरत सभी महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा स्थानीय शाखाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके समर्पण, कार्यनिष्ठा और संस्थान के प्रति महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अंचल प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएँ प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सम्मान समारोह ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की तथा उपस्थित सभी कर्मचारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ महिला सहकर्मियों का उत्साहवर्धन किया।

महिला कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से केक काटकर इस अवसर का उल्लासपूर्वक उत्सव मनाया। इस आत्मीय क्षण ने पूरे वातावरण को सौहार्द, अपनत्व और पारिवारिक भावना से भर दिया। उपस्थित सभी कर्मचारियों ने एक-दूसरे को महिला दिवस की शुभकामनाएँ दीं तथा इस अवसर को स्मरणीय बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाई।

अपने विचार व्यक्त करते हुए कई महिला अधिकारियों ने बैंक द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोगपूर्ण कार्य वातावरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर सम्मान, विश्वास और समान अवसर किसी भी महिला के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं तथा उसे अपनी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की आधारशिला है।

कार्यक्रम के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि बैंक वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, महिला उद्यमियों के लिए ऋण योजनाएँ, डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता निरंतर बनी हुई है। विशेषांक की थीम के अनुरूप यह संदेश भी दिया गया कि **वित्तीय साक्षरता महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का सबसे सशक्त आधार है।**

समारोह का समापन सभी महिला सहकर्मियों के प्रति सम्मान और शुभकामनाओं के साथ हुआ। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के योगदान को स्वीकार करने, उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने तथा समावेशी एवं संवेदनशील कार्यसंस्कृति को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रेरक अवसर सिद्ध हुआ।

व्यंग्य

ओटीपी महाराज की जय

नगर का नाम था **सतर्कपुर**। नाम जितना प्रभावशाली था, व्यवहार उससे ठीक उल्टा। वहाँ लोग बैंक की सलाह कम और मोबाइल पर आने वाले "मीठे" फोन अधिक ध्यान से सुनते थे। एक दिन पता चला कि नगर में एक नए देवता प्रकट हुए हैं—**ओटीपी महाराज**।

कहते हैं, महाराज अदृश्य हैं। वे कभी बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, कभी बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, कभी केवाईसी अपडेट कराने वाले सज्जन और कभी पुरस्कार बाँटने वाली संस्था के कर्मचारी। उनका एक ही वरदान था—"बस अपना ओटीपी बता दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा।" नगर के लोगों ने बिना देर किए श्रद्धा स्वीकार कर ली।

रामभरोसे जी सुबह पूजा करते, फिर मोबाइल के पास बैठ जाते। जैसे ही फोन बजता, वे आवाज़ बदलकर कहते, "जी, बताइए... बैंक से बोल रहे हैं न?" उधर से उत्तर आता, "जी सर, आपका खाता बंद होने वाला है।"

रामभरोसे जी घबरा जाते। बैंक में कभी इतना सम्मान नहीं मिला था, जितना फोन पर मिलता था। हर कॉल करने वाला उन्हें *"सम्मानित ग्राहक"* कहता था। वे भावुक होकर तुरंत ओटीपी सुना देते। कुछ ही मिनटों बाद मोबाइल पर संदेश आता—**"आपके खाते से ₹48,500 डेबिट किए गए।"** रामभरोसे जी मुस्कुराते हुए पड़ोसी से बोले, "लगता है बैंक वाले बहुत काम कर रहे हैं। पैसे इधर-उधर करते रहते हैं।" धीरे-धीरे पूरे नगर में ओटीपी महाराज की महिमा फैल गई। किसी का खाता हल्का हुआ, किसी का वॉलेट खाली हुआ, किसी का क्रेडिट कार्ड प्रसन्न हो गया। लेकिन भक्तों की आस्था कम नहीं हुई।

बैंक ने शाखा के बाहर बड़ा-सा बोर्ड लगाया — **"बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी, पिन, पासवर्ड या सीवीवी नहीं पूछता।"**

लोग बोर्ड पढ़कर बोले, "बैंक वाले भी क्या-क्या लिखते रहते हैं! असली बात तो फोन पर बताते हैं।"

राजभाषा सप्ताह आया। शाखा ने सरल हिन्दी में पर्चे बाँटे— *"ओटीपी किसी को न बताएँ।"* कुछ लोगों ने पढ़ा भी। फिर बोले, "यह तो हिन्दी में लिखा है, ज़रूर कोई सामान्य सूचना होगी। असली निर्देश तो अंग्रेज़ी में आते होंगे।"

उधर ठगों ने भी समय के साथ स्वयं को आधुनिक बना लिया। अब वे कहते—"सर, हम डिजिटल सुरक्षा विभाग से बोल रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए ओटीपी बताना आवश्यक है।" लोग सुरक्षा बचाने के लिए ही सुरक्षा सौंप देते।

एक दिन बैंक ने वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया। लोगों की संख्या कम थी। कारण पूछा गया तो उत्तर मिला—"आजकल सब जानकारी यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर मिल जाती है।" कई लोगों का मानना था कि बैंक वाले फिर कोई नया फॉर्म भरवाने आए होंगे। लेकिन जब शाखा प्रबंधक ने वास्तविक साइबर ठगी की घटनाओं के उदाहरण सुनाए और बताया कि ठग किस प्रकार स्वयं को बैंक अधिकारी बताकर ओटीपी, पिन, पासवर्ड और सीवीवी प्राप्त कर लोगों की मेहनत की कमाई चंद मिनटों में निकाल लेते हैं, तो माहौल गंभीर हो गया।

शिविर में सरल हिन्दी में समझाया गया कि बैंक कभी भी फोन, संदेश या सोशल मीडिया के माध्यम से ओटीपी, पिन, पासवर्ड या सीवीवी नहीं माँगता। अनजान लिंक पर क्लिक करने, फर्जी क्यूआर कोड स्कैन करने तथा लालच या डर पैदा करने वाले फोन कॉल से सावधान रहने की भी विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों की शंकाओं का समाधान किया गया और उन्हें सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के व्यावहारिक उपाय बताए गए।

कुछ महीनों बाद सतर्कपुर बदलने लगा। अनजान लिंक खोलना बंद कर दिया। ओटीपी अब केवल मोबाइल में आता था, पड़ोसी तक नहीं पहुँचता था। बैंक में प्रश्न पूछने वालों की संख्या बढ़ी और शिकायत करने वालों की संख्या घटने लगी।

कहते हैं, तब से ओटीपी महाराज ने सतर्कपुर आना लगभग बंद कर दिया है। अब वे ऐसे नगरों की तलाश में रहते हैं, जहाँ लोग अब भी यह मानते हैं कि **"फोन पर जो सबसे मीठा बोले, वही बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है।"**

यह व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए है। व्यंग्य का सार यही है कि डिजिटल युग में सबसे बड़ा पासवर्ड मोबाइल नहीं, बल्कि जागरूकता है। वित्तीय साक्षरता ही वह सुरक्षा कवच है, जिसे कोई साइबर ठग भेद नहीं सकता।

✍ श्रवण कुमार मिश्रा
वरिष्ठ प्रबन्धक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, पटना

व्यंग्य

अंगूठा छाप प्रोफेसर

हमारे कस्बे में एक ऐसे विद्वान रहते थे, जिनकी डिग्रियों की संख्या उनके पढ़े हुए विषयों से अधिक थी। लोग उन्हें सम्मान से "प्रोफेसर साहब" कहते थे। वे स्वयं भी इस संबोधन को पूरे अधिकार के साथ स्वीकार करते थे। अंतर केवल इतना था कि विश्वविद्यालय ने उन्हें कभी प्रोफेसर नहीं माना, पर मोहल्ले ने यह कमी बड़े प्रेम से पूरी कर दी थी।

ज्ञान उनका ऐसा था कि मौसम विभाग वर्षा की संभावना बताए और वे धूप निकलने का दावा कर दें। शेयर बाज़ार गिरे तो वे उसे "रणनीतिक उछाल" कहें और बढ़े तो "अस्थायी गिरावट" घोषित कर दें। किसी को नौकरी मिल जाए तो वह उनकी सलाह का परिणाम और नौकरी चली जाए तो सरकार की साज़िश। हर विषय पर उनका मत अंतिम होता था, क्योंकि उसके बाद कोई सुनना ही नहीं चाहता था।

डिजिटल बैंकिंग के युग ने उनकी विद्वता को नए पंख दे दिए। सुबह की चाय के साथ वे व्हाट्सऐप विश्वविद्यालय की कक्षाएँ अटेंड करते और शाम तक पाँच लोगों को प्रमाणित वित्तीय सलाह दे चुके होते। किसी दिन संदेश आता—"आज रात बारह बजे से सभी पुराने एटीएम कार्ड बंद हो जाएँगे।" वे बिना पुष्टि किए पूरे कस्बे में सूचना प्रसारित कर देते। अगले दिन नया संदेश आता—"हर खाते में सरकार पचास हजार रुपये भेज रही है, बस लिंक पर क्लिक करें।" प्रोफेसर साहब सबसे पहले लिंक खोलते और दूसरों को भी प्रेरित करते कि राष्ट्रहित में अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि बैंक वाले ग्राहकों को जितना कम बताते हैं, व्हाट्सऐप उतना ही अधिक बता देता है। बैंक की वेबसाइट उन्हें नीरस लगती थी, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति का दो मिनट का वीडियो उन्हें आर्थिक नीति का अंतिम सत्य प्रतीत होता था। वे कहते थे कि अनुभव किताबों से नहीं, "फ़ॉरवर्ड" से मिलता है। बैंक की शाखा में उनका नियमित आना-जाना था, पर बैंकिंग सीखने के लिए नहीं, बैंकिंग सिखाने के लिए। लाइन में खड़े लोगों को वे बताते कि पासबुक अब पुरानी चीज़ है, मोबाइल ही बैंक है। किसी को सलाह देते कि बीमा की शर्तें पढ़ने की क्या आवश्यकता, "बैंक वाले अपने आदमी हैं।" किसी से कहते कि ऋण का समझौता पढ़ने में समय नष्ट न करें, हस्ताक्षर कीजिए और आगे बढ़िए। उनकी सलाह मुफ़्त थी, इसलिए महँगी पड़ती थी।

एक दिन उन्होंने अपने एक परिचित को यह विश्वास दिला दिया कि केवाईसी अपडेट कराने के लिए फोन पर मिली हर सूचना सही होती है। कुछ ही देर बाद परिचित का खाता हल्का हो गया। प्रोफेसर साहब ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि साइबर अपराधी बहुत आधुनिक हो गए हैं; इसमें उनकी सलाह की कोई भूमिका नहीं है। इधर बैंक को शिकायतों की संख्या बढ़ती दिखाई दी। समाधान के लिए शाखा ने वित्तीय साक्षरता एवं उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित किया। प्रोफेसर साहब भी पहुँचे। उन्हें विश्वास था कि बैंक वाले आज उनकी विद्वता का सम्मान करेंगे और संभव हुआ तो मंच पर भी बुलाएँगे।

शिविर में किसी बड़े सिद्धांत की चर्चा नहीं हुई। शाखा प्रबंधक ने केवल इतना बताया कि बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी, पिन, पासवर्ड या सीवीवी नहीं पूछता। फर्जी लिंक, नकली क्यूआर कोड, लालच देने वाले संदेश और डर पैदा करने वाले फोन साइबर ठगों के सबसे प्रभावी हथियार हैं। उन्होंने वास्तविक घटनाओं के उदाहरण दिए, लोगों को संदिग्ध संदेश पहचानना सिखाया और कहा कि किसी भी शंका की स्थिति में सीधे शाखा से संपर्क करें, व्हाट्सऐप विश्वविद्यालय से नहीं।

कार्यक्रम के अंत में एक छोटी-सी प्रश्नोत्तरी हुई। प्रश्न सरल थे, पर उत्तर उतने सरल नहीं निकले। सबसे अधिक गलत उत्तर उसी व्यक्ति ने दिए, जिसने पूरे कस्बे को वर्षों तक बैंकिंग का अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया था। पहली बार प्रोफेसर साहब को यह अनुभव हुआ कि जानकारी और अफवाह में उतना ही अंतर है, जितना बैंक की मुहर और फोटो एडिटिंग ऐप की मुहर में।

वित्तीय साक्षरता का असली अर्थ

"जागरूक ग्राहक वह नहीं, जो हर संदेश सबसे पहले पढ़ ले; बल्कि वह है, जो हर संदेश पर सबसे पहले विश्वास न करे। डिजिटल बैंकिंग में सतर्कता ही सबसे बड़ा पासवर्ड है और विवेक सबसे मजबूत सुरक्षा कवच।"

उस दिन के बाद कस्बे में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई दिया। लोग किसी संदेश पर विश्वास करने से पहले बैंक से पुष्टि करने लगे। दस्तावेज़ पढ़े जाने लगे। बीमा और ऋण की शर्तें समझी जाने लगीं। मोबाइल पर आने वाले हर लिंक को भाग्य का दरवाज़ा नहीं माना गया। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि प्रोफेसर साहब ने भी सलाह देने से पहले सीखना शुरू कर दिया।

मोहल्ले के लोगों ने उनका नाम बदल दिया। अब वे "अंगूठाछाप प्रोफेसर" नहीं, "सीखते हुए प्रोफेसर" कहलाने लगे। हालाँकि कुछ शरारती लोग आज भी मुस्कुराकर कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षा उतनी खतरनाक नहीं, जितनी **आत्मविश्वास से भरी आधी-अधूरी जानकारी।** वही ज्ञान सबसे पहले विवेक का खाता खाली करता है और उसके बाद बैंक का।

✍ आदित्य आनंद
प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

सरल हिन्दी में बैंकिंग—समावेशन की कुंजी

भारत जैसे बहुभाषी और विविधतापूर्ण देश में भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और विकास की आधारशिला भी है। आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्रयुक्त भाषा यदि आम नागरिक की समझ से दूर हो जाए, तो वह व्यवस्था चाहे कितनी ही प्रभावी क्यों न हो, उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुँच पाता। यही स्थिति लंबे समय तक बैंकिंग व्यवस्था के साथ भी देखने को मिली। बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध तो थीं, परंतु उनकी भाषा और प्रक्रियाएँ आम लोगों के लिए कई बार जटिल प्रतीत होती थीं। ऐसे में "सरल हिन्दी में बैंकिंग" की अवधारणा केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आर्थिक समावेशन और सामाजिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरल हिन्दी में बैंकिंग का अर्थ है कि बैंकिंग सेवाओं, प्रक्रियाओं और सूचनाओं को ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जाए जो सामान्य नागरिक के लिए सहज, स्पष्ट और समझने योग्य हो। जब बैंकिंग की भाषा सरल होती है, तो ग्राहक न केवल सेवाओं को समझ पाता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास के साथ उपयोग भी कर पाता है। यही स्थिति वित्तीय समावेशन की वास्तविक आधारशिला बनती है।

सरल हिन्दी में बैंकिंग के लाभ

- ग्राहक को बैंकिंग प्रक्रियाएँ आसानी से समझ में आती हैं।
- बैंक और ग्राहक के बीच विश्वास बढ़ता है।
- वित्तीय सेवाओं का उपयोग अधिक व्यापक होता है।
- ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग पहुँच मजबूत होती है।
- वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलता है।

बैंकिंग और भाषा का संबंध

बैंकिंग व्यवस्था मूलतः विश्वास और संवाद पर आधारित होती है। जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है, ऋण लेता है या निवेश करता है, तो वह बैंक पर भरोसा करते हुए अपने आर्थिक निर्णयों को उस संस्था से जोड़ता है। इस भरोसे का निर्माण तभी संभव है जब बैंक और ग्राहक के बीच संवाद स्पष्ट और पारदर्शी हो। यदि बैंकिंग से संबंधित जानकारी जटिल तकनीकी शब्दों या विदेशी भाषा में प्रस्तुत की जाती है, तो आम नागरिक के लिए उसे समझना कठिन हो सकता है। इससे कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। इसके विपरीत जब वही जानकारी सरल और व्यवहारिक भाषा में दी जाती है, तो ग्राहक सहज रूप से उसे समझ लेता है। इस दृष्टि से सरल हिन्दी बैंकिंग संवाद का एक सशक्त माध्यम बन सकती है।

वित्तीय समावेशन की दिशा में भाषा की भूमिका

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को औपचारिक वित्तीय सेवाओं—जैसे बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान—तक समान रूप से पहुँच प्राप्त हो। परंतु यह पहुँच तभी सार्थक होती है जब लोग इन सेवाओं को समझें और उनका उपयोग करने में सक्षम हों। भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके लिए अंग्रेज़ी या अत्यधिक तकनीकी भाषा में दी गई बैंकिंग जानकारी को समझना कठिन हो सकता है। यदि बैंकिंग जानकारी सरल हिन्दी में उपलब्ध होगी, तो यह वर्ग भी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकेगा। इस प्रकार भाषा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में एक सेतु का कार्य करती है।

ग्राहक सेवा और सरल भाषा

ग्राहक सेवा बैंकिंग व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बैंक की विश्वसनीयता केवल उसकी वित्तीय मजबूती से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संवाद शैली से भी तय होती है। जब बैंक अधिकारी ग्राहकों से सरल हिन्दी में संवाद करते हैं, तो ग्राहक अपने प्रश्नों और समस्याओं को खुलकर व्यक्त कर पाता है। इससे बैंक और ग्राहक के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। सरल भाषा का उपयोग केवल मौखिक संवाद तक सीमित नहीं होना चाहिए। बैंक के प्रपत्र, सूचना-पट्ट, मार्गदर्शिकाएँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रचार सामग्री भी ऐसी भाषा में तैयार किए जाने चाहिए जिन्हें आम लोग आसानी से समझ सकें।

ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में महत्व

ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। बैंक शाखाएँ, ग्राहक सेवा केंद्र और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ अब गाँवों तक पहुँच चुकी हैं। हालाँकि इन सेवाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब स्थानीय लोग बैंकिंग प्रक्रियाओं को समझें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बैंक खाते तो खोल लेते हैं, परंतु उन्हें खाते के संचालन, डिजिटल भुगतान या अन्य सेवाओं की पूरी जानकारी नहीं होती। यदि बैंकिंग जानकारी सरल हिन्दी में उपलब्ध होगी, तो ग्रामीण नागरिकों के लिए इन सेवाओं का उपयोग करना अधिक सहज हो जाएगा। इससे न केवल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

सरल हिन्दी और वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि लोगों को आर्थिक निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना भी है। जब वित्तीय जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध होती है, तो लोग उसे आसानी से समझकर अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि बचत, निवेश, ऋण और बीमा जैसे विषयों को सरल उदाहरणों और सहज भाषा में समझाया जाए, तो लोग इन अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इस प्रकार सरल हिन्दी वित्तीय साक्षरता के विस्तार का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।

ग्राहक के लिए उपयोगी बैंकिंग आदतें

- बैंक खाते का नियमित उपयोग
- बचत और खर्च का संतुलन बनाए रखना
- डिजिटल लेन-देन करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना
- ऋण लेने से पहले शर्तों को समझना
- बैंक से संबंधित जानकारी समय-समय पर प्राप्त करना

चुनौतियाँ और संभावनाएँ

हालाँकि सरल हिन्दी में बैंकिंग को बढ़ावा देने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कई बार बैंकिंग शब्दावली इतनी तकनीकी होती है कि उसे पूरी तरह सरल बनाना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए वहाँ हिन्दी के साथ-साथ स्थानीय भाषा का भी उपयोग आवश्यक हो सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद संभावनाएँ अत्यंत व्यापक हैं। यदि बैंकिंग संस्थाएँ, राजभाषा विभाग और प्रशिक्षण संस्थान मिलकर सरल भाषा के उपयोग को बढ़ावा दें, तो बैंकिंग सेवाओं को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।

भविष्य की दिशा

भविष्य की बैंकिंग व्यवस्था अधिक डिजिटल, अधिक ग्राहक-केंद्रित और अधिक समावेशी होने जा रही है। इस परिवर्तन में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। सरल हिन्दी का उपयोग बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बना सकता है। इससे न केवल ग्राहक संतुष्टि बढ़ेगी, बल्कि बैंकिंग प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। जब बैंकिंग संवाद सरल और स्पष्ट होगा, तो समाज का प्रत्येक वर्ग आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर सकेगा। यही स्थिति वित्तीय समावेशन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करेगी।

सरल हिन्दी में बैंकिंग केवल भाषाई सुविधा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आर्थिक लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब बैंकिंग सेवाएँ ऐसी भाषा में उपलब्ध होती हैं जिसे आम नागरिक सहज रूप से समझ सके, तब वह व्यक्ति आर्थिक निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। यह आत्मविश्वास ही वित्तीय समावेशन की वास्तविक शक्ति है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति बैंकिंग प्रणाली से जुड़ता है और उसका सक्रिय उपयोग करता है, तब आर्थिक विकास की प्रक्रिया अधिक व्यापक और संतुलित बन जाती है।

✍ अमृत रंजन

प्रबन्धक

अंचल कार्यालय, पटना

भाषा जितनी सहज होगी, बैंकिंग उतनी ही समावेशी और प्रभावी बनेगी ।

डिजिटल भुगतान और उपभोक्ता सुरक्षा

पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक व्यवस्था में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है—डिजिटल भुगतान का तेजी से विस्तार। मोबाइल फोन, इंटरनेट और आधुनिक तकनीक के प्रसार ने वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया को अत्यंत सरल, त्वरित और सुविधाजनक बना दिया है। आज किसी दुकान पर खरीदारी करते समय, बिजली या पानी का बिल चुकाते समय, रेल टिकट बुक करते समय या किसी को पैसे भेजते समय नकदी की आवश्यकता पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ही क्लिक के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

डिजिटल भुगतान की यह व्यवस्था केवल तकनीकी सुविधा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आर्थिक परिवर्तन का संकेत भी है। इससे लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ी है, नकदी के उपयोग में कमी आई है और आर्थिक गतिविधियों की गति भी तेज हुई है। साथ ही यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध हुई है।

डिजिटल भुगतान के प्रमुख लाभ

- **त्वरित और सुविधाजनक लेन-देन**
- **नकदी की आवश्यकता में कमी**
- **लेन-देन का सुरक्षित रिकॉर्ड**
- **पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन में वृद्धि**

परंतु डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई है—उपभोक्ता सुरक्षा की। जैसे-जैसे वित्तीय लेन-देन डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होता जा रहा है, वैसे-वैसे साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी और डेटा सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि डिजिटल भुगतान के लाभों के साथ-साथ उपभोक्ता सुरक्षा के पहलुओं को भी गंभीरता से समझा जाए। डिजिटल भुगतान और उपभोक्ता सुरक्षा का यह संबंध आधुनिक वित्तीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। यदि उपभोक्ता सुरक्षित और जागरूक होंगे, तभी डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार स्थायी और विश्वसनीय रूप से संभव हो सकेगा।

डिजिटल भुगतान का अर्थ है ऐसी भुगतान प्रणाली जिसमें धन का लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाता है। इसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, डिजिटल वॉलेट और अन्य ऑनलाइन भुगतान प्रणालियाँ शामिल हैं। इन प्रणालियों के माध्यम से व्यक्ति बिना नकद राशि के भी सुरक्षित और त्वरित लेन-देन कर सकता है। डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह समय और स्थान की सीमाओं को लगभग समाप्त कर देता है। कोई व्यक्ति घर बैठे ही बिल भुगतान, धन अंतरण या ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान से लेन-देन का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है, जिससे वित्तीय प्रबंधन अधिक व्यवस्थित हो जाता है।

डिजिटल भुगतान के प्रसार ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। व्यापार, सेवा क्षेत्र और सरकारी योजनाओं में डिजिटल भुगतान की भूमिका तेजी से बढ़ी है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक, सभी डिजिटल भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराने लगे हैं। इससे ग्राहकों को सुविधा मिलती है और व्यापारियों के लिए लेन-देन अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो जाता है। सरकारी योजनाओं में भी डिजिटल भुगतान का उपयोग बढ़ा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाया जाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और मध्यस्थता की संभावना कम होती है। इस प्रकार डिजिटल भुगतान केवल व्यक्तिगत सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक प्रशासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में भी सहायक है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ता उसमें कितना विश्वास महसूस करते हैं। यदि लोग यह मानते हैं कि उनके लेन-देन सुरक्षित हैं और किसी समस्या की स्थिति में उन्हें उचित संरक्षण मिलेगा, तो वे डिजिटल भुगतान का अधिक उपयोग करेंगे। इसी कारण उपभोक्ता सुरक्षा डिजिटल वित्तीय प्रणाली का एक अनिवार्य तत्व है। उपभोक्ता सुरक्षा का अर्थ है कि डिजिटल लेन-देन के दौरान ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग विवरण और वित्तीय संसाधन सुरक्षित रहें। इसके साथ ही यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि हो जाती है, तो उपभोक्ता को उचित शिकायत निवारण और समाधान की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। डिजिटल भुगतान के साथ साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ गया है। कई बार धोखेबाज नकली वेबसाइट, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक या भ्रामक संदेशों के माध्यम से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। कुछ सामान्य प्रकार की डिजिटल धोखाधड़ी में फिशिंग, ओटीपी धोखाधड़ी, नकली ऐप और ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित ठगी शामिल हैं। इन तरीकों से अपराधी उपभोक्ता की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उनके खातों से धन निकाल लेते हैं। ऐसी घटनाएँ उपभोक्ताओं के विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि लोग डिजिटल लेन-देन करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षा के नियमों का पालन करें।

डिजिटल भुगतान के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। यदि उपभोक्ता यह समझते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी कितनी संवेदनशील है और उसे सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है, तो वे धोखाधड़ी के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, पासवर्ड या पिन जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा संदिग्ध लिंक या संदेशों पर क्लिक करने से बचना चाहिए। डिजिटल भुगतान करते समय केवल विश्वसनीय और प्रमाणित ऐप या वेबसाइट का ही उपयोग करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की असामान्य गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत बैंक या संबंधित संस्था से संपर्क करना चाहिए।

उपभोक्ता अधिकार

- **सुरक्षित और पारदर्शी लेन-देन का अधिकार**
- **धोखाधड़ी की स्थिति में शिकायत दर्ज करने का अधिकार**
- **समयबद्ध समाधान और सहायता प्राप्त करने का अधिकार**
- **वित्तीय जानकारी की गोपनीयता का अधिकार**

उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने में बैंकिंग संस्थाओं और वित्तीय संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें सुरक्षित तकनीकी प्रणालियाँ विकसित करनी चाहिए, ताकि ग्राहकों के डेटा और लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही बैंकों को अपने ग्राहकों को समय-समय पर जागरूक करना भी आवश्यक है। संदेश, ईमेल, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा सकती है। ग्राहक शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था भी उपभोक्ता विश्वास को मजबूत बनाती है।

भविष्य की अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान की भूमिका और भी बढ़ने वाली है। नई तकनीकों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। परंतु तकनीकी प्रगति के साथ-साथ उपभोक्ता जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। जब तकनीक और जागरूकता दोनों का संतुलन होगा, तभी डिजिटल भुगतान प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय बन सकेगी।

डिजिटल भुगतान आधुनिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। यह सुविधा, गति और पारदर्शिता प्रदान करता है तथा आर्थिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित बनाता है। परंतु इस सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। उपभोक्ताओं को डिजिटल लेन-देन करते समय सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। जब उपभोक्ता जागरूक होंगे और संस्थाएँ मजबूत सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगी, तब डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बन सकेगी। यही स्थिति डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्थायी विकास का आधार बनेगी।

✍राम बिलाश बैठा
प्रबन्धक (सुरक्षा)
अंचल कार्यालय, पटना

जागरूक उपभोक्ता ही डिजिटल अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी है।

ग्रामीण भारत में बैंकिंग जागरूकता की भूमिका

भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है—यह कथन केवल एक भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना का यथार्थ भी है। आज भी भारत की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, छोटे व्यवसाय तथा पारंपरिक कारीगरी है। इन गतिविधियों की सफलता केवल श्रम और संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच पर भी निर्भर करती है। यही वह बिंदु है जहाँ **बैंकिंग जागरूकता** की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

बैंकिंग जागरूकता का अर्थ केवल बैंक खाता खोलने या पैसे जमा करने की जानकारी तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक अर्थ यह है कि ग्रामीण नागरिक बैंकिंग सेवाओं, ऋण सुविधाओं, बचत योजनाओं, बीमा, डिजिटल भुगतान और सरकारी वित्तीय योजनाओं के बारे में जानकारी रखें तथा उनका सही और सुरक्षित उपयोग करना जानें। जब यह जागरूकता समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचती है, तब वह केवल आर्थिक व्यवहार को नहीं बदलती, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक परिवर्तन का भी माध्यम बन जाती है। ग्रामीण भारत में बैंकिंग जागरूकता को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लंबे समय तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनौपचारिक वित्तीय व्यवस्थाओं पर निर्भर रही है। गाँवों में महाजन, साहूकार या स्थानीय उधारदाताओं से ऋण लेना एक सामान्य व्यवस्था रही है। हालाँकि इन व्यवस्थाओं ने कुछ हद तक आर्थिक गतिविधियों को सहारा दिया, परंतु कई बार अत्यधिक ब्याज दरों और अनियमित शर्तों के कारण ग्रामीण परिवार आर्थिक संकट में भी फँस जाते थे। ऐसे में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का विस्तार और उसके प्रति जागरूकता ग्रामीण समाज के लिए एक नई दिशा लेकर आई।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बैंकिंग का संबंध

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुआयामी होता है। यहाँ कृषि के साथ-साथ छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ भी चलती रहती हैं। इन सभी गतिविधियों के लिए पूँजी, बचत और निवेश की आवश्यकता होती है। यदि ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं का सही ज्ञान होगा, तो वे अपने आर्थिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। बैंकिंग जागरूकता ग्रामीण परिवारों को यह समझने में मदद करती है कि नियमित बचत कैसे की जाए, आवश्यकता पड़ने पर औपचारिक बैंक से ऋण कैसे लिया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जाए। उदाहरण के लिए, किसान यदि बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा होता है, तो उसे फसल ऋण, बीमा और सब्सिडी जैसी सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं। इसी प्रकार छोटे उद्यमी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं।

जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की भागीदारी बढ़ती है, तो इससे स्थानीय विकास को भी गति मिलती है। बैंक केवल लेन-देन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे बचत को निवेश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

वित्तीय समावेशन और ग्रामीण जागरूकता

पिछले कुछ वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। बैंकिंग सेवाओं को गाँवों तक पहुँचाने के लिए शाखाओं का विस्तार, बैंक मित्र की व्यवस्था, डिजिटल भुगतान प्रणाली और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू की गई हैं। हालाँकि इन प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोग इन सेवाओं के बारे में कितना जानते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों के बैंक खाते तो खुल जाते हैं, परंतु वे खाते निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि उनके उपयोग की जानकारी पर्याप्त नहीं होती। यहीं पर बैंकिंग जागरूकता का महत्व सामने आता है। जब लोगों को यह समझाया जाता है कि बैंक खाता केवल पैसे जमा करने का माध्यम नहीं, बल्कि बचत, भुगतान, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का एक सशक्त साधन है, तब वे बैंकिंग सेवाओं का अधिक सक्रिय उपयोग करने लगते हैं।

बचत की संस्कृति और आर्थिक सुरक्षा

ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से बचत की प्रवृत्ति मौजूद रही है, परंतु यह बचत अक्सर नकद या सोने-चाँदी के रूप में होती थी। बैंकिंग जागरूकता ने इस प्रवृत्ति को एक संगठित दिशा दी है। जब लोग बैंक में बचत करना सीखते हैं, तो उनका धन सुरक्षित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इसके साथ ही बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से बचत पर ब्याज भी प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होती है। बचत की यह संस्कृति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही लाभकारी नहीं होती, बल्कि यह

सामूहिक आर्थिक स्थिरता का भी आधार बनती है। यदि ग्रामीण परिवार नियमित रूप से बचत करते हैं, तो वे आकस्मिक परिस्थितियों—जैसे बीमारी, प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान—का सामना अधिक मजबूती से कर सकते हैं।

ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन

बैंकिंग जागरूकता ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर भी खोलती है। जब उन्हें यह जानकारी होती है कि बैंक से ऋण लेकर छोटे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं, तो वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। स्व-सहायता समूह और महिला समूहों के माध्यम से बैंकिंग से जुड़ाव ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ बचत करती हैं, सामूहिक रूप से ऋण प्राप्त करती हैं और छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ती है, बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास भी विकसित होता है।

डिजिटल बैंकिंग और नई संभावनाएँ

तकनीक के विकास ने बैंकिंग सेवाओं को पहले की तुलना में अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन-देन ने गाँवों में भी वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाई है। हालाँकि डिजिटल बैंकिंग के लाभ तभी मिल सकते हैं जब लोग इसके उपयोग और सुरक्षा के बारे में जागरूक हों। कई बार जानकारी के अभाव में लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बैंकिंग जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि लोगों को यह सिखाया जाए कि डिजिटल भुगतान कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए, ओटीपी और पासवर्ड को गोपनीय क्यों रखा जाए, और संदिग्ध संदेशों से कैसे सावधान रहा जाए, तो डिजिटल बैंकिंग का लाभ अधिक सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

ग्रामीण भारत में बैंकिंग जागरूकता के विस्तार के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है—शिक्षा और जानकारी का अभाव। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वित्तीय अवधारणाओं की समझ सीमित है। दूसरी चुनौती है भाषा और संचार की। यदि बैंकिंग जानकारी जटिल तकनीकी भाषा में दी जाएगी, तो वह आम लोगों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय भाषा और सरल उदाहरणों के माध्यम से चलाए जाएँ। तीसरी चुनौती है विश्वास की कमी। कुछ लोग अभी भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं और पारंपरिक व्यवस्थाओं को ही अधिक सुरक्षित मानते हैं। इस विश्वास को मजबूत बनाने के लिए निरंतर संवाद और मार्गदर्शन आवश्यक है।

✍ राज कुनाल
वरिष्ठ प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

वित्तीय समावेशन और सामाजिक परिवर्तन

आर्थिक विकास की चर्चा जब भी होती है, तो अक्सर उत्पादन, निवेश, उद्योग और व्यापार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किंतु किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि उस विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक किस हद तक पहुँचा है। यदि विकास के अवसर और संसाधन समाज के सीमित हिस्से तक ही सीमित रह जाएँ, तो वह विकास असंतुलित और अधूरा माना जाता है। इसी संदर्भ में "वित्तीय समावेशन" की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है।

वित्तीय समावेशन का अर्थ है—समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक सुलभ, किफायती और सुरक्षित पहुँच उपलब्ध कराना। इसमें बचत खाता, ऋण सुविधा, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाएँ शामिल होती हैं। जब समाज का प्रत्येक नागरिक इन सेवाओं का उपयोग कर पाता है, तब आर्थिक संसाधनों का प्रवाह व्यापक रूप से फैलता है और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में वित्तीय समावेशन केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह व्यवस्था समाज के उन वर्गों को भी आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करती है, जो लंबे समय तक बैंकिंग प्रणाली से दूर रहे हैं। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य केवल बैंक खाते खोलना नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसी आर्थिक क्षमता प्रदान करना है जिससे वे अपने जीवन की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें, भविष्य के लिए बचत कर सकें और संकट के समय आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें।

वित्तीय समावेशन का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज का कोई भी व्यक्ति बैंकिंग सेवाओं से वंचित न रहे। लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएँ आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। परिणामस्वरूप उन्हें अपनी छोटी-छोटी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में वित्तीय समावेशन की नीति ने एक नई दिशा प्रदान की। इसके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को गाँवों, छोटे कस्बों और समाज के वंचित वर्गों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। जब कोई व्यक्ति बैंकिंग प्रणाली से जुड़ता है, तो उसके लिए कई नए अवसर खुलते हैं। वह सुरक्षित बचत कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त कर सकता है और विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लाभ उठा सकता है।

वित्तीय समावेशन का प्रभाव केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता है। जब लोगों को औपचारिक वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध होती हैं, तो उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान को समय पर और उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, तो वह बेहतर बीज, उर्वरक और तकनीक का उपयोग कर सकता है। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार छोटे व्यवसायी यदि बैंकिंग सहायता प्राप्त करते हैं, तो वे अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय समावेशन आर्थिक अवसरों का विस्तार करता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देता है।

वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों में बचत की आदत भी विकसित होती है। जब किसी व्यक्ति के पास बैंक खाता होता है, तो वह अपनी छोटी-छोटी बचत को सुरक्षित रूप से जमा कर सकता है। बचत केवल भविष्य की योजना का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सुरक्षा का भी आधार है। आकस्मिक परिस्थितियों—जैसे बीमारी, प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट—के समय यही बचत व्यक्ति को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली में बचत जमा होने से देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है, क्योंकि यही बचत आगे चलकर निवेश और विकास के लिए संसाधन बनती है।

वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी है। जब महिलाओं के पास अपना बैंक खाता होता है और वे वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर पाती हैं, तो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने लगती हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ती है, बल्कि परिवार और समाज में उनकी भूमिका भी अधिक सशक्त होती है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आधुनिक तकनीक ने वित्तीय समावेशन को नई गति प्रदान की है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएँ अब दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुँचने लगी हैं। जहाँ पहले बैंक शाखा तक पहुँचना कठिन था, वहाँ अब मोबाइल फोन

के माध्यम से भी वित्तीय सेवाओं का उपयोग संभव हो गया है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है तथा लोगों को अधिक सुविधा मिलती है। हालाँकि इसके साथ यह भी आवश्यक है कि लोगों को डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाए, ताकि वे इन सेवाओं का सुरक्षित उपयोग कर सकें।

वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करता है —

1. बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुँच
2. सुरक्षित बचत और ऋण की सुविधा
3. आर्थिक अवसरों का विस्तार
4. सामाजिक समानता और आत्मनिर्भरता

वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव और तकनीकी संसाधनों की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याएँ इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कई बार लोग बैंकिंग सेवाओं के लाभों से पूरी तरह परिचित नहीं होते, जिसके कारण वे उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इन चुनौतियों का समाधान जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और बेहतर तकनीकी अवसंरचना के माध्यम से किया जा सकता है। जब समाज के विभिन्न वर्ग इन सेवाओं के महत्व को समझेंगे, तब वित्तीय समावेशन का लक्ष्य और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकेगा।

वित्तीय समावेशन केवल बैंकिंग सेवा का विस्तार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन की एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह व्यवस्था समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक अवसरों से जोड़ने का प्रयास करती है और विकास के लाभों को अधिक व्यापक बनाती है। जब लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हैं, तो वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह व्यवस्था एक ऐसे समाज की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है जहाँ अवसर, संसाधन और प्रगति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हों।

✍नीरज कुमार
प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

वित्तीय समावेशन केवल आर्थिक सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वयं सहायता समूह - सामुदायिक सहयोग और विश्वास

भारतीय समाज में सामूहिकता और सहयोग की परंपरा बहुत पुरानी रही है। गाँवों में एक-दूसरे की सहायता करना, संकट के समय साथ खड़े रहना और सामूहिक प्रयासों से समस्याओं का समाधान निकालना हमारी सामाजिक संरचना का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। इसी सामूहिक भावना को आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में एक व्यवस्थित स्वरूप मिला—स्वयं सहायता समूह के रूप में। स्वयं सहायता समूह केवल बचत और ऋण की व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। विशेष रूप से महिलाओं के बीच इन समूहों ने आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामुदायिक नेतृत्व की भावना को मजबूत किया है।

आज के समय में जब वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेशन जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, तब स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। ये समूह न केवल लोगों को बचत और बैंकिंग की आदत सिखाते हैं, बल्कि उन्हें वित्तीय निर्णय लेने, अपने अधिकारों को समझने और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह समाज के उस वर्ग को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बनते हैं, जो लंबे समय तक औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से दूर रहा है।

स्वयं सहायता समूह सामान्यतः 10 से 20 व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है, जो समान सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और नियमित रूप से बचत करने तथा आवश्यकता पड़ने पर एक-दूसरे को ऋण देने के उद्देश्य से संगठित होते हैं। इन समूहों का संचालन लोकतांत्रिक ढंग से किया जाता है। सदस्य नियमित बैठकों में भाग लेते हैं, अपनी बचत जमा करते हैं और समूह के सामूहिक निर्णय के आधार पर ऋण वितरण किया जाता है। धीरे-धीरे जब समूह की वित्तीय गतिविधियाँ व्यवस्थित होने लगती हैं, तो बैंकिंग संस्थाएँ भी इन समूहों के साथ जुड़ जाती हैं। बैंक इन समूहों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार संभव हो पाता है। स्वयं सहायता समूहों की यह व्यवस्था छोटे स्तर पर आर्थिक प्रबंधन और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करती है।

स्वयं सहायता समूह की प्रमुख विशेषताएँ

1. नियमित बचत की व्यवस्था
2. सामूहिक निर्णय और पारदर्शिता
3. आवश्यकता पड़ने पर छोटे ऋण की सुविधा
4. सामुदायिक सहयोग और विश्वास

वित्तीय साक्षरता का अर्थ है—धन के प्रबंधन, बचत, निवेश और सुरक्षित लेन-देन के बारे में सही जानकारी और समझ होना। समाज के अनेक वर्ग लंबे समय तक इन विषयों से अपरिचित रहे हैं। स्वयं सहायता समूह इस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब समूह की बैठकें होती हैं, तो उनमें केवल बचत और ऋण की चर्चा ही नहीं होती, बल्कि बैंकिंग प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सुरक्षा के बारे में भी जानकारी साझा की जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सदस्य धीरे-धीरे बैंकिंग प्रणाली को समझने लगते हैं। वे यह जान पाते हैं कि बैंक खाता कैसे संचालित किया जाता है, ऋण कैसे लिया जाता है और किस प्रकार बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह वित्तीय साक्षरता को व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से विकसित करते हैं।

आज के समय में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ उपभोक्ता संरक्षण का महत्व भी बढ़ गया है। वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते समय यदि उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, तो वह धोखाधड़ी या गलत निर्णय का शिकार हो सकता है। स्वयं सहायता समूह इस संदर्भ में एक सामूहिक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। समूह के सदस्य एक-दूसरे को सावधान करते हैं, अनुभव साझा करते हैं और सुरक्षित वित्तीय व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि किसी सदस्य को बैंकिंग सेवा से संबंधित कोई समस्या आती है, तो समूह के अन्य सदस्य उसकी सहायता करते हैं और समाधान खोजने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार समूह केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम नहीं है, बल्कि यह वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मंच बन जाता है।

भारत में स्वयं सहायता समूहों का सबसे व्यापक प्रभाव महिलाओं के जीवन में देखा गया है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों महिलाएँ इन समूहों से जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। जब महिलाएँ नियमित रूप से बचत करती हैं और समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त कर पाती हैं, तो उनके भीतर आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। वे छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देती हैं और परिवार की आय में योगदान करती हैं। इसके साथ ही समूह की बैठकों में भाग लेने से महिलाओं का सामाजिक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बनते हैं। वित्तीय साक्षरता और

उपभोक्ता संरक्षण की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि जानकारी ऐसी भाषा में दी जाए जिसे लोग आसानी से समझ सकें, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग अपनी मातृभाषा या हिन्दी के माध्यम से ही जानकारी को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। स्वयं सहायता समूहों की बैठकों में संवाद सामान्यतः स्थानीय भाषा या सरल हिन्दी में होता है। इससे बैंकिंग और वित्तीय विषयों की जटिल जानकारी भी सरल रूप में समझाई जा सकती है। सदस्य बिना झिझक प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इस प्रकार हिन्दी और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग वित्तीय साक्षरता को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्वयं सहायता समूह बैंक और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। कई बार बैंकिंग सेवाओं तक सीधे पहुँच बनाना लोगों के लिए कठिन होता है। ऐसी स्थिति में समूह के माध्यम से बैंकिंग संस्थाएँ लोगों तक पहुँचती हैं। समूह के सदस्य बैंक से जुड़ते हैं, खाते खोलते हैं और ऋण सुविधा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाती है और समाज के अधिक से अधिक लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ती है।

स्वयं सहायता समूहों की सफलता के बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। कई बार वित्तीय प्रबंधन की जानकारी का अभाव, नियमित बैठकों में भागीदारी की कमी या प्रशिक्षण के अवसरों की कमी समूहों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। इन चुनौतियों का समाधान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वित्तीय साक्षरता अभियानों और बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से किया जा सकता है। यदि समूहों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहे, तो वे समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

स्वयं सहायता समूह आधुनिक भारत में सामुदायिक सहयोग और आर्थिक सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण हैं। वे केवल बचत और ऋण की व्यवस्था नहीं हैं, बल्कि वे वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इन समूहों के माध्यम से लोग बैंकिंग सेवाओं को समझते हैं, आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनते हैं। विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भरता की नई राह खोलते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह एक ऐसे समाज की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हैं जहाँ आर्थिक अवसर, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान सभी के लिए उपलब्ध हों।

✍रवि शंकर
वरिष्ठ प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

जब लोग मिलकर बचत करते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं, तब विकास की राह भी सामूहिक हो जाती है ।

राजभाषा ज्ञान प्रश्नावली

प्रश्न	उत्तर
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है?	अनुच्छेद 343
संघ की राजभाषा हिन्दी किस लिपि में लिखी जाती है?	देवनागरी लिपि
राजभाषा नियम, 1976 किससे संबंधित हैं?	राजभाषा के प्रयोग के नियमों से
अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है?	राजभाषा पर आयोग और संसदीय समिति
अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है?	हिन्दी भाषा के विकास के निर्देश से
राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्र सरकार का प्रमुख विभाग कौन-सा है?	राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कार्यालयीन कार्य में "नोटिंग" का क्या अर्थ है?	फाइल पर विचार/टिप्पणी लिखना
"ड्राफ्टिंग" से क्या आशय है?	पत्र या आदेश का प्रारूप तैयार करना
हिन्दी पखवाड़ा किस अवधि में मनाया जाता है?	14 सितंबर से 28 सितंबर तक
राजभाषा कार्यान्वयन के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट किसे भेजी जाती है?	उच्च कार्यालय/मुख्यालय एवं राजभाषा विभाग को
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 का संबंध किससे है?	संसद में प्रयुक्त भाषा से
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 का संबंध किससे है?	राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा से
अनुच्छेद 348 किन विषयों से संबंधित है?	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधेयकों/अधिनियमों की भाषा से

राजभाषा का प्रभावी प्रयोग ही प्रशासन को जन-भाषा से जोड़ता है।

छवि संग्रह

यूको बैंक :: समाचार पत्रों में

यूको बैंक के स्थापना दिवस पर नयी शाखाओं का उद्घाटन

पटना/संवाददाता। मंगलवार को यूको बैंक के पटना अंचल कार्यालय में बैंक का 84वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पटना के तारामंडल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक दायित्वों के तहत बैंक द्वारा पटना साहिब गुरुद्वारा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए हीटर प्रदान किए गए। इसके साथ ही पटना स्थित उमंग नामक वृद्धाश्रम में जरूरतमंद बुजुर्गों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। बैंक से सेवानिवृत्त स्टॉफ सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में केक काटा गया तथा बैंक के प्रति उनके योगदान, सेवा और समर्पण को याद किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही, मुफ्त स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था की गयी। 84वें स्थापना दिवस के मौके पर यूको बैंक द्वारा बगहा, बाढ़ और राजगीर में तीन नयी शाखाओं का उद्घाटन भी किया गया। इन नयी शाखाओं के माध्यम से जहां एक ओर बैंक अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय समावेशन को और अधिक मजबूती मिलेगी।

मुजफ्फरपुर| यूको बैंक, पटना अंचल के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर में एसएचजी वित्तीय सशक्तीकरण कार्यक्रम हुआ । यूको बैंक प्रधान कार्यालय से मुख्य

बैंक के कार्यपालक निदेशक ने किया

के कार्यक्रम में शामिल कार्यपालक निदेशक।

यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक विजय कुमार एन. कांबले ने शनि का दौरा किया। उन्होंने अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों दे द बैठक की। अंचल प्रमुख मोतीलाल बानोत ने स्वागत किया औ प्रगति की जानकारी दी। श्री कांबले ने बैंक की मजबूती, आर्थिक बेहतर ग्राहक सेवा और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने पर जो

वा और आर्थिक विकास प्राथमिकता

स्वागत संबोधन से हुई। श्री बानोत ने उन्हें पटना अंचल की वर्तमान कारोबारी उपलब्धियों, प्रगति और भविष्य के लक्ष्यों से अवगत कराया। अपने संबोधन में कार्यपालक निदेशक बैंक की आर्थिक भूमिका सभी स्टॉ कि वे प्रगति में कांबले ने बेहतर, सेवाएं प्रतिबद्धत बैंकिंग

बैंक की ओर से ऋण प्रदान करते अधिकारी । सौ. बैंक

पटना, (बि.): पटना अंचल के यूको बैंक के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर में एसएचजी वित्तीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंक के कार्यपालक निदेशक विजय कुमार एन कांबले, पटना अंचल प्रबंधक मोतीलाल बानोत, जीविका के डीपीएम अनीषा और मनीष कुमार मौजूद रहे। बैंक की ओर से जीविका से जुड़े विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को 90 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत की गई। इसका चेक बैंक के कार्यपालक निदेशक ने जीविका के अधिकारियों को दिया। प्रत्येक लाभार्थी समूह को 10 लाख रुपये का चेक दिया गया। इस दौरान कई उद्यमियों को ऋण की स्वीकृति देते हुए चेक प्रदान किया गया। विजय कुमार एन कांबले ने कहा कि बैंक ग्रामीण

बैंकिंग सेवाओं से आत्मनिर्भर हो रहीं जीविका दीदियां : उपमहाप्रबंधक

यूको बैंक की नई शाखा का उद्घाटन करते उप महाप्रबंधक, अंचल प्रमुख एवं अन्य.

राजगीर. मंगलवार को पर्यटक शहर राजगीर में यूको बैंक की नई शाखा का उद्घाटन उपमहाप्रबंधक विमलेश कुमार पाण्डेय एवं पटना अंचल प्रमुख मोती लाल बानोत द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया. यह शाखा नालंदा जिले की दूसरी तथा पटना जोन की 88वीं शाखा है. उद्घाटन समारोह में बैंक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. इस अवसर पर उप महाप्रबंधक विमलेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि यूको बैंक का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न बैंकिंग योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है. बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए समाज हुए कहा कि बैंक द्वारा उन्हें ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें. उन्होंने आगे कहा कि देश और प्रदेश के विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ग्रामीण और शहरी

यूको बैंक के ८४वें स्थापना दिवस पर सामाजिक सरोकार और नयी शाखाओं का उद्घाटन

पटना (आसंसे)। मंगलवार से यूको बैंक के पटना अंचल कार्यालय में बैंक का ८४वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसरपर तारामंडल परिसर में पौधारोपण का आयोजन किया गया। बैंक द्वारा पटना साहिब गुरुद्वारा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए हीटर प्रदान किए गए। इसके साथ ही पटना स्थित उमंग नामक वृद्धाश्रम में जरूरतमंद बुजुर्गों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। बैंक से सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति में केक काटा गया तथा बैंक के प्रति उनके योगदान, सेवा और समर्पण को याद किया गया। स्थापना दिवस के अवसरपर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही मुफ्त स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था की गयी।

स्थापना दिवस के मौके पर यूको बैंक द्वारा बगहा, बाढ़ और राजगीर में तीन नयी शाखाओं का उद्घाटन भी किया गया। इन

दैनिक भास्कर — बिहारशरीफ भास्कर 25-03-2026

यूको बैंक की नई शाखा का उद्घाटन

राजगीर| यूको बैंक की नई शाखा का मंगलवार को उद्घाटन उप महाप्रबंधक विमलेश कुमार पाण्डेय व अंचल प्रमुख मोती लाल बानोत ने किया। अधिकारियों ने कहा कि बैंक का लक्ष्य सरकारी योजनाओं समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राजगीर जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल में शाखा खुलने से पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, साथ ही विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा शुरू करने की

वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा - आत्मनिर्भरता और सम्मान

मानव जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें प्रत्येक चरण अपने साथ नई जिम्मेदारियाँ और नई चुनौतियाँ लेकर आता है। युवावस्था में व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए परिश्रम करता है, परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाता है और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। समय के साथ जब वह जीवन के उस पड़ाव पर पहुँचता है जिसे हम वरिष्ठ नागरिकों का चरण कहते हैं, तब उसकी प्राथमिकताएँ बदलने लगती हैं। इस अवस्था में आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान जीवन के महत्वपूर्ण आधार बन जाते हैं। ऐसे समय में **वित्तीय सुरक्षा** का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। यदि वरिष्ठ नागरिकों के पास आर्थिक रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन की व्यवस्था हो, तो वे अपने जीवन के इस चरण को अधिक सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। इसके विपरीत यदि वित्तीय असुरक्षा हो, तो जीवन का यह शांतिपूर्ण काल भी चिंता और असुरक्षा से भर सकता है। आज के बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा केवल व्यक्तिगत योजना का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और नीतिगत चिंता का विषय भी बन चुकी है। संयुक्त परिवारों की संरचना में परिवर्तन, जीवनयापन की बढ़ती लागत और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं ने इस विषय को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे परिदृश्य में वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सरल भाषा में बैंकिंग जानकारी का प्रसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जब उन्हें अपने अधिकारों, उपलब्ध योजनाओं और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार की जानकारी होती है, तब वे अपनी आर्थिक सुरक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सकते हैं।

पिछले कुछ दशकों में समाज की संरचना और आर्थिक व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। पहले संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित होती थी। परिवार के सदस्य एक-दूसरे की जिम्मेदारियाँ साझा करते थे और बुजुर्गों को आर्थिक चिंता अपेक्षाकृत कम होती थी। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण और रोजगार के बदलते स्वरूप के कारण पारिवारिक संरचना में बदलाव आया है। कई वरिष्ठ नागरिक अब स्वतंत्र रूप से या छोटे परिवारों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक सुरक्षा का आधार अधिकतर उनकी व्यक्तिगत बचत, पेंशन और निवेश पर निर्भर हो गया है। इसी कारण वित्तीय योजना और जागरूकता का महत्व इस आयु वर्ग के लिए और अधिक बढ़ गया है। यदि व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान सही वित्तीय योजना बनाता है, तो वह अपने वृद्धावस्था के वर्षों को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बना सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय योजना के आधार

1. **नियमित बचत और निवेश**
2. **पेंशन और बीमा की व्यवस्था**
3. **स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की योजना**
4. **सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं का उपयोग**

वित्तीय साक्षरता का अर्थ केवल बैंक खाता चलाने की जानकारी तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है—धन के प्रबंधन, बचत, निवेश, बीमा, पेंशन और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार के बारे में समझ विकसित करना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवस्था में नियमित आय के स्रोत सीमित हो सकते हैं। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। यदि वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं, पेंशन योजनाओं और निवेश विकल्पों की सही जानकारी हो, तो वे अपने आर्थिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही वे अनावश्यक जोखिमों से भी बच सकते हैं।

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक कई बार साइबर धोखाधड़ी या भ्रामक संदेशों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों की जानकारी उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्हें यह समझना चाहिए कि बैंक कभी भी फोन या संदेश के माध्यम से गोपनीय जानकारी—जैसे पासवर्ड, पिन या ओटीपी—नहीं मांगते। यदि वरिष्ठ नागरिक इन बुनियादी सुरक्षा नियमों को समझते हैं और सतर्क रहते हैं, तो वे वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

वित्तीय साक्षरता के प्रसार में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कई बार बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी जानकारी जटिल तकनीकी शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, जिससे सामान्य व्यक्ति के लिए उसे समझना कठिन हो जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह

चुनौती और भी अधिक हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि वित्तीय जानकारी सरल और स्पष्ट हिन्दी में उपलब्ध हो। जब बैंकिंग सेवाओं, योजनाओं और सुरक्षा उपायों की जानकारी सरल भाषा में दी जाती है, तो वरिष्ठ नागरिक उसे आसानी से समझ पाते हैं और आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में परिवार, समाज और वित्तीय संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार के सदस्य यदि बुजुर्गों को वित्तीय निर्णयों में सहयोग और मार्गदर्शन दें, तो वे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।

इसके अतिरिक्त बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएँ भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं।

ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल सुरक्षा और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

सुरक्षित बैंकिंग के पाँच महत्वपूर्ण नियम

1. ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी से साझा न करें
2. संदिग्ध कॉल या संदेशों पर विश्वास न करें
3. बैंक खाते की जानकारी नियमित रूप से जाँचें
4. केवल विश्वसनीय ऐप और वेबसाइट का उपयोग करें
5. किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचित करें

वित्तीय सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भरता और सम्मान का अनुभव कराती है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि उसकी आर्थिक आवश्यकताएँ सुरक्षित हैं, तो वह अधिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकता है। आर्थिक सुरक्षा मानसिक शांति और सामाजिक सक्रियता को भी बढ़ावा देती है। वरिष्ठ नागरिक समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय सुरक्षा केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सम्मान से भी जुड़ी हुई है।

वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और जीवन मूल्यों ने समाज की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनके जीवन के इस चरण को सुरक्षित, सम्मानजनक और संतोषपूर्ण बनाया जाए। इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील और समावेशी समाज की पहचान भी है।

✍ कुमार चिरंजीव राय
वरिष्ठ प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

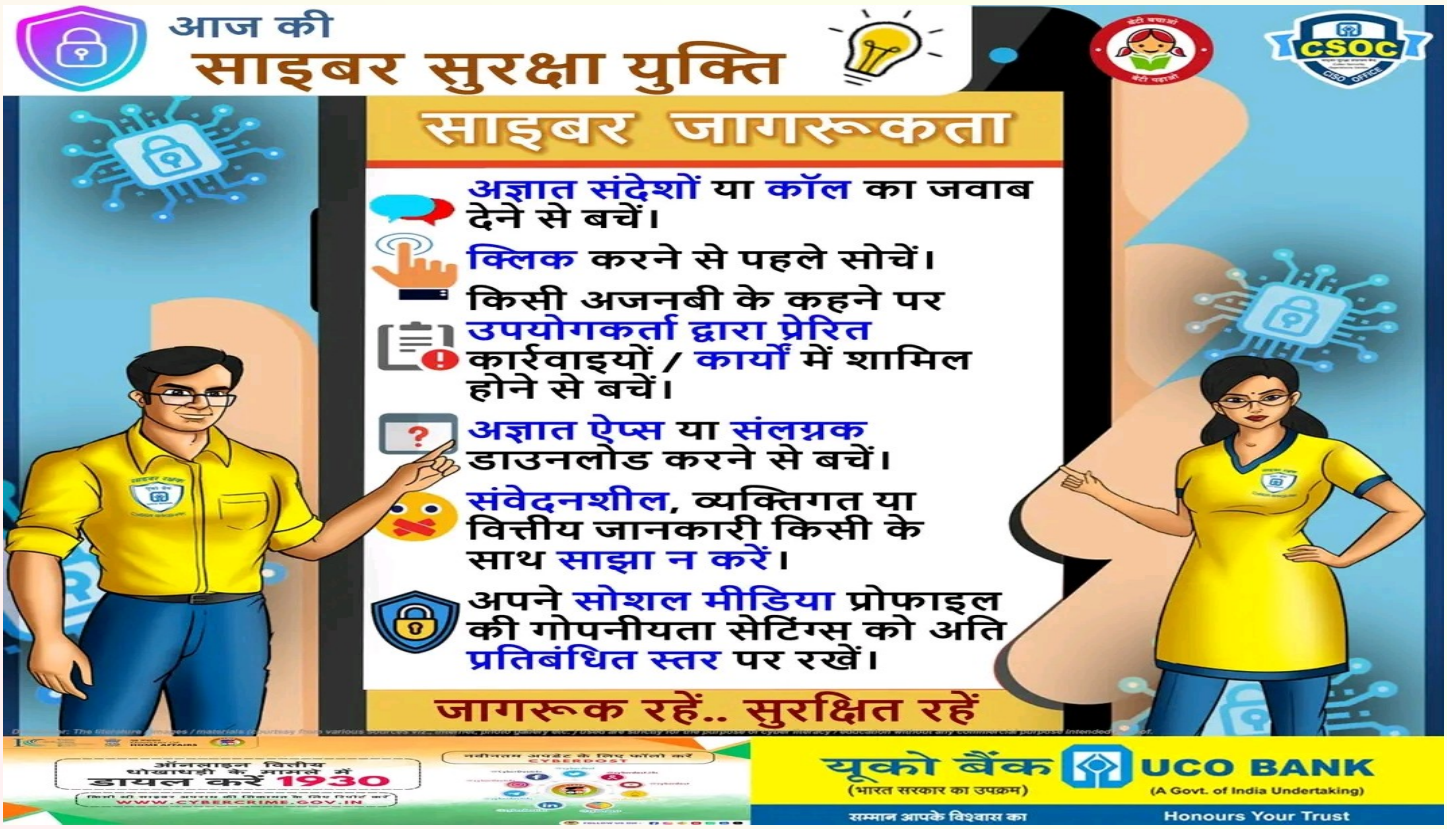

लघु कथा

एक क्लिक का भरोसा

रामेश्वर प्रसाद के लिए शहर हमेशा से एक अनजान-सा संसार रहा था—तेज़, चमकीला और कहीं न कहीं थोड़ा भय पैदा करने वाला। जब उनका बेटा उन्हें गाँव से पटना लेकर आया और बैंक में उनका खाता खुलवाया, तो जाते-जाते उसने उनके हाथ में एक स्मार्टफोन थमा दिया। उसने सहज भाव से कहा कि अब अधिकांश काम मोबाइल से ही जाया करेंगे और यह सब बहुत आसान है। रामेश्वर प्रसाद ने मुस्कुराने की कोशिश तो की, पर भीतर कहीं "आसान" शब्द उन्हें असहज कर गया। उन्हें हमेशा लगता था कि जो चीज़ बहुत आसान बताई जाती है, उसके पीछे कोई न कोई उलझन अवश्य छिपी होती है।

समय धीरे-धीरे बीतता गया और वे शहर की दिनचर्या के साथ स्वयं को ढालने लगे। मोबाइल अभी भी उनके लिए एक रहस्य ही था। कभी किसी बटन को छूते तो कोई अनजाना पन्ना खुल जाता, तो कभी उन्हें डर लगता कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। वे अधिकतर कॉल उठाने तक ही सीमित रहते और बाकी कामों से बचते रहते। एक दिन दोपहर के समय वे घर के बरामदे में बैठे धूप सेंक रहे थे कि तभी उनके मोबाइल पर एक संदेश आया। उसमें लिखा था कि उनका बैंक खाता बंद हो जाएगा और तुरंत केवाईसी अपडेट करना आवश्यक है। नीचे एक लिंक भी दिया गया था। संदेश पढ़ते ही उनके मन में घबराहट भर गई। उन्हें अपनी पेंशन का ध्यान आया और यह चिंता सताने लगी कि यदि खाता बंद हो गया तो उनका गुज़ारा कैसे होगा। बिना अधिक सोचे-समझे उन्होंने लिंक खोल लिया और स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी भरने लगे। इसी बीच उनका फोन बज उठा। दूसरी ओर से एक तेज़ और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ आई जिसने स्वयं को बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि वे केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, इसलिए तुरंत ओटीपी बताना आवश्यक है, अन्यथा खाता बंद हो जाएगा। यह सुनते ही रामेश्वर प्रसाद के हाथ काँपने लगे। उन्होंने घबराकर पूछा कि क्या सचमुच खाता बंद हो जाएगा। उधर से कठोर स्वर में हाँ कहा गया और जल्दी करने के लिए दबाव डाला गया। उसी क्षण उनकी दृष्टि सामने दीवार पर लगे एक छोटे-से पोस्टर पर पड़ी। यह वही पोस्टर था, जिसे उन्होंने बैंक में खाता खुलवाते समय देखा था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि ओटीपी किसी से साझा न करें और बैंक कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगता। वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। उनके भीतर एक संघर्ष चलने लगा—एक ओर डर था और दूसरी ओर वह चेतावनी जो उन्होंने पढ़ी थी। फोन पर आवाज़ लगातार उन्हें जल्दी करने के लिए कह रही थी। आखिरकार उन्होंने गहरी साँस ली और बिना कुछ कहे फोन काट दिया। कुछ देर तक वे वहीं बैठे रहे, जब तक कि उनकी धड़कनें सामान्य नहीं हो गईं। फिर उन्होंने मोबाइल बंद किया, चप्पल पहनी और सीधे बैंक की ओर चल पड़े।

एक गलती, पूरा नुकसान

- "केवाईसी अपडेट" के नाम पर आने वाले लिंक से सावधान रहें
- ओटीपी या बैंक विवरण कभी साझा न करें
- बैंक कभी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगता
- घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है

सोचिए, परखिए, फिर ही क्लिक कीजिए।

बैंक पहुँचकर उन्होंने पूरी बात काउंटर पर बैठे कर्मचारी को बताई। कर्मचारी ने ध्यान से सब सुना और मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है, क्योंकि यह एक धोखाधड़ी का प्रयास था। यह सुनकर रामेश्वर प्रसाद ने राहत की साँस ली, पर उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता उतर आई थी। उन्होंने धीरे से कहा कि उन्हें मोबाइल चलाना भले ही पूरी तरह न आता हो, पर हिन्दी में लिखी बात समझ में आ जाती है। कर्मचारी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

उस दिन के बाद रामेश्वर प्रसाद ने अपने व्यवहार में एक बदलाव महसूस किया। अब जब भी वे बैंक जाते, तो वहाँ उपस्थित लोगों, विशेषकर बुजुर्गों को, सावधान रहने की सलाह देते। वे उन्हें बताते कि किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा न करें, ओटीपी साझा न करें और किसी भी संदेह की स्थिति में सीधे बैंक जाकर जानकारी लें। धीरे-धीरे लोग उन्हें ध्यान से सुनने लगे। कुछ मुस्कुराते, कुछ सहमति में सिर हिलाते, पर सभी उनके अनुभव को महत्व देने लगे। वे अनजाने में ही एक चलते-फिरते जागरूकता संदेश बन गए।

कुछ महीनों बाद एक शाम उनके बेटे का फोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। उसने बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है और किसी ने के नाम पर उसके खाते से पैसे निकाल लिए हैं। यह सुनकर रामेश्वर प्रसाद कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा कि क्या उसने OTP साझा कर दिया था। उधर से धीमी-सी स्वीकृति मिली।

✍भवानी शंकर
प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

"केवाईसी अपडेट" के नाम पर आने वाले लिंक से सावधान रहें।

प्रेरक प्रसंग

एक छोटी-सी पहल

अरुण कुमार एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में कार्यरत अधिकारी थे। उनका स्थानांतरण हाल ही में एक छोटे कस्बे में हुआ था। शहर से दूर यह इलाका अपेक्षाकृत शांत था, पर यहाँ के लोगों के जीवन में एक अलग तरह की जटिलता थी—वे मेहनती थे, ईमानदार थे, पर वित्तीय मामलों में अनभिज्ञ थे। अरुण ने धीरे-धीरे यह महसूस किया कि बैंक यहाँ सिर्फ लेन-देन का केंद्र है, ज्ञान का नहीं। लोग खाते खुलवा तो लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखना है, या डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग कैसे करना है। कई बार ग्राहक सिर्फ हस्ताक्षर कर देते, बिना यह समझे कि वे किस दस्तावेज़ पर सहमति दे रहे हैं।

एक दिन शाखा में एक किसान, रामलाल, घबराया हुआ आया। उसके खाते से कुछ पैसे कट गए थे। वह बार-बार यही कह रहा था कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, फिर भी पैसा कैसे चला गया। अरुण ने धैर्य से पूरी बात सुनी। थोड़ी पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि रामलाल ने किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लिया था, जिससे उसके खाते की जानकारी साझा हो गई थी। रामलाल की आँखों में असहायता थी। वह बोला, "साहब, हम तो पढ़े-लिखे नहीं हैं... हमें कौन समझाएगा?"

यह वाक्य अरुण के मन में कहीं गहराई तक उतर गया। उस दिन उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि बैंकिंग सेवा देना पर्याप्त नहीं है, लोगों को समझाना उससे भी अधिक आवश्यक है।

अगले ही सप्ताह से अरुण ने एक छोटा-सा प्रयास शुरू किया। हर शनिवार को वह बैंक परिसर में दस-पंद्रह लोगों को इकट्ठा करता और बहुत सरल हिन्दी में उन्हें बैंकिंग से जुड़ी बुनियादी बातें समझाने लगा। वह उदाहरण देकर बताता कि ओटीपी क्या होता है, पीआईएन क्यों गोपनीय होता है और किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए।

शुरुआत में लोग संकोच करते थे, पर धीरे-धीरे यह पहल लोकप्रिय होने लगी। महिलाएँ, बुजुर्ग और छोटे दुकानदार भी आने लगे। अरुण ने यह सुनिश्चित किया कि वह किसी जटिल शब्दावली का उपयोग न करे। वह वही भाषा बोलता, जो लोग समझ सकें। कुछ महीनों बाद एक घटना ने इस पहल का महत्व और स्पष्ट कर दिया। एक बुजुर्ग महिला, शांति देवी, बैंक आईं और उन्होंने अरुण को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पास भी एक धोखाधड़ी वाला फोन आया था, पर उन्होंने अरुण की बात याद रखी और किसी भी जानकारी को साझा नहीं किया।

उनकी आँखों में आत्मविश्वास था, जो पहले नहीं था। उन्होंने कहा, "अब डर नहीं लगता, साहब... अब समझ आ गया है।"

अरुण के लिए यह किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी छोटी-सी पहल ने किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। धीरे-धीरे उस कस्बे में एक परिवर्तन दिखने लगा। लोग अब अधिक सतर्क थे, सवाल पूछते थे और बिना समझे किसी बात पर भरोसा नहीं करते थे। बैंक अब सिर्फ एक संस्था नहीं रहा, बल्कि विश्वास और ज्ञान का केंद्र बन गया था। एक दिन जब अरुण शाखा के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और एक-दूसरे को समझा रहे थे कि ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए। वह यह देखकर मुस्कुरा दिया।

उसे समझ आ गया था कि असली बदलाव तब होता है, जब लोग खुद सीखकर दूसरों को सिखाने लगते हैं। उस दिन अरुण ने मन ही मन सोचा कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। कभी-कभी एक छोटी-सी पहल, सही दिशा में उठाया गया एक कदम, पूरे समाज की सोच बदल सकता है। और यही वह क्षण था, जब उसे अपने काम का असली अर्थ समझ आया — सेवा सिर्फ काउंटर के उस पार बैठकर नहीं होती, सेवा तब होती है जब हम किसी को अपने पैरों पर खड़ा होने का विश्वास दे सकें।

✍ अरविंद कुमार
प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

सरल भाषा में संवाद अधिक प्रभावी होता है।

ज्ञान-कोष

डिजिटल बैंकिंग शब्दावली

क्र.सं.	अँग्रेजी शब्द	हिन्दी अर्थ	सरल परिभाषा
1	Financial Literacy	वित्तीय साक्षरता	अपने पैसे को सही ढंग से कमाने, खर्च करने, बचाने और निवेश करने की समझ ही वित्तीय साक्षरता है।
2	Consumer Protection	उपभोक्ता संरक्षण	उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, गलत सेवाओं और अनुचित व्यापारिक व्यवहार से बचाने की व्यवस्था।
3	Grievance Redressal	शिकायत निवारण	किसी संस्था द्वारा समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना।
4	Know Your Customer	अपने ग्राहक को जानो	बैंक द्वारा ग्राहक की पहचान और पते की पुष्टि करने की प्रक्रिया।
5	Fraud	धोखाधड़ी	किसी को गलत जानकारी देकर उसका पैसा या जानकारी हासिल करना।
6	Self Help Group	स्वयं सहायता समूह	लोगों का ऐसा समूह जो मिलकर बचत करता है और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे को ऋण देता है।
7	Business Correspondent	कारोबार प्रतिनिधि	वह व्यक्ति जो बैंक की ओर से दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है।
8	Digital Payment	डिजिटल भुगतान	नकद के बजाय मोबाइल, कार्ड या इंटरनेट से किया गया भुगतान।
9	Interest Rate	ब्याज दर	बैंक द्वारा जमा या ऋण पर दिया या लिया जाने वाला अतिरिक्त धन।
10	Credit Score	साख-अंक	यह एक संख्या होती है जो बताती है कि व्यक्ति ऋण चुकाने में कितना विश्वसनीय है।
11	Insurance	बीमा	भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाव के लिए लिया गया वित्तीय सुरक्षा कवर।
12	Nominee	नामिती	वह व्यक्ति जिसे खाता धारक की मृत्यु के बाद धन प्राप्त करने का अधिकार होता है।
13	Financial Planning	वित्तीय आयोजना	अपने आय-व्यय और भविष्य की जरूरतों के अनुसार धन का सही प्रबंधन करना।
14	Prepayment	पूर्व भुगतान	निर्धारित अवधि से पहले ही ऋण की राशि चुकाना।
15	Penalty	दंड/जुर्माना	नियमों का पालन न करने पर लगाया गया शुल्क।
16	Consumer Rights	उपभोक्ता अधिकार	वे अधिकार जो उपभोक्ता को सुरक्षित, सही और उचित सेवाएं प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं।
17	Right to be Heard	सुनवाई का अधिकार	उपभोक्ता की शिकायतों और सुझावों को उचित मंच पर सुना जाने का अधिकार।
18	Consumer Court	उपभोक्ता न्यायालय	वह न्यायिक मंच जहाँ उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर न्याय प्राप्त कर सकता है।
19	Financial Inclusion	वित्तीय समावेशन	समाज के हर वर्ग, खासकर गरीब और वंचित लोगों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना।
20	Micro Finance	सूक्ष्म वित्त	गरीब और छोटे उद्यमियों को कम राशि का ऋण उपलब्ध कराना।

एक हस्ताक्षर की समझ

संदीप मिश्रा को बैंक में काम करते हुए दस साल से अधिक हो चुके थे। इस दौरान उन्होंने अनगिनत लोगों को आते-जाते देखा था—किसान, मजदूर, शिक्षक, छोटे व्यापारी, छात्र—हर कोई अपने-अपने सपनों और जरूरतों के साथ बैंक की दहलीज़ पर आता था। हर खाते के पीछे एक कहानी होती थी और हर हस्ताक्षर के पीछे एक भरोसा। शहर की एक बड़ी शाखा से उनका स्थानांतरण जब इस कस्बे की शाखा में हुआ था, तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ काम अपेक्षाकृत आसान होगा। पर कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ की चुनौती अलग है। यहाँ लोग मेहनती थे, ईमानदार थे, पर वित्तीय मामलों में अक्सर अनजान थे। वे बैंक पर भरोसा करते थे, लेकिन अपने निर्णयों के प्रति उतने सजग नहीं थे।

संदीप ने कई बार देखा था कि लोग बिना पढ़े ही दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कोई एजेंट के कहने पर बीमा योजना ले लेता, कोई किसी स्कीम में पैसा लगा देता, और बाद में शर्तें समझ में आने पर परेशान हो जाता। उन्हें लगता था कि समस्या सिर्फ जानकारी की कमी नहीं, बल्कि "समझने की आदत" का अभाव है। एक दिन सुबह बैंक में हमेशा की तरह भीड़ थी। काउंटरों पर लंबी कतारें थीं, मशीनों की आवाज़, लोगों की बातचीत और स्टाफ की व्यस्तता—सब मिलकर एक परिचित-सी हलचल पैदा कर रहे थे। उसी बीच एक मध्यम आयु का व्यक्ति, हरिनारायण सिंह, संदीप के काउंटर पर पहुँचा। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी और हाथ में कुछ कागज़।

"साहब, इस पर साइन कर दीजिए... जल्दी है," उसने कागज़ बढ़ाते हुए कहा।

संदीप ने कागज़ लिया और ध्यान से देखने लगे। यह एक बीमा योजना का फॉर्म था, जिसमें कई शर्तें लिखी थीं—प्रीमियम, लॉक-इन अवधि और कुछ सूक्ष्म नियम, जिन्हें समझना आसान नहीं था।

उन्होंने सिर उठाकर पूछा, "आपने इसे पढ़ा है?"

हरिनारायण थोड़ा असहज हो गया। "नहीं साहब... एजेंट ने कहा कि बहुत अच्छा प्लान है... बस साइन कर दीजिए।"

संदीप ने कागज़ मेज पर रखा और शांत स्वर में कहा, "देखिए, बिना समझे किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करना सही नहीं है। इसमें कुछ शर्तें हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।"

हरिनारायण ने झिझकते हुए कहा, "साहब, हम इतना सब नहीं समझते... आप ही बता दीजिए।"

संदीप ने धैर्यपूर्वक फॉर्म उठाया और उसे सरल हिन्दी में समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि हर महीने कितना प्रीमियम देना होगा, कितने वर्षों तक देना होगा और अगर बीच में योजना बंद करनी पड़ी तो क्या नुकसान होगा। उन्होंने यह भी समझाया कि एजेंट ने जो फायदे बताए हैं, वे किन शर्तों पर निर्भर हैं।

जैसे-जैसे बात स्पष्ट होती गई, हरिनारायण का चेहरा बदलने लगा। उसकी आँखों में पहले जो जल्दबाज़ी थी, उसकी जगह अब सोच ने ले ली थी।

"अरे, इसका मतलब अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ी, तो नुकसान हो जाएगा?" उसने चिंता से पूछा।

"हाँ," संदीप ने कहा, "और यह बात आपको पहले से समझनी चाहिए थी। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूरी है।"

हरिनारायण कुछ देर चुप रहा। उसने कागज़ को देखा, फिर धीरे से मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया।

"साहब, आज साइन नहीं करेंगे। पहले घर जाकर परिवार से बात करेंगे।"

संदीप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "यही सही तरीका है।"

यह घटना छोटी थी, पर संदीप के मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि बैंकिंग का असली काम सिर्फ प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि लोगों को सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना है।

अगले दिन से उन्होंने एक छोटा-सा प्रयोग शुरू किया। जो भी ग्राहक उनके पास आता, वे उससे कहते—"पहले समझिए, फिर साइन कीजिए।" वे दस्तावेज़ों के जटिल शब्दों को सरल हिन्दी में समझाते। कभी-कभी वे उदाहरण भी देते—खेती, घर के खर्च या रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए, ताकि बात सीधे दिल तक पहुँचे। धीरे-धीरे इसका असर दिखने लगा। लोग अब सवाल पूछने लगे थे। वे सिर्फ यह नहीं पूछते थे कि "कहाँ साइन करना है?", बल्कि यह भी पूछते थे कि "इसका मतलब क्या है?" बैंक का वातावरण बदलने लगा था। वहाँ अब केवल लेन-देन नहीं, बल्कि संवाद और समझ का माहौल बनने लगा था।

कुछ सप्ताह बाद हरिनारायण फिर बैंक आया। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने संदीप को देखते ही मुस्कुराकर कहा, "साहब, उस दिन आपने जो समझाया था, उससे बहुत फायदा हुआ। हमने वह योजना नहीं ली... और बाद में पता चला कि वह हमारे लिए सही भी नहीं थी।"

वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, "अब हम किसी भी कागज़ पर साइन करने से पहले पढ़ते हैं... और समझते भी हैं। घर में भी सबको यही बताते हैं।"

संदीप ने उसकी बात सुनकर संतोष की साँस ली। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का बदलाव नहीं है, बल्कि एक सोच का परिवर्तन है। शाम को जब बैंक बंद होने वाला था, संदीप ने अपनी डायरी खोली। वे अक्सर दिन के अंत में कुछ न कुछ लिखते थे—एक अनुभव, एक विचार, या कोई सीख। उस दिन उन्होंने लिखा— "आज एक हस्ताक्षर रुका... और एक समझ शुरू हुई।"

उन्होंने कलम रख दी और कुछ देर उस पंक्ति को देखते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि यही उनके काम का असली उद्देश्य है।

धीरे-धीरे उनकी यह आदत पूरे स्टाफ में फैलने लगी। अन्य कर्मचारी भी ग्राहकों को समझाने लगे। शाखा में एक छोटा-सा बोर्ड भी लगाया गया— **"बिना समझे हस्ताक्षर न करें।"**

लोग अब उस बोर्ड को पढ़ते, रुकते, और फिर काउंटर पर आकर सवाल पूछते। यह बदलाव धीरे था, पर स्थायी था।

संदीप को अब यह स्पष्ट हो गया था कि वित्तीय साक्षरता केवल जानकारी देने से नहीं आती, बल्कि समझ विकसित करने से आती है। और यह समझ तब सबसे प्रभावी होती है, जब वह सरल भाषा में दी जाए—ऐसी भाषा, जो हर व्यक्ति की अपनी हो।

उस दिन के बाद उनकी डायरी में कई पन्ने भरते गए, पर वह एक पंक्ति हमेशा सबसे खास रही— क्योंकि उन्होंने देखा था कि कभी-कभी एक छोटा-सा "रुकना" ही किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है, और एक साधारण-सा हस्ताक्षर भी तब तक अधूरा है, जब तक उसके पीछे समझ न हो।

✍राहुल सिन्हा
वरिष्ठ प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

वित्तीय साक्षरता आ उपभोक्ता संरक्षण : समाजक नव दिशा

मानव जीवनक आर्थिक पक्ष सदिखन महत्वपूर्ण रहल अछि। दैनिक जीवनक आवश्यकतासँ लऽ कऽ भविष्यक योजना धरि सब किछु आर्थिक निर्णय पर निर्भर करैत अछि। एहि कारण सँ आवश्यक भऽ गेल अछि जे समाजक प्रत्येक व्यक्ति वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग सेवा आ आर्थिक सुरक्षा सँ जुड़ल मूलभूत जानकारी रखय। पिछला किछु दशकमे भारतमे बैंकिंग व्यवस्था तेजी सँ विस्तार भेल अछि। डिजिटल तकनीक, मोबाइल बैंकिंग आ ऑनलाइन भुगतान जेकाँ सुविधा लोकक जीवनकेँ आसान बना देलक अछि। मुदा सुविधा संग-संग जिम्मेदारी सेहो आबि गेल अछि। जँ व्यक्ति बैंकिंग सेवा आ वित्तीय निर्णयक बारेमे पर्याप्त जानकारी नहि रखैत अछि, तँ ओ कई बेर आर्थिक समस्या अथवा धोखाधड़ीक शिकार भऽ सकैत अछि।

एहि परिप्रेक्ष्य मे वित्तीय साक्षरता आ उपभोक्ता संरक्षण दूटा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनि गेल अछि। वित्तीय साक्षरता लोककेँ आर्थिक निर्णय लेबाक समझ प्रदान करैत अछि, जबकि उपभोक्ता संरक्षण ओहि अधिकार सभकेँ सुरक्षित करैत अछि जे बैंकिंग अथवा वित्तीय सेवा उपयोग करैत समय व्यक्ति केँ प्राप्त होइत अछि। आजुक समयमे एहि विषयक चर्चा केवल आर्थिक नीति तक सीमित नहि रहल अछि, बल्कि ई सामाजिक विकासक एक महत्वपूर्ण अंग बनि गेल अछि। जखन समाजक सामान्य नागरिक वित्तीय व्यवस्था के समझैत अछि आ अपन अधिकार के पहचानैत अछि, तखन ओ अधिक आत्मविश्वास संग आर्थिक गतिविधि मे भाग लैत अछि। एहि प्रक्रिया मे भाषा सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि। जँ जानकारी सरल भाषा मे उपलब्ध हो, तखन ओ अधिक लोक धरि पहुँचैत अछि। हिन्दी आ क्षेत्रीय भाषा जेकाँ मैथिली मे वित्तीय विषयक जानकारी उपलब्ध होए, तखन समाजक व्यापक वर्ग एहि विषयक समझ विकसित कऽ सकैत अछि।

वित्तीय साक्षरता क अर्थ अछि—धन प्रबंधन, बचत, निवेश, बैंकिंग सेवा आ सुरक्षित आर्थिक व्यवहार के बारे मे सही जानकारी राखब। सामान्य रूप सँ लोक बैंक खाते के उपयोग करैत छथि, मुदा बहुत बेर बैंकिंग व्यवस्था के विस्तृत जानकारी हुनका पास नहि होइत अछि। परिणामस्वरूप ओ अपन आर्थिक संसाधन के सही रूप सँ उपयोग नहि कऽ पबैत छथि। वित्तीय साक्षरता लोककेँ ई समझ प्रदान करैत अछि जे बचत कियैक जरूरी अछि, ऋण के सही उपयोग कइसे कएल जाए आ भविष्यक योजना कइसे बनाओल जाए। जखन समाज मे वित्तीय साक्षरता बढ़ैत अछि, तखन आर्थिक अनुशासन सेहो मजबूत होइत अछि। लोक अनावश्यक खर्च सँ बचैत अछि आ अपन भविष्य सुरक्षित करबाक प्रयास करैत अछि।

वित्तीय साक्षरताक लाभ

1.धन प्रबंधनक बेहतर समझ
2.सुरक्षित बचत आ निवेश
3.आर्थिक निर्णय लेबाक क्षमता
4.भविष्यक वित्तीय सुरक्षा

बैंकिंग व्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था क महत्वपूर्ण आधार अछि। बचत खाता, ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान, बीमा आ पेंशन जेकाँ सेवा समाजक आर्थिक जीवन के अधिक व्यवस्थित बनबैत अछि। पहिने ग्रामीण क्षेत्र आ दूरस्थ इलाका मे बैंकिंग सुविधा सीमित छल। बहुत लोक बैंकिंग प्रणाली सँ बाहर रहल छल। मुदा आब परिस्थिति बदलि रहल अछि। बैंकिंग सेवा धीरे-धीरे समाजक अंतिम व्यक्ति धरि पहुँच रहल अछि। एहि परिवर्तन सँ समाजक आर्थिक गतिविधि मे गति आबि रहल अछि। लोक सुरक्षित बचत कऽ रहल अछि, छोटे व्यवसाय शुरू कऽ रहल अछि आ आर्थिक रूप सँ अधिक आत्मनिर्भर बनि रहल अछि।

जखन कोनो व्यक्ति बैंकिंग सेवा उपयोग करैत अछि, तखन ओ एक उपभोक्ता बनैत अछि। एहि स्थिति मे ओकर किछु अधिकार होइत अछि जे सुनिश्चित करैत अछि जे ओकर संग निष्पक्ष व्यवहार हो। उपभोक्ता संरक्षण क अर्थ अछि—ग्राहक केँ सुरक्षित सेवा, स्पष्ट जानकारी आ शिकायत समाधान क सुविधा प्राप्त हो। कई बेर वित्तीय लेन-देन के दौरान तकनीकी त्रुटि अथवा अन्य समस्या आबि सकैत अछि। जँ ग्राहक अपन अधिकार के बारे मे जागरूक होएत, तँ ओ आसानी सँ अपन समस्या के समाधान कऽ सकैत अछि। एहि कारण सँ आवश्यक अछि जे बैंकिंग सेवा के उपयोग करैत समय ग्राहक जागरूक रहय आ अपन अधिकार के समझय।

आजुक समय डिजिटल बैंकिंग क समय अछि। मोबाइल फोन सँ पैसा भेजब, बिल भुगतान करब अथवा ऑनलाइन खरीदारी करब सामान्य बात बनि गेल अछि। मुदा डिजिटल सुविधा संग-संग साइबर सुरक्षा क प्रश्न सेहो महत्वपूर्ण बनि गेल अछि। कई बेर फर्जी संदेश, फोन कॉल अथवा संदिग्ध लिंक के माध्यम सँ धोखाधड़ी करबाक प्रयास कएल जाइत अछि। एहि स्थिति मे वित्तीय साक्षरता लोककेँ सावधान रहबाक सीख दैत अछि। जँ व्यक्ति सतर्क रहत, तखन ओ एहन धोखाधड़ी सँ बचि सकैत अछि।

वित्तीय जानकारी के प्रभावी प्रसार लेल भाषा क सरलता अत्यंत आवश्यक अछि। जँ बैंकिंग विषयक जानकारी कठिन शब्दावली मे होएत, तँ सामान्य व्यक्ति के लेल ओकरा समझब कठिन भऽ सकैत अछि। मैथिली जेकाँ क्षेत्रीय भाषा में जानकारी उपलब्ध होए सँ लोक अधिक

सहजता सँ वित्तीय विषय के समझैत छथि। भाषा केवल संवाद क माध्यम नहि अछि, बल्कि ज्ञान के प्रसार क शक्तिशाली साधन सेहो अछि। जखन वित्तीय जानकारी स्थानीय भाषा मे उपलब्ध होइत अछि, तखन ओकर प्रभाव समाज मे अधिक व्यापक होइत अछि।

वित्तीय साक्षरता केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहि अछि। ई समाजक आर्थिक संरचना के सेहो मजबूत बनबैत अछि। जखन लोक बचत करैत अछि, निवेश करैत अछि आ बैंकिंग सेवा के उपयोग करैत अछि, तखन आर्थिक गतिविधि मे वृद्धि होइत अछि। एहि प्रक्रिया सँ रोजगार, उद्यमिता आ सामाजिक विकास के अवसर बढ़ैत अछि।

वित्तीय साक्षरता आ उपभोक्ता संरक्षण आधुनिक समाजक महत्वपूर्ण आवश्यकता अछि। ई व्यवस्था लोककेँ आर्थिक रूप सँ सक्षम बनबैत अछि आ बैंकिंग सेवा के सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करैत अछि। जखन जानकारी सरल भाषा मे उपलब्ध होइत अछि, तखन ओ समाजक अधिक व्यापक वर्ग धरि पहुँचैत अछि। मैथिली जेकाँ क्षेत्रीय भाषा मे वित्तीय विषयक सामग्री प्रकाशित होए सँ लोक मे जागरूकता बढ़ैत अछि। एहि प्रकार वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आ भाषा—ई तीनू तत्व मिलि कऽ एक सशक्त आ जागरूक समाज निर्माण मे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि।

✍ विजय कुमार मिश्रा
प्रबन्धक
शाखा – सीतामढ़ी

सुरक्षित बैंकिंग लेल सावधानी

- ओटीपी वा पासवर्ड ककरो संग साझा नहि करू
- संदिग्ध लिंक सँ बचू
- बैंक खाताक जानकारी नियमित रूप सँ देखू
- केवल विश्वसनीय ऐप आ वेबसाइट उपयोग करू
- मोबाइल के लॉक राखू

वित्तीय साक्षरता केवल जानकारी नहि, बल्कि सुरक्षित भविष्यक कुंजी अछि।

महिला आ वित्तीय सशक्तिकरण

मिथिला क्षेत्रक एक छोट गाम छल—कमलपुर। गाम चारु कात खेत, पोखरि आ आमक बगान सँ घेरल छल। गामक जीवन साधारण छल, मुदा लोकक हृदय अपनापन सँ भरल रहैत छल। एही गाममे एक युवती रहैत छल—सीमा। सीमा पढ़ल-लिखल बहुत बेसी नहि छल, मुदा ओ मेहनती, समझदार आ आत्मसम्मान सँ भरल लड़की छल। ओकर पिता छोट किसान छलथि आ घरक हालत बहुत मजबूत नहि छल। बचपन सँ सीमा देखैत आबि रहल छल जे घर चलाबय लेल ओकर माय दिन-रात मेहनत करैत छथि। खेतक काम, घरक काम, बच्चाक देखभाल—सब किछु एके संग।

सीमा बहुत बेर सोचैत छल—"जँ हमर माय किछु आर्थिक सहारा पबैत, तँ शायद हुनकर जीवन एतेक कठिन नहि रहैत।" समय बीतल। सीमा क विवाह पासक गाममे रहनिहार एक युवक राजेश सँ भऽ गेल। राजेश मेहनती आदमी छल, मुदा ओकर आय बहुत सीमित छल। ओ छोट किराना दुकान चलबैत छल, मुदा दुकान सँ जे आमदनी होइत छल, ओ घर चलाबय लेल बस पर्याप्त रहैत छल। विवाहक बाद सीमा नव जीवन शुरु कएलक। सास-ससुर, पति आ छोट घर—एहि सबमे ओ अपन जिम्मेदारी निभाबय लागल। मुदा सीमा क मनमे एक सपना सदिखन रहैत छल—ओ चाहैत छल जे परिवार आर्थिक रूप सँ मजबूत बनय।

एक दिन सीमा गामक चौपाल पर बैसल छल। ओतए किछु महिला सभ जमा भेल रहथि। गाममे सरकारी अधिकारी आ बैंकक प्रतिनिधि आबि रहल छलथि। ओ लोक **स्वयं सहायता समूह** के बारे मे जानकारी देबाक लेल बैठक करैत छलथि। सीमा उत्सुकता सँ ओतए बैस गेल। अधिकारी सरल भाषा मे बुझाबय लागलथि — "जँ गामक महिला सभ मिलि कऽ छोट-छोट बचत शुरु करथिन, तँ ओ समूह बना सकैत छथि। बैंक ओकरा सहयोग करत। धीरे-धीरे समूह छोट व्यवसाय शुरु कऽ सकैत अछि।"

ई बात सुनि सीमा क मुन में एक टा नव विचार जागल। बैठक खत्म भेला पर सीमा अपन सखी सरिता सँ कहलक— "जँ हम सभ मिलि कऽ बचत शुरु करब, तँ शायद किछु बदलि सकैत अछि।"

सरिता मुस्कुराइत कहलक — "हमरा लागैत अछि, कोशिश करबाक चाही।"

किछु दिन बाद सीमा, सरिता आ गामक दस महिला मिलि कऽ एक समूह बनौलखिन—"उजाला महिला समूह"। समूहक नियम छल—

सभ महिला हर सप्ताह थोड़ेक-थोड़ेक पाई जोड़थिन,
बैठक नियमित रूप सँ होएत आ
समूहक निर्णय सब मिलि कऽ लेत।

शुरुआत छोट छल। हर सप्ताह केवल बीस रुपैया बचत होइत छल। मुदा धीरे-धीरे समूहक निधि बढ़य लागल। बैंकक एक अधिकारी गाममे आबि कऽ समूहक खाता खोलयमे मदद कएलक। ओ महिला सभ कैं बैंकिंग, बचत आ ऋणक बारेमे जानकारी सेहो देलक। सीमा धीरे-धीरे समझय लागल जे पैसा केवल खर्च करबाक चीज नहि अछि, बल्कि सही ढंग सँ उपयोग कएल जाए तँ ओ जीवन बदलि सकैत अछि। एक दिन समूहक बैठकमे सीमा प्रस्ताव देलक — "हमरा लागैत अछि जे जँ हम सभ किछु छोट व्यवसाय शुरु करी, तँ समूहक आय बढ़ि सकैत अछि।" बहुत चर्चा भेल। आखिरकार महिला सभ निर्णय लेलथि जे ओ लोक मखाना आ अचार बनाकऽ बेचत।

कमलपुर इलाका मखाना उत्पादन लेल प्रसिद्ध छल। सीमा क माय सेहो मखाना सँ जुड़ल काज करैत रहथि, तैं सीमा कैं एहि काजक अनुभव छल। समूहक छोट बचत सँ कच्चा सामान खरीदल गेल। महिला सभ मिलि कऽ मखाना साफ करैत, भुजैत आ पैकेट बनबैत। पहिल बेर ओ लोक अपन उत्पाद पासक हाटमे बेचय लेल गेल। पहिल दिन बहुत उत्साह छल, मुदा बिक्री बहुत कम भेल।
सरिता उदास भऽ गेल — "शायद ई काम सफल नहि होएत।"

मुदा सीमा हार मानय लेल तैयार नहि छल। ओ कहलक — **"सफलता एक दिनमे नहि भेटैत अछि। हम सभ कोशिश जारी राखब।"**
धीरे-धीरे महिला सभ अपन उत्पादक गुणवत्ता सुधारलथिन। पैकेट पर समूहक नाम लिखल गेल। एक दिन बैंक अधिकारी फेर गाममे आबि महिला सभ सँ भेट कएलक। ओ हुनका डिजिटल भुगतान आ बैंकिंग सुरक्षा के बारेमे सेहो जानकारी देलक। सीमा आ ओकर सखी सभ पहली बेर मोबाइल सँ भुगतान लेबाक प्रक्रिया सीखलथिन। ओ दिन सीमा सोचलक — **"ज्ञान आ जानकारी सचमुच जीवन बदलि सकैत अछि।"**

छः महीना बीतइत—बीतइत समूहक व्यवसाय धीरे—धीरे बढ़य लागल। मखाना आ अचारक मांग बढ़ल। गामक लोक सेहो महिला सभक

प्रयासक प्रशंसा करय लागल। राजेश, जे शुरुआतमे थोड़ा संदेहमे छल, आब गर्व सँ कहय लागल— “हमर पत्नी केवल घर नहि संभालैत अछि, बल्कि समूहक नेता सेहो अछि।” सीमा के एहसास भेल जे आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसा कमाबय तक सीमित नहि अछि, बल्कि ई आत्मसम्मान आ आत्मविश्वास सेहो दैत अछि।

एक वर्ष बाद समूहक सामने एक समस्या आबि गेल। बाजारमे प्रतिस्पर्धा बढ़ि गेल। बिक्री कम होए लगल। बैठकमे महिला सभ चिंतित रहथि। सीमा शांत स्वरमे कहलक — “समस्या हर व्यवसायमे अबैत अछि। हमरा सभ के नया रास्ता खोजय पड़त।”

किछु दिन बाद महिला सभ निर्णय लेलथि जे ओ लोक अपन उत्पाद के शहरक बाजार धरि पहुँचाएत। बैंकक सहायता सँ समूह कैं छोट ऋण भेटल। ओ लोक बेहतर पैकेजिंग शुरु कएलक। धीरे-धीरे समूहक उत्पाद शहरक दुकान धरि पहुँचय लागल। कमलपुर गाममे धीरे-धीरे बदलाव देखाइ देबय लागल। पहिले जे महिला सभ केवल घरक भीतर सीमित रहैत रहथि, आब ओ आर्थिक गतिविधि मे सक्रिय भाग लेबय लागलथिन। नव पीढ़ीक लड़की सभ सेहो प्रेरित होमय लागल। गामक स्कूलमे एक कार्यक्रम भेल। ओतए सीमा के आमंत्रित कएल गेल। ओ बच्चा सभ सँ कहलक — “पढ़ाई आ ज्ञान जीवन बदलय के सबसे मजबूत साधन अछि। जँ महिला शिक्षित आ जागरुक होएत, तँ पूरा समाज आगे बढ़त।”

किछु वर्ष बाद “उजाला महिला समूह” गामक एक सफल उदाहरण बनि गेल। समूहक आय बढ़ल, सदस्य सभ आर्थिक रूप सँ मजबूत भेल। सीमा अपन माय के याद कऽ सोचैत छल — “काश, हुनका समयमे एहन अवसर भेटैत।” मुदा ओ खुशी महसूस करैत छल जे आब अगिला पीढ़ी लेल रास्ता खुलि रहल अछि।

एक संध्या सीमा गामक पोखरि किनार बैसल छल। सूर्य अस्त होइत छल। ओ सोचैत छल जे किछु वर्ष पहिने जीवन केहन छल, आ आब केहन भऽ गेल अछि। ओ समझि गेल छल जे बदलाव केवल बड़े संसाधन सँ नहि, बल्कि छोटे-छोटे प्रयास सँ शुरु होइत अछि। जखन महिला सभ मिलि कऽ बचत करैत छथि, ज्ञान प्राप्त करैत छथि आ आत्मविश्वास सँ काम करैत छथि, तखन आर्थिक सशक्तिकरण संभव होइत अछि। सीमा मुस्कुराइत घर लौटल।

ओकर मनमे एक विश्वास छल — **जखन महिला सशक्त होइत अछि, तखन परिवार, समाज आ पूरा देश सशक्त होइत अछि।**

✍ श्रवण कुमार मिश्रा
वरिष्ठ प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

मैथिली भाषा

मैथिली भाषा का विकास भारत के बिहार (मिथिलांचल क्षेत्र) और नेपाल के तराई हिस्से में एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक यात्रा के रूप में हुआ है। यह हिन्द-आर्य भाषा परिवार की सदस्य है और इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से मानी जाती है। मैथिली भाषा का वास्तविक साहित्यिक विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में तेजी से शुरु हुआ। राजा हरिसिंह देव के समय में इस भाषा को विशेष राजकीय प्रोत्साहन मिला। 14वीं-15वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापति ठाकुर के आने से मैथिली साहित्य में क्रांति आ गई। उनकी अमर रचनाओं (जैसे पदावली) ने मैथिली को न केवल जनमानस की भाषा बनाया, बल्कि इसे पूरे पूर्वी भारत (बंगाल, असम, ओडिशा) में साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाई। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक कारणों से मैथिली को स्वतंत्र भाषा के बजाय हिंदी की एक उपबोली के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, जिससे शिक्षा और शासन में इसकी पहचान को धक्का लगा। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भाषाविद् जॉर्ज ग्रियर्सन ने मैथिली के व्याकरण और इसके अनूठेपन पर काम कर दुनिया के सामने इसकी महत्ता रखी। दशकों लंबे जन-आंदोलन के बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत मैथिली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही यह भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक बन गई। नेपाल में यह नेपाली के बाद दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है और वहां इसे प्रांतीय आधिकारिक भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। मैथिली की अपनी एक अत्यंत प्राचीन और स्वतंत्र लिपि है, जिसे 'तिरहुता' या 'मिथिलाक्षर' कहा जाता है। यह लिपि असमिया और बंगाली लिपि से काफी मिलती-जुलती है। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सीबीएसई ने मैथिली भाषा को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है।

मातृभाषा और वाचन संस्कृति को जीवित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

जागरूकता के उजाला

सबेरे के हल्की धूप धीरे-धीरे सोनबरसा गाँव के खेत-खलिहान पर फैल रहल रहे। पोखरा के पानी पर पड़त सूरज के किरिन अइसन चमकत रहे जइसे सोना के परत बिछ गइल होखे। आम के बगइचा में चिरई-चुरगन के चहचहाहट गूँज रहल रहे। दूर मंदिर से घंटा के आवाज आवत रहे आ उ आवाज पूरा माहौल में एक अलग शांति भर देत रहे। एही गाँव में रहत रहलें रामदेव यादव। उम्र करीब साठ बरिस, लेकिन आँख में अनुभव के चमक अबहियों बरकरार रहे। रामदेव साधारण किसान रहलें, लेकिन सोच में बहुत दूरदर्शी रहलें। ओ हमेशा कहत रहलें — "मेहनत से कमाइल पैसा के सही जगह लगावल आ सही ढंग से संभालल, ई भी उतने जरूरी बा जेतना मेहनत करके कमावल।"

रामदेव के बेटा संदीप पढ़ाई खातिर शहर गइल रहे। कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते ऊ बैंकिंग आ डिजिटल दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख गइल रहे। जब छुट्टी में ऊ गाँव लौटत रहे, त अक्सर बाप-बेटा के बीच नया जमाना आ पुरान अनुभव के रोचक बातचीत शुरू हो जात रहे।

एक दिन सबेरे-सबेरे रामदेव खेत के मेड़ पर खड़ा रहले। संदीप शहर से अभी-अभी लौटल रहे। ओ खेत के हरियर फसल देखत कहे लागल — "बाबूजी, खेती त बढ़िया चल रहल बा, लेकिन आजकल दुनिया बहुत बदल गइल बा। पैसा के रख-रखाव आ लेन-देन के तरीका भी बदल गइल बा।"

रामदेव मुस्कुरा के पूछलें — "का बदल गइल बा बेटा? हम त अबहियों बैंक में पैसा जमा कर देतानी आ जरूरत पड़ला पर निकाल लेतानी।"

संदीप धीरे से समझावे लागल — "अब त मोबाइल से भी पैसा भेजल जा सकेला, बिल भरल जा सकेला आ बैंक के कई काम घर बैठल हो जाला।"

रामदेव थोड़ा चौंक गइले — "मोबाइल से पैसा? ई कैसे हो सकेला?"

संदीप हँस पड़ल — "एहिए के त डिजिटल भुगतान कहेला। लेकिन बाबूजी, एहमें सावधानी भी बहुत जरूरी होला।"

रामदेव गंभीर हो गइलें। ऊ सोचलें कि सचमुच समय बदल रहल बा।

किछु दिन बाद पंचायत भवन में एक बैठक रखल गइल। बैंक के अधिकारी आ कुछ सरकारी कर्मचारी गाँव में वित्तीय साक्षरता अभियान के बारे में बतावे आइल रहलें। गाँव के लोग उत्सुकता से ओह सभा में जुटल रहे। महिला, किसान, दुकानदार—सब लोग ध्यान से सुनत रहे। बैंक अधिकारी बोललें — "आज के समय में हर आदमी के बैंकिंग सेवा के बारे में जानकारी होखे के चाहीं। बैंक खाता, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान—ई सब सुविधा आप सबके जीवन आसान बना सकेला।"

वित्तीय सुरक्षा के पाँच जरूरी सलाह

- ओटीपी कबहियो मत बताईं
- एटीएम पिन सुरक्षित राखीं
- संदिग्ध लिंक से बचीं
- बैंक के संदेश ध्यान से पढ़ीं
- परेशानी होखे त तुरंत बैंक से संपर्क करीं

सभा में बैठल रामदेव ध्यान से सुनत रहलें। संदीप भी बगल में बैठल रहे। एक बुजुर्ग किसान उठ के पूछलें — "हमनी के त मोबाइल चलावे में भी दिक्कत होला। त ई डिजिटल चीज हमनी के कैसे समझ में आई?"

अधिकारी मुस्कुरा के कहले — "इहे खातिर त हमनी यहाँ आईल बानी। धीरे-धीरे सब सीख जाई।"

बैठक के कुछ दिन बाद गाँव में एक घटना भइल। पड़ोस के लल्लन चाचा के मोबाइल पर एक फोन आईल। फोन वाला आदमी कहे लागल — "हम बैंक से बोलतानी। रउरा खाता बंद होखे वाला बा। जल्दी से अपना ओटीपी बताईं।"

लल्लन चाचा घबरा गइले। ऊ तुरंत ओटीपी बता देले। कुछ देर बाद जब ऊ बैंक गइलें, त पता चलल कि उनका खाता से हजारों रुपया निकल गइल बा। पूरा गाँव में खबर फैल गइल। रामदेव बहुत दुखी हो गइलें। ऊ संदीप से कहे लगलें — "देखलs बेटा, अगर जानकारी ना होखे त आदमी के कितना नुकसान हो सकेला।"

संदीप गंभीर आवाज में कहलक — "एही खातिर वित्तीय जागरूकता जरूरी बा।"

एह घटना के बाद गाँव के लोग बैंकिंग सुरक्षा के बारे में ज्यादा सचेत हो गइल। संदीप गाँव के युवाओं के साथ मिल के एक छोट अभियान शुरू कइलक। हर हफ्ता पंचायत भवन में बैठक होखे लागल, जहाँ लोग के बैंकिंग सुरक्षा, डिजिटल भुगतान आ उपभोक्ता अधिकार के बारे में समझावल जाला। एक दिन बैठक में संदीप कहे लागल — "याद रखीं—ओटीपी, पासवर्ड आ एटीएम पिन कबहियो काहे के ना बताईं। बैंक कबहियो फोन पर ई जानकारी ना माँगे।"

गाँव के महिला समूह भी अब एह चर्चा में शामिल होखे लागल। गीता देवी, जे स्वयं सहायता समूह चलावत रहली, कहली — "अगर हमनी

सब सही जानकारी सीख लीं, त अपना पैसा भी सुरक्षित रख सकीले आ छोट व्यवसाय भी शुरु कर सकीले।"

गीता देवी के नेतृत्व में गाँव की कुछ महिलाएँ मिलकर अचार आ पापड़ बनावे के छोट व्यवसाय शुरु कइलस। बैंक से छोट ऋण मिलल।

धीरे-धीरे उनका सामान के मांग बढ़े लागल। एक दिन गीता देवी खुशी से कहली — "पहिले हमनी बस घर तक सीमित रहनी। अब बैंक में खाता भी बा, मोबाइल से पैसा भी आवेला।" रामदेव ई सब देख के खुश हो गइले। ऊ कहे लगलें — "जागरूकता सच में जीवन बदल देला।"

एक शाम रामदेव पोखरा किनारे बैठल रहलें। सूरज डूब रहल रहे। लालिमा से आसमान रंगाइल रहे। संदीप बगल में बैठल रहे।

रामदेव धीरे से बोललें — "बेटा, हमार जमाना में बैंकिंग के एतना सुविधा ना रहे। अगर हमनी के भी ई जानकारी पहिले मिलत, त शायद जिंदगी अउरी आसान हो जाईत।" संदीप मुस्कुरा के कहलक — "लेकिन बाबूजी, अभी भी देर ना भइल बा। रउआ खुद गाँव के सबसे जागरूक आदमी बन गइल बानी।" रामदेव के आँख में हल्की चमक आ गइल।

कुछ महीना बाद सोनबरसा गाँव के पहचान बदल गइल। हर घर में बैंक खाता रहे। लोग डिजिटल भुगतान सीख गइल रहे। महिलाएँ स्वयं सहायता समूह के जरिए कमाई करे लागल रहली। सबसे बड़ा बदलाव ई भइल कि लोग अब जागरूक उपभोक्ता बन गइल रहे। एक दिन जिला मुख्यालय में कार्यक्रम भइल। सोनबरसा गाँव के उदाहरण के रूप में सराहा गइल। मंच पर रामदेव के बुलावल गइल। ऊ धीरे से बोललें — "हम किसान आदमी बानी। ज्यादा पढ़ल-लिखल ना बानी। लेकिन आज हम इहे कह सकतानी—जागरूकता सबसे बड़ा धन बा। जवन आदमी जानकारी रखेला, ऊ कबहियो ठगाइल ना जाला।"

पूरा हाल तालियों से गूँज उठल।

रात के समय रामदेव घर के आँगन में बैठल आसमान देखत रहलें। तारों से भरा आकाश चमकत रहे। ऊ मन ही मन सोचलें—

"सचमुच ज्ञान आ जागरूकता से बड़ा धन दुनिया में कुछो ना होला।" धीरे-धीरे सोनबरसा गाँव में जागरूकता के उजाला फैल गइल रहे—ऐसा उजाला, जवन सिर्फ बैंकिंग नहीं, बल्कि आत्मविश्वास आ सुरक्षित भविष्य के रोशनी बन गइल रहे।

✍ श्रीकांत सिंह

सहायक महाप्रबन्धक

अंचल कार्यालय, पटना

भोजपुरी भाषा

भोजपुरी भारत की सबसे लोकप्रिय और जीवंत क्षेत्रीय भाषाओं में से एक है। मुख्य रूप से यह पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। यह हिंद-आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है और इसकी उत्पत्ति 'मागधी प्राकृत' से हुई है। इसका नामकरण बिहार के ऐतिहासिक 'भोजपुर' जिले के नाम पर हुआ है। भोजपुरी भाषा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह भाषा किसी एक दिन या सदी में नहीं बनी, बल्कि एक लंबी भाषाई और सांस्कृतिक यात्रा के बाद आज के स्वरूप में आई है। भाषाविदों के अनुसार, प्राचीन भारत की मागधी प्राकृत की पश्चिमी शाखा से 'बिहारी' भाषा समूह का विकास हुआ। इसी समूह से आगे चलकर भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी स्वतंत्र भाषाएं निकलीं। भोजपुरी का इतिहास 7वीं सदी के आसपास से शुरु माना जाता है, जहाँ सिद्ध संतों और नाथ संप्रदाय के साहित्य में इसके शुरुआती रूप की झलक मिलती है। मध्यकाल में, मध्य प्रदेश के मालवा (उज्जैन) से आए परमार वंश के भोजवंशी राजपूतों ने बिहार के शाहबाद क्षेत्र पर अधिकार किया था। उन्होंने अपनी नई राजधानी बक्सर के पास बसाई और अपने पूर्वज राजा भोज के सम्मान में इसका नाम 'भोजपुर' रखा। इस क्षेत्र और इसके आसपास बोली जाने वाली भाषा का नाम इसी ऐतिहासिक स्थान के कारण 'भोजपुरी' पड़ा। भोजपुरी केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि गिरमिटिया मजदूरों के माध्यम से यह मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों तक पहुँची। आज यह एक वैश्विक भाषा बन चुकी है। इस भाषा की मिठास इसके लोकगीतों, जैसे—कजरी, चैती, सोहर और बिदेशिया में झलकती है। भिखारी ठाकुर, जिन्हें 'भोजपुरी का शेक्सपियर' कहा जाता है, ने अपने नाटकों के जरिए इस भाषा को जन-जन तक पहुँचाया।भोजपुरी को आमतौर पर देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, हालांकि इसकी ऐतिहासिक लिपि 'कैथी' रही है। वर्तमान में भोजपुरी सिनेमा, संगीत और डिजिटल मीडिया के कारण इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। हालाँकि, इतनी बड़ी आबादी द्वारा बोले जाने के बावजूद, इसे अभी तक भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जिसके लिए निरंतर मांग उठ रही है। भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान और अनूठी संस्कृति का प्रतीक है।

सुविधा के सही उपयोग तभी संभव बा, जब आदमी जानकारी आ सावधानी दुनों रखे।

आत्मीय संबंध

आख़िरी डिब्बा

जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य जिन लोगों के लिए सबसे अधिक संघर्ष करता है, उन्हीं लोगों के लिए उसके पास समय सबसे कम बचता है। नौकरी, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों के बीच वह यह मान बैठता है कि रिश्ते प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन समय की अपनी गति होती है। वह किसी का इंतज़ार नहीं करता। आदित्य भी उन लाखों युवाओं में से एक था, जो अपने छोटे-से गाँव से बड़े सपने लेकर महानगर पहुँचे थे। वर्षों की मेहनत ने उसे एक प्रतिष्ठित पद, अच्छा वेतन और सामाजिक सम्मान तो दिया, पर उसके जीवन से धीरे-धीरे वह सहज अपनापन छीन लिया, जो कभी उसके घर-आँगन की पहचान हुआ करता था। माँ से उसकी बातचीत अब कुछ मिनटों की औपचारिकता बनकर रह गई थी। लगभग हर बातचीत का अंत एक ही वाक्य से होता—"माँ, अभी बहुत काम है... फिर आराम से बात करेंगे।"

माँ कभी शिकायत नहीं करती थीं। वे केवल मुस्कुराकर कह देतीं, "ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना।" यह "ठीक है" जितना छोटा था, उसके भीतर उतना ही लंबा इंतज़ार छिपा रहता था। समय के साथ पिता का निधन हो गया। गाँव का घर सूना होने लगा। माँ अकेली रह गईं, पर उन्होंने कभी बेटे को अपनी विवशता का बोझ नहीं बनने दिया। वे हर बार यही कहतीं कि यहाँ सब ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन माँ ने केवल इतना कहा कि यदि समय मिले तो एक बार घर आ जाना। पुराने मकान की मरम्मत भी करानी है और कुछ पुराने सामान भी देख लेने हैं। इस बार आदित्य टाल नहीं सका। वर्षों बाद वह अपने घर लौटा। घर में प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे समय थम गया हो। दीवारों का रंग फीका पड़ गया था, पर उन पर टँगी यादें अब भी ताज़ा थीं। बरामदे की चारपाई, आँगन का तुलसी चौरा, पिता की पुरानी कुर्सी और लकड़ी की अलमारी—सब कुछ वैसा ही था। केवल उनमें रहने वाले लोग बदल गए थे। पुराने सामान को व्यवस्थित करते समय उसकी नज़र लोहे के संदूक पर पड़ी। संदूक के भीतर कपड़ों और कुछ पुराने कागज़ों के बीच एक छोटा-सा स्टील का डिब्बा रखा था। उस पर साफ़ अक्षरों में लिखा था—"आदित्य के लिए।"

उसने उत्सुकतावश डिब्बा खोला। उसमें कोई गहना नहीं था, न धन, न कोई बहुमूल्य वस्तु। उसमें केवल छोटी-छोटी कागज़ की पर्चियाँ थीं। पहली पर्ची पर लिखा था कि आज आदित्य पहली बार विद्यालय गया। दूसरी पर उसके पहले पुरस्कार का उल्लेख था। तीसरी में उसकी पहली नौकरी मिलने की खुशी दर्ज थी। फिर एक पर्ची आई, जिसमें लिखा था कि आज बेटे ने पहली तनख़्वाह से माँ के लिए साड़ी खरीदी। उसके बाद की पर्चियों का स्वर धीरे-धीरे बदलने लगा। एक पर्ची में लिखा था कि आज बेटे ने कहा, "बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा।" दूसरी में लिखा था कि उसकी पसंद की खीर बनाई थी, फिर याद आया कि वह तो शहर में है। एक अन्य पर्ची पर केवल एक वाक्य था—"आज उसका जन्मदिन है। फोन किया था, शायद मीटिंग में होगा।" वे शब्द किसी साहित्यकार की रचना नहीं थे, एक माँ की प्रतीक्षा का लेखा-जोखा थे। उनमें शिकायत नहीं थी, केवल स्मृतियाँ थीं। उनमें आरोप नहीं था, केवल अपनापन था। आदित्य पढ़ता गया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन दिनों को वह अपनी व्यस्तता का सामान्य हिस्सा समझता रहा, वे दिन उसकी माँ के जीवन में प्रतीक्षा के सबसे लंबे दिन थे। उसी समय माँ कमरे में आ गईं। उन्होंने डिब्बा देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि सब पढ़ लिया क्या। आदित्य के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आँखें ही उसके मन की स्थिति बता रही थीं। माँ ने सहज स्वर में कहा कि उम्र बढ़ने पर लोग सामान नहीं, यादें सँभालते हैं। जो बातें किसी से कही नहीं जातीं, वे कभी-कभी कागज़ पर उतर जाती हैं। उन्हें विश्वास था कि एक दिन बेटा इन्हें पढ़ेगा और समझेगा कि दूरी केवल किलोमीटरों से नहीं बढ़ती, समय से भी बढ़ती है। उस दिन घर में किसी मरम्मत की चर्चा नहीं हुई। वर्षों बाद माँ-बेटे ने साथ बैठकर चाय पी। बचपन की बातें हुईं। पिता की स्मृतियाँ ताज़ा हुईं। आदित्य ने महसूस किया कि जिन क्षणों को वह वर्षों से टालता आया था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूँजी थे। शहर लौटते समय उसने डिब्बा वहीं रहने दिया। माँ ने पूछा कि इसे साथ नहीं ले जाओगे। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वह कोशिश करेगा कि आगे ऐसी कोई पर्ची लिखने की नौबत ही न आए। उस दिन के बाद उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदत बदल गई। उसने अपने व्यस्त कार्यक्रम में माँ के लिए निश्चित समय तय किया। अब बातचीत अवसर मिलने पर नहीं, प्राथमिकता के रूप में होने लगी। शायद हर घर में कोई न कोई ऐसा "आख़िरी डिब्बा" होता है। कहीं वह पुरानी डायरी के रूप में मिलता है, कहीं धुंधली तस्वीरों में, कहीं पिता की पुरानी घड़ी में और कहीं माँ की शांत आँखों में। उसे खोलने के लिए किसी चाबी की आवश्यकता नहीं होती; केवल संवेदना चाहिए।

✍विमल कुमार झा
सहायक प्रबन्धक
शाखा – मधुबनी

उपन्यास की समीक्षा

'तमस' - इतिहास की त्रासदी और मानवीय संवेदना का दस्तावेज़

हिन्दी साहित्य में विभाजन की पीड़ा और सांप्रदायिक तनाव की भयावहता को जितनी संवेदनशीलता और गहराई से प्रस्तुत किया गया है, उनमें भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास "तमस" एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति के रूप में सामने आता है। यह उपन्यास केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य की मनःस्थितियों, भय, भ्रम और मानवीय संबंधों की जटिलता को भी गहराई से उजागर करता है।

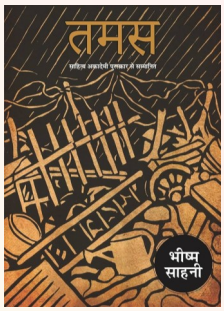

"तमस" शब्द का अर्थ है—अंधकार। यह अंधकार केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि उस मानसिक अंधकार का प्रतीक भी है जो घृणा, संकीर्णता और राजनीतिक स्वार्थों के कारण समाज में फैल जाता है।

तमस की कथा भारत के विभाजन से ठीक पहले के समय की है, जब समाज में सांप्रदायिक तनाव धीरे-धीरे बढ़ रहा था। राजनीतिक परिस्थितियाँ और स्वार्थपूर्ण निर्णय आम लोगों के जीवन को गहरे संकट में डाल रहे थे। उपन्यास की शुरुआत एक अत्यंत साधारण-सी प्रतीत होने वाली घटना से होती है, जो आगे चलकर भीषण सांप्रदायिक हिंसा का कारण बन जाती है। एक दलित मजदूर नाथू को कुछ पैसे देकर एक सूअर मारने के लिए कहा जाता है। नाथू को यह नहीं बताया जाता कि उस सूअर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा। बाद में वही सूअर मस्जिद के पास फेंक दिया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है। यहीं से उपन्यास की कथा एक भयावह मोड़ लेती है। छोटी-सी घटना धीरे-धीरे बड़े दंगे का रूप ले लेती है, जिसमें निर्दोष लोग हिंसा, भय और असुरक्षा के वातावरण में फँस जाते हैं।

इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नायक कोई एक व्यक्ति नहीं है। बल्कि पूरा समाज ही इसका पात्र बन जाता है। भीष्म साहनी ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से समाज के अलग-अलग वर्गों की मानसिक स्थिति को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। कहीं भय से काँपते परिवार हैं, कहीं अपने घर-बार छोड़ने को मजबूर लोग हैं, तो कहीं ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हिंसा के बीच भी मानवीयता को बचाने की कोशिश करते हैं। उपन्यास में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सांप्रदायिक दंगों में सबसे अधिक पीड़ा आम आदमी को ही झेलनी पड़ती है। जो लोग राजनीति के खेल से दूर होते हैं, वही सबसे अधिक त्रासदी के शिकार बनते हैं।

"तमस" केवल दंगों का वर्णन भर नहीं है। यह उस मानसिकता को भी उजागर करता है जो समाज में विभाजन और घृणा को जन्म देती है। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता की लालसा के कारण समाज में अविश्वास फैलता है। छोटे-छोटे विवादों को भड़काकर बड़े संघर्षों में बदल दिया जाता है। लेखक इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं कि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा नुकसान समाज की एकता और मानवीय संबंधों को होता है।

हालाँकि उपन्यास का वातावरण हिंसा और भय से भरा हुआ है, फिर भी उसमें मानवीय संवेदना की अनेक झलकियाँ दिखाई देती हैं। कई स्थानों पर ऐसे पात्र सामने आते हैं जो संकट की घड़ी में एक-दूसरे की सहायता करते हैं। वे यह साबित करते हैं कि नफरत के बीच भी मानवता का प्रकाश पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसी मानवीय दृष्टि के कारण "तमस" केवल त्रासदी का वर्णन नहीं रह जाता, बल्कि यह मनुष्य की नैतिक शक्ति और संवेदना की भी कहानी बन जाता है।

भीष्म साहनी की भाषा अत्यंत सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। उन्होंने जटिल विषय को बिना किसी अलंकारिक आडंबर के अत्यंत सहज शैली में प्रस्तुत किया है। संवाद स्वाभाविक हैं और घटनाओं का वर्णन इतना जीवंत है कि पाठक स्वयं को उस समय और वातावरण के बीच महसूस करने लगता है। लेखक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी भी समुदाय के प्रति पक्षपात नहीं करते। वे केवल परिस्थितियों और मानवीय व्यवहार को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

"तमस" को केवल एक साहित्यिक कृति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारतीय इतिहास के उस दौर का जीवंत दस्तावेज़ भी है, जब विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा और असंख्य परिवारों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उपन्यास पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि घृणा और हिंसा का परिणाम अंततः मानवता के लिए कितना विनाशकारी होता है।

यद्यपि तमस विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है, फिर भी इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज के समय में भी जब समाज में कभी-कभी तनाव और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, तब यह उपन्यास हमें सावधान करता है कि इतिहास की त्रासदियों से हमें सीख लेनी चाहिए। यह कृति हमें याद दिलाती है कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी **एकता, सहिष्णुता और मानवीय संवेदना** होती है।

तमस हिन्दी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, जो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक तनाव की भयावहता को गहरी मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत करती है।

भीष्म साहनी ने इस उपन्यास के माध्यम से यह दिखाया है कि अज्ञान, घृणा और राजनीतिक स्वार्थ किस प्रकार समाज को अंधकार की ओर धकेल सकते हैं। यह उपन्यास केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक चेतावनी है—कि यदि समाज में संवाद, समझ और सहिष्णुता बनी रहे, तभी सच्चे अर्थों में शांति और सद्भाव संभव है। "तमस" पाठक के मन में गहरी संवेदना जगाता है और यह संदेश देता है कि मानवता का प्रकाश किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली होता है।

✍ श्रवण कुमार मिश्रा
वरिष्ठ प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

बैंकिंग उपभोक्ता अधिकार

आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली का महत्व अत्यंत व्यापक हो गया है। आज बैंक केवल धन जमा करने या ऋण देने की संस्था भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे नागरिकों के आर्थिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। बचत, निवेश, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं का लाभ—इन सभी गतिविधियों में बैंकिंग सेवाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।

जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है, ऋण लेता है या डिजिटल भुगतान करता है, तो वह एक ग्राहक या उपभोक्ता के रूप में बैंकिंग प्रणाली से जुड़ता है। इस संबंध में केवल सेवाओं का उपयोग ही नहीं, बल्कि कुछ अधिकार और जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी होती हैं। उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी न केवल व्यक्ति को सुरक्षित बनाती है, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था को भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है। "बैंकिंग उपभोक्ता अधिकार" की अवधारणा इसी विचार पर आधारित है कि बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले प्रत्येक ग्राहक को निष्पक्ष व्यवहार, स्पष्ट जानकारी और सुरक्षित सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार उपभोक्ताओं को आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की शक्ति देता है।

बैंकिंग उपभोक्ता अधिकार की अवधारणा

बैंकिंग उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ है वे मूलभूत अधिकार जो किसी भी बैंक ग्राहक को बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के दौरान प्राप्त होते हैं। ये अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, उसे सेवाओं से संबंधित स्पष्ट जानकारी दी जाए और उसकी वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखी जाए। इन अधिकारों का उद्देश्य बैंक और ग्राहक के बीच संतुलन बनाए रखना है। बैंकिंग संस्थाएँ शक्तिशाली और संगठित होती हैं, जबकि ग्राहक व्यक्तिगत स्तर पर उनसे जुड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए कुछ स्पष्ट मानक और नियम निर्धारित किए जाएँ। उपभोक्ता अधिकारों की यह अवधारणा केवल कानूनी व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग नैतिकता और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता से भी जुड़ी हुई है। जब बैंक इन अधिकारों का सम्मान करते हैं, तो ग्राहकों का विश्वास मजबूत होता है और बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता भी बढ़ती है।

पारदर्शिता और जानकारी का अधिकार

बैंकिंग उपभोक्ता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है—स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी प्राप्त करना। किसी भी बैंकिंग सेवा का उपयोग करने से पहले ग्राहक को उसकी शर्तों, शुल्कों, ब्याज दरों और अन्य नियमों के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक ऋण ले रहा है, तो उसे यह पता होना चाहिए कि उस ऋण की ब्याज दर क्या है, भुगतान की अवधि कितनी है और किसी विलंब की स्थिति में क्या दंड लागू होगा। इसी प्रकार यदि वह कोई निवेश योजना चुन रहा है, तो उसे उससे जुड़े जोखिम और लाभ दोनों की जानकारी होनी चाहिए। जब बैंक जानकारी को स्पष्ट और सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं, तो ग्राहक बेहतर निर्णय ले सकता है। पारदर्शिता से भ्रम और विवाद की संभावना भी कम हो जाती है।

निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार

बैंकिंग उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्राप्त है कि उनके साथ सम्मानजनक और निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ग्राहकों की आय, सामाजिक पृष्ठभूमि या क्षेत्र के आधार पर सेवाओं की गुणवत्ता में अंतर नहीं होना चाहिए। बैंक का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक ग्राहक को समान सम्मान और सुविधा प्रदान करे। निष्पक्ष व्यवहार केवल सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं है। इसमें ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान करना भी शामिल है।

गोपनीयता और सुरक्षा का अधिकार

बैंकिंग सेवाओं में ग्राहकों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी अत्यंत संवेदनशील होती है। इसलिए उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उनकी जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रखी जाए। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा न की जाए। डिजिटल बैंकिंग के युग में यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम बढ़ गए हैं।

शिकायत निवारण का अधिकार

किसी भी सेवा प्रणाली में त्रुटि या समस्या की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने और समाधान प्राप्त करने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो। बैंकिंग उपभोक्ता को यह सुविधा होनी चाहिए कि वह किसी भी समस्या या असंतोष की स्थिति में अपनी शिकायत दर्ज कर सके और उसका समयबद्ध समाधान प्राप्त कर सके। बैंकिंग संस्थाएँ आमतौर पर ग्राहक सेवा केंद्र, हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर पर भी शिकायत निवारण की व्यवस्था उपलब्ध होती है।

उपभोक्ता जागरूकता का महत्व

उपभोक्ता अधिकार तभी प्रभावी होते हैं जब लोग उनके बारे में जागरूक हों। यदि ग्राहक को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, तो वह उनका उपयोग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बैंकिंग जागरूकता और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए और किसी समस्या की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएँ। जागरूक उपभोक्ता न केवल स्वयं सुरक्षित रहता है, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था को भी अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बनने के लिए प्रेरित करता है।

डिजिटल बैंकिंग और नए अधिकार

डिजिटल बैंकिंग के प्रसार के साथ उपभोक्ता अधिकारों का दायरा भी विस्तृत हुआ है। ऑनलाइन लेन-देन, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के संदर्भ में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और त्वरित शिकायत समाधान जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते समय उपभोक्ताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि उनके लेन-देन सुरक्षित रहें और किसी त्रुटि की स्थिति में उन्हें उचित सहायता मिले।

जिम्मेदार उपभोक्ता की भूमिका

बैंकिंग उपभोक्ता अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी होती हैं। ग्राहक को भी बैंकिंग नियमों का पालन करना चाहिए और अपने खातों तथा लेन-देन की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, ग्राहक को अपने पासवर्ड और पिन की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, संदिग्ध संदेशों या कॉल से सावधान रहना चाहिए और किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना बैंक को देनी चाहिए। जब ग्राहक और बैंक दोनों अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, तब बैंकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनती है।

इस प्रकार बैंकिंग उपभोक्ता अधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी व्यवस्था का आधार हैं जो ग्राहक और बैंक के बीच विश्वास, सुरक्षा और सहयोग को मजबूत बनाती है।

✍राजा बाबू यादव
वरिष्ठ प्रबन्धक
शाखा—दरभंगा

वित्तीय साक्षरता : जागरूक समाज की आधारशिला

वर्तमान समय में वित्तीय गतिविधियाँ मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। वेतन प्राप्त करना, बैंक खाता संचालित करना, बचत करना, ऋण लेना, बीमा करवाना, डिजिटल भुगतान करना—ये सभी अब दैनिक जीवन की सामान्य प्रक्रियाएँ हैं। परंतु इन प्रक्रियाओं की समझ और विवेकपूर्ण उपयोग ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। यही समझ **वित्तीय साक्षरता** कहलाती है। वित्तीय साक्षरता का आशय केवल वित्तीय उत्पादों की जानकारी से नहीं है, बल्कि यह उस क्षमता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संसाधनों का प्रबंधन सोच-समझकर कर सके, जोखिमों का आकलन कर सके और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। एक जागरूक नागरिक ही सुरक्षित और आत्मनिर्भर समाज की नींव रखता है।

वित्तीय साक्षरता का अर्थ और दायरा

वित्तीय साक्षरता को तीन प्रमुख आयामों में समझा जा सकता है—

1. ज्ञान (Knowledge) – बैंकिंग, बचत, निवेश, बीमा, पेंशन, डिजिटल लेनदेन आदि का मूलभूत ज्ञान।
2. कौशल (Skill) – बजट बनाना, खर्च नियंत्रित करना, ऋण प्रबंधन, जोखिम संतुलन।
3. दृष्टिकोण (Attitude) – नियमित बचत की आदत, भविष्य की योजना, वित्तीय अनुशासन।

जब व्यक्ति इन तीनों आयामों को संतुलित रूप से अपनाता है, तभी वह वास्तविक अर्थों में वित्तीय रूप से साक्षर कहलाता है।

क्यों आवश्यक है वित्तीय साक्षरता?

- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए : वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहने से बचाती है। यदि वह जानता है कि बचत कहाँ करनी है, निवेश कैसे करना है और ऋण की शर्तें क्या हैं, तो वह ठगी या अनावश्यक आर्थिक बोझ से बच सकता है।
- डिजिटल युग की आवश्यकता : आज बैंकिंग का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यम से संचालित हो रहा है। ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई जैसे साधनों ने सुविधा तो दी है, परंतु जोखिम भी बढ़ाए हैं। वित्तीय साक्षरता इन जोखिमों से बचाव का मार्ग दिखाती है।
- सामाजिक स्थिरता के लिए : जब समाज का बड़ा वर्ग वित्तीय रूप से जागरूक होता है, तो आर्थिक असमानता घटती है और सामाजिक स्थिरता बढ़ती है। योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचता है और संसाधनों का दुरुपयोग कम होता है।

ग्रामीण और अर्द्धशहरी भारत में चुनौतियाँ

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। कई बार खाता तो खुल जाता है, पर उसका उपयोग सीमित रह जाता है। कारण हो सकते हैं— जानकारी का अभाव, तकनीकी भय, जटिल शब्दावली या वित्तीय उत्पादों की गलत समझ।

ऐसे में बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जागरूकता शिविर, सरल भाषा में पर्चे, वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र—ये सभी प्रयास समावेशन की दिशा में प्रभावी कदम हैं।

महिला सशक्तिकरण और वित्तीय जागरूकता

वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण पहलू महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। जब महिलाओं के पास अपना बैंक खाता, बचत और आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता होती है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। स्वयं सहायता समूहों और बैंकिंग सहयोग ने इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

महिला यदि बजट बनाना, बचत करना और छोटे निवेश करना सीख जाती है, तो वह परिवार की आर्थिक सुरक्षा की आधारशिला बन जाती है। इस प्रकार वित्तीय साक्षरता सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है।

✍राहुल स्वराज
वरिष्ठ प्रबन्धक
शाखा—डबल्यूएचसी, गया

"जागरुकता का प्रकाशपथ"

जब ज्ञान का दीप प्रखर जलता है, जीवन का हर पथ सरल चलता है।
अर्थ-जगत के उलझे सूत्रों में, विवेक ही नई दिशा संवरता है।

बचत बने जब जीवन का संस्कार, सपनों को मिलता सुदृढ़ आधार।
संयमित व्यय, सुनियोजित निवेश, समृद्धि करती हर घर से प्यार।

ऋण हो केवल आवश्यकता भर, सोच-समझकर बढ़े प्रत्येक सफर।
सही निर्णय की दृढ़ नींव पर ही, सुरक्षित होता भविष्य अमर।

डिजिटल युग ने बदली दुनिया, पल में सिमटी दूर क्षितिज-रेखा।
सुविधाओं के विस्तृत आँगन में, सतर्कता ही सबसे बड़ी लेखा।

एक संदेश, एक संदिग्ध लिंक, क्षण भर में विश्वास चुरा सकता।
जागरुक मन, सजग व्यवहार ही, हर संकट से हमें बचा सकता।

हिन्दी की सरल, सरस अभिव्यक्ति, जन-जन तक पहुँचाती है शक्ति।
अपनी भाषा में मिला जो ज्ञान, बन जाता है जीवन की समृद्धि।

जब बैंकिंग का संदेश सहज हो, हर नागरिक उससे परिचित हो।
भाषा बने विश्वास का सेतु, विकास का हर द्वार उद्घाटित हो।

आइए, ऐसा दीप जलाएँ, ज्ञान का उजियारा घर-घर ले जाएँ।
वित्तीय शिक्षा, उपभोक्ता अधिकार, हर जन-मन तक सहज पहुँचाएँ।

सुरक्षित बैंकिंग, सशक्त समाज, यही हो प्रगति का सच्चा राज।
विश्वास, विवेक और जागरुकता से, भारत रचे समृद्धि का नव साज।

ज्ञान हमारा, सुरक्षा हमारी, यही भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी।
हिन्दी के माध्यम से जन-जन तक, पहुँचे समृद्धि की यह जिम्मेदारी।

✍अंजलि
प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

"माटी की महक"

धूप उतरती थी आँगन में, ज्यों सोने-सी बिखरी आभा।
भीगी मिट्टी की सोंधी खुशबू, मन को देती नई परिभाषा।

नंगे पाँव गलियों में दौड़ें, साँसों में उत्सव का संगीत।
हर पगडंडी मित्र-सी लगती, हर मंज़िल लगती मनमीत।

पीपल, आम और नीम की छाया, सपनों का संसार सजाती।
डालों पर झूलों की थिरकन, हँसते मौसम गीत सुनाती।

रेतीले तट पर नन्हे हाथों, महलों का निर्माण किया।
लहरों ने चाहे तोड़ दिए हों, फिर भी हँसकर नया सृजन किया।

भोर हुई तो पंछी बोले, जीवन का संदेश सुनाते।
कोयल की मीठी तान सुनकर, दिन के सारे द्वार खुल जाते।

सावन की पहली वर्षा आते, कागज़ की नावें मुस्कातीं।
छोटी-छोटी धाराओं संग, बचपन की खुशियाँ बह जातीं।

न था भविष्य का कोई बोझ, न बीते कल का कोई भार।
खुले गगन की विस्तृत बाँहें, और सपनों का असीम विस्तार।

माटी, पेड़, हवा और बादल, सब अपने-अपने लगते थे।
प्रकृति की गोदी में बीते पल, जीवन के सबसे सच्चे थे।

आज समय की तेज़ रफ़्तार में, जब मन थककर रुक जाता है।
स्मृतियों की पगडंडी पर चलकर, वही पुराना गाँव बुलाता है।

अब भी जब मिट्टी महक उठती, मन बचपन तक लौट ही जाता।
उन निष्कलुष दिनों की गर्माहट, जीवन को फिर से जीना सिखलाती।

✍देवेंद्र कुमार
मुख्य प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

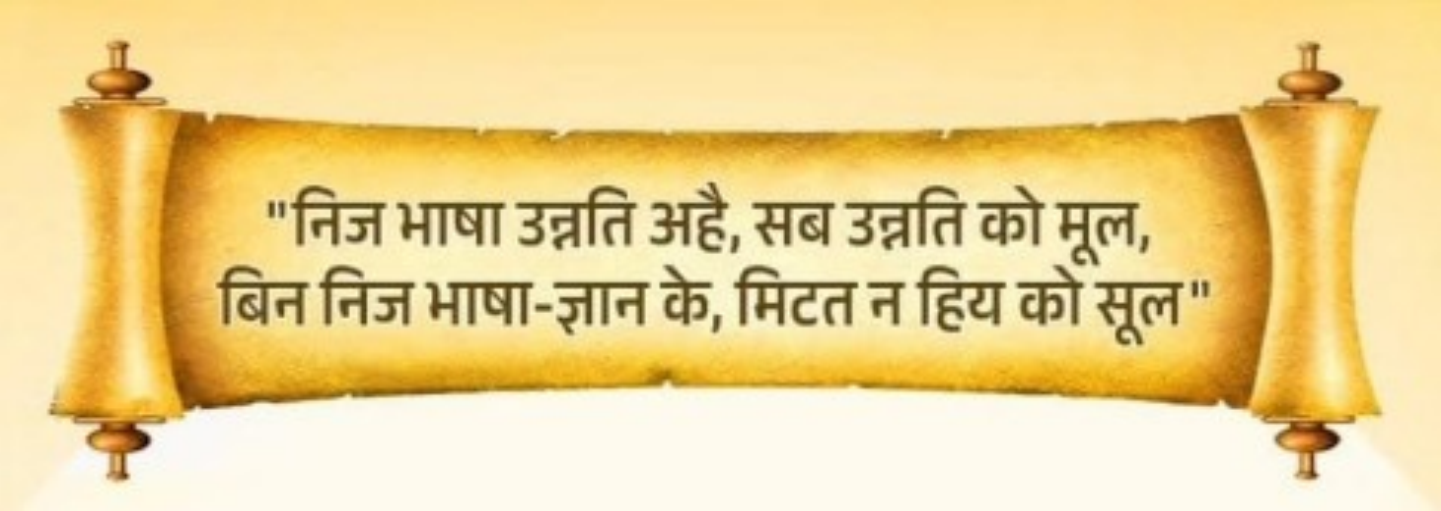

डर का आकार : एक ऐसा बचपन, जो कभी बचपन बन ही नहीं पाया

बरसात के बाद की गीली मिट्टी से भरे उस छोटे-से मोहल्ले में, जहाँ कच्ची दीवारों के सहारे जिंदगी टिकी रहती थी, एक बच्चा रहता था—जिसे सब "छोटू" कहते थे। उसका असली नाम क्या था, यह शायद उसके स्कूल के रजिस्टर में कहीं दर्ज रहा होगा, लेकिन रोज़मर्रा की पुकारों में उसका नाम नहीं, उसकी हैसियत ही बोली जाती थी—छोटा, कमज़ोर, चुप रहने वाला।

सात साल की उम्र में जहाँ बच्चों की सुबहें खिलौनों और स्कूल की घंटियों से शुरू होती हैं, वहीं छोटू की सुबहें जिम्मेदारियों की आवाज़ से खुलती थीं। सूरज निकलने से पहले ही उसकी आँख खुल जाती—कभी आदत से, कभी डर से। घर में एक अजीब-सी खामोशी होती, जिसे बस उसकी माँ के बर्तनों की खनक तोड़ती थी।

उसकी माँ, सावित्री, हर रोज़ अंधेरे में ही उठ जाती थी। पुराने, फीके पड़े आँचल को ठीक करते हुए वह जल्दी-जल्दी चूल्हा सुलगाती, दो सूखी रोटियाँ सेंकती और एक कप चाय पीकर निकल जाती—दूसरों के घरों में बर्तन माँजने, झाड़ू-पोंछा करने। उसके हाथों की दरारें उसकी उम्र से ज्यादा पुरानी लगती थीं, और चेहरे की थकान उसकी मुस्कान को हर रोज़ थोड़ा और छोटा कर देती थी।

छोटू कई बार आधी नींद में ही उसे जाते हुए देखता, लेकिन आवाज़ नहीं देता। उसे पता था—माँ रुक नहीं सकती।

घर के कोने में उसका पिता पड़ा होता—कभी चारपाई पर, कभी ज़मीन पर। शराब की तीखी गंध कमरे में फैली रहती, जैसे वह भी इस घर का एक स्थायी सदस्य हो। पिता दिन में कम ही बोलते थे, लेकिन रात को उनकी आवाज़ पूरे घर पर हावी हो जाती—कभी गुस्से में, कभी बेसिर-पैर की बड़बड़ाहट में। छोटू ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि कब चुप रहना है, कब कोने में सिमट जाना है, और कब खुद को अदृश्य बना लेना है।

स्कूल उसके लिए एक अलग दुनिया था—थोड़ी हल्की, थोड़ी कम डरावनी। वहीं उसकी मुलाकात आर्यन से हुई थी। आर्यन उसी कक्षा में पढ़ता था, लेकिन उसके कपड़े हमेशा साफ होते, जूते चमकते, और बैग नया लगता। उसके पास रंग-बिरंगी पेंसिलें थीं, अच्छे टिफिन थे, और एक ऐसी बेफिक्री थी, जो छोटू के हिस्से में कभी आई ही नहीं।

दोनों एक ही बेंच पर बैठते, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दूरी थी—जिसे न तो वे समझ पाते थे, न ही पार कर पाते थे।

आर्यन अक्सर उससे पूछता, "तू इतना चुप क्यों रहता है?"

छोटू बस कंधे उचकाकर रह जाता। उसके पास जवाब था, लेकिन वह शब्दों में ढलता नहीं था। उसकी चुप्पी ही उसका सबसे सुरक्षित उत्तर थी।

छोटू हर वक्त डरता था—एक ऐसा डर, जिसका कोई एक कारण नहीं था। उसे डर लगता कि मास्टर जी होमवर्क पूछेंगे और वह पूरा नहीं कर पाएगा। उसे डर लगता कि घर लौटने पर पिता का मूड कैसा होगा। उसे डर लगता कि माँ थककर लौटेगी और फिर भी उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करेगी। और सबसे ज्यादा—उसे डर लगता कि कहीं वह कुछ ऐसा न माँग ले, जो पूरा न हो सके।

आर्यन कभी-कभी अपना टिफिन उसके साथ बाँटता। छोटू पहले मना करता, फिर थोड़ा-सा ले लेता—इतना ही, जितना लेने में उसे अपराधबोध न हो। उसे लगता था कि खुशी भी सीमित मात्रा में ही मिलनी चाहिए, वरना वह भी छिन सकती है।

एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। विषय था—"मेरा भविष्य"। बच्चे उत्साह से अपने-अपने सपने कागज़ पर उतारने लगे। किसी ने डॉक्टर बनाया, किसी ने बड़ा घर, किसी ने हवाई जहाज़।

छोटू काफी देर तक खाली पन्ने को देखता रहा। उसकी उँगलियाँ पेंसिल पकड़े हुए थीं, लेकिन मन जैसे कहीं अटक गया था। बहुत देर बाद उसने धीरे-धीरे एक घर बनाया—छोटा-सा, टेढ़ा-मेढ़ा, जिसकी छत से पानी टपक रहा था। एक कोने में एक आदमी लेटा था, और दरवाज़े पर एक बच्चा खड़ा था—जैसे कहीं जाने की सोच रहा हो, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा हो।

शिक्षक ने चित्र देखा, कुछ क्षण रुके, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। शायद उन्हें समझ नहीं आया, या शायद समझकर भी उन्होंने चुप रहना ठीक समझा।

समय के साथ आर्यन के सपने बड़े होते गए। उसकी किताबें मोटी होती गईं, उसकी दुनिया फैलती गई। छोटू की दुनिया वहीं की वहीं रही—बस उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती गईं। स्कूल के बाद वह एक छोटी दुकान पर बैठने लगा, फिर धीरे-धीरे स्कूल छूट गया।

जब आर्यन ने पूछा, "तू आता क्यों नहीं अब?"

तो छोटू ने सहजता से कहा, "काम है..."

उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी—सिर्फ एक स्वीकार था, जैसे यही होना था।

घर की हालत और खराब होती जा रही थी। पिता की शराब की आदत गहरी होती गई थी। कई रातें ऐसी होतीं जब माँ और छोटू बिना कुछ खाए सो जाते और पिता नशे में चिल्लाते रहते। सावित्री कई बार चुपचाप आँसू पोंछती, फिर अगले दिन उसी ताकत से काम पर निकल जाती—जैसे टूटने का उसे हक ही न हो।

छोटू यह सब देखता रहा—बिना कुछ कहे, बिना कुछ माँगे। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि जिंदगी उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगी, जितने वह झेल नहीं सकता।

साल गुजरते गए। आर्यन शहर चला गया—पढ़ाई, नौकरी, एक नई दुनिया। छोटू उसी मोहल्ले में रह गया। अब वह सात साल का बच्चा नहीं था, लेकिन उसके भीतर का डर बड़ा होकर भी वैसा ही रहा।

एक दिन, कई साल बाद, आर्यन वापस आया। साफ कपड़े, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास। वह उसी चाय की दुकान पर पहुँचा, जहाँ छोटू काम करता था।

"एक चाय देना..." उसने कहा।

आवाज़ सुनकर छोटू ने सिर उठाया। एक पल के लिए दोनों की आँखें मिलीं—जैसे समय ठहर गया हो।

"तू...?"

"हाँ..." छोटू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।

कुछ देर की चुप्पी के बाद आर्यन ने पूछा, "तू आगे क्यों नहीं बढ़ा?"

छोटू ने चाय कप में डालते हुए कहा, "घर था... काम था..."

फिर थोड़ा रुककर बोला— "और डर भी था..."

"डर?"

छोटू ने पहली बार सीधा उसकी ओर देखा — "कि अगर कुछ और सोचूँगा... तो शायद टूट जाऊँगा।"

आर्यन चुप रह गया। उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उस पल उसके पास कोई शब्द नहीं थे।

चाय ठंडी हो रही थी और उनके बीच की दूरी अब भी वैसी ही थी—जैसे कभी थी।

उस दिन के बाद भी छोटू की जिंदगी नहीं बदली। सुबह वही दुकान, शाम वही थकान और रात वही खामोशी। कभी-कभी वह सोचता—क्या कुछ और हो सकता था? लेकिन यह सवाल भी धीरे-धीरे उसके भीतर ही कहीं दब जाता।

क्योंकि उसने कभी उड़ना सीखा ही नहीं था—उसे तो बचपन से ही ज़मीन पर टिके रहना सिखा दिया गया था। और समाज...

वह अब भी वैसा ही था—जहाँ कुछ बच्चों के सपने आसमान तक जाते हैं और कुछ के सपने जन्म लेते ही **डर के आकार** में ढल जाते हैं।

अश्वनी कुमार
वरिष्ठ प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, पटना

वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी : विकसित भारत की त्रिवेणी

आज का भारत केवल आर्थिक विकास की ओर अग्रसर राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है जहाँ प्रत्येक नागरिक आर्थिक रूप से जागरूक, डिजिटल रूप से सक्षम और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। विकास की इस यात्रा में तीन ऐसे स्तंभ हैं, जो एक-दूसरे के पूरक हैं — **वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं में सहज संप्रेषण।**

पहली दृष्टि में ये तीनों विषय अलग-अलग प्रतीत हो सकते हैं। वित्तीय साक्षरता अर्थशास्त्र का विषय लगती है, उपभोक्ता संरक्षण विधि और प्रशासन का, जबकि हिन्दी भाषा और संस्कृति का। किन्तु यदि इन तीनों के मूल उद्देश्य को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि इनका लक्ष्य एक ही है—साधारण नागरिक को सक्षम, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाना।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक तभी सशक्त माना जाता है जब वह अपने अधिकारों को जानता हो, अपने दायित्वों को समझता हो और आर्थिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो। यदि कोई व्यक्ति बैंक में खाता तो खोल ले, पर यह न जानता हो कि नामांकन का क्या महत्व है, डिजिटल भुगतान करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता है या किसी धोखाधड़ी की स्थिति में शिकायत कहाँ करनी है, तो उसका बैंक खाता आर्थिक सुरक्षा का माध्यम कम और जोखिम का कारण अधिक बन सकता है। इसलिए केवल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता पर्याप्त नहीं, उनके सही उपयोग का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। भारत ने पिछले एक दशक में वित्तीय समावेशन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। करोड़ों नए बैंक खाते खुले, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुँची, डिजिटल भुगतान ने लेन-देन की संस्कृति को बदल दिया और मोबाइल बैंकिंग ने बैंक को नागरिक की हथेली तक पहुँचा दिया। परन्तु इन उपलब्धियों के साथ नई चुनौतियाँ भी सामने आईं। साइबर अपराधों में वृद्धि, फर्जी कॉल, ओटीपी धोखाधड़ी, नकली निवेश योजनाएँ और डिजिटल ठगी के नए-नए तरीके यह संकेत देते हैं कि वित्तीय समावेशन के साथ वित्तीय साक्षरता का विस्तार भी अनिवार्य है।

यहीं पर उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। बैंक और ग्राहक का संबंध केवल सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता का नहीं है, यह विश्वास का संबंध है। ग्राहक को यह भरोसा होना चाहिए कि यदि उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार होता है, तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध है। यही विश्वास वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का आधार बनता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या यह सारी जानकारी उस भाषा में उपलब्ध है जिसे आम नागरिक सहजता से समझ सके?

भारत भाषाई विविधता का देश है। यहाँ करोड़ों लोग हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में सोचते, समझते और निर्णय लेते हैं। यदि बैंकिंग संबंधी नियम, चेतावनियाँ, डिजिटल सुरक्षा के निर्देश और उपभोक्ता अधिकार केवल जटिल अँग्रेजी में उपलब्ध हों, तो बड़ी आबादी तक उनका प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। इसलिए हिन्दी केवल राजभाषा या संपर्क भाषा भर नहीं है, वह आर्थिक लोकतंत्रीकरण का एक सशक्त माध्यम भी है।

बहुधा लोग वित्तीय साक्षरता का अर्थ बैंक में खाता खुलवा लेने या एटीएम कार्ड का उपयोग कर लेने तक सीमित समझ लेते हैं। वास्तव में वित्तीय साक्षरता इससे कहीं व्यापक अवधारणा है। वित्तीय साक्षरता का वास्तविक अर्थ है — आय और व्यय का संतुलित प्रबंधन करना, नियमित बचत की आदत विकसित करना, सुरक्षित निवेश के विकल्पों को समझना, ऋण लेने से पहले उसकी शर्तों का मूल्यांकन करना, बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व जानना, डिजिटल भुगतान के दौरान सुरक्षा उपाय अपनाना, धोखाधड़ी की पहचान करना, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को जानना । अतः वित्तीय साक्षरता केवल सूचना नहीं, बल्कि व्यवहारगत दक्षता है।

यदि किसी किसान के खाते में सरकारी अनुदान आता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि बैंक से प्राप्त प्रत्येक संदेश का क्या अर्थ है या वह किसी अजनबी के कहने पर अपना ओटीपी साझा कर देता है, तो उसकी आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दूसरी ओर यदि वही व्यक्ति यह जानता है कि बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं पूछता, तो वह स्वयं को बड़ी वित्तीय हानि से बचा सकता है। यानी एक छोटी-सी जानकारी लाखों रुपये के नुकसान से बचा सकती है। यही वित्तीय साक्षरता का वास्तविक महत्व है।

कुछ दशक पहले बैंक जाना एक औपचारिक प्रक्रिया हुआ करती थी। पासबुक अपडेट कराने के लिए लंबी कतारें लगती थीं। धन अंतरण में कई दिन लग जाते थे। छोटी-सी बैंकिंग सेवा के लिए भी शाखा जाना अनिवार्य होता था। आज परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड,आधार आधारित भुगतान, फास्टैग, डिजिटल वॉलेट और त्वरित भुगतान प्रणालियों

ने बैंकिंग को चौबीसों घंटे उपलब्ध सेवा बना दिया है। अब बैंक केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक डिजिटल व्यवस्था है जो नागरिक के मोबाइल फोन में उपस्थित है। इस परिवर्तन ने सुविधा तो बढ़ाई है, किन्तु इसके साथ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं। अब बैंकिंग की सुरक्षा केवल बैंक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ग्राहक की जागरूकता पर भी निर्भर करती है। इसीलिए आज बैंकिंग का नया सूत्र है—

"डिजिटल सुविधा + वित्तीय जागरूकता = सुरक्षित बैंकिंग"

यदि सुविधा तो हो, पर जागरूकता न हो, तो वही सुविधा जोखिम में बदल सकती है।'

वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल बैंक खाते खोलना नहीं है। यदि किसी महिला का जनधन खाता तो खुल गया, पर वह स्वयं बैंक जाकर लेन-देन करने में संकोच करती है; यदि कोई वृद्ध व्यक्ति एटीएम कार्ड तो रखता है, पर उसका उपयोग नहीं जानता; यदि कोई छात्र शिक्षा ऋण की सुविधा से अनभिज्ञ है—तो ऐसे लोगों को वित्तीय रूप से समाविष्ट नहीं कहा जा सकता। वास्तविक समावेशन तब होगा जब प्रत्येक नागरिक—

- बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सके,
- उन्हें समझ सके,
- उनका सुरक्षित उपयोग कर सके,
- आवश्यकता पड़ने पर शिकायत दर्ज करा सके और
- अपने आर्थिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो।

यही वित्तीय साक्षरता का अंतिम लक्ष्य है।

एक प्रसिद्ध कथन है — "जिस भाषा में व्यक्ति सपने देखता है, उसी भाषा में वह सबसे अच्छे निर्णय भी लेता है।" भारत के करोड़ों नागरिक हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में सोचते हैं। यदि बैंकिंग की चेतावनी, निवेश संबंधी सलाह, डिजिटल सुरक्षा के संदेश, ऋण की शर्तें और उपभोक्ता अधिकार सरल हिन्दी में उपलब्ध हों, तो उनका प्रभाव कहीं अधिक होगा। यही कारण है कि आज अनेक बैंक ग्राहक सेवा, डिजिटल संदेश, वित्तीय जागरूकता अभियान और साइबर सुरक्षा संबंधी परामर्श हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा रहे हैं। यह केवल राजभाषा नीति का पालन नहीं, बल्कि ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग का महत्वपूर्ण आयाम है। जब ग्राहक अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त करता है, तब उसके मन में विश्वास उत्पन्न होता है, भ्रम कम होता है और निर्णय अधिक विवेकपूर्ण होते हैं।

यदि बीसवीं शताब्दी को औद्योगिक विकास की शताब्दी कहा जाए, तो इक्कीसवीं शताब्दी निस्संदेह डिजिटल परिवर्तन की शताब्दी है। भारत में बैंकिंग का स्वरूप पिछले एक दशक में जितनी तीव्र गति से बदला है, उतना परिवर्तन शायद पिछले पाँच दशकों में भी नहीं हुआ था। अब बैंक शाखा केवल सेवा का एक केंद्र भर नहीं रह गई है; ग्राहक का स्मार्टफोन स्वयं उसकी चलती-फिरती बैंक शाखा बन चुका है। आज एक सामान्य नागरिक अपने मोबाइल फोन से खाते का शेष जान सकता है, बिजली का बिल जमा कर सकता है, रेल टिकट बुक कर सकता है, बच्चों की विद्यालय फीस जमा कर सकता है, बीमा प्रीमियम भर सकता है, निवेश कर सकता है और कुछ ही क्षणों में देश के किसी भी हिस्से में धनराशि भेज सकता है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आर्थिक लोकतंत्रीकरण का भी प्रतीक है। किन्तु प्रत्येक सुविधा अपने साथ एक उत्तरदायित्व भी लेकर आती है। डिजिटल बैंकिंग ने समय की बचत तो की है, परंतु इसके साथ साइबर अपराधों के नए-नए रूप भी सामने आए हैं। आज धोखाधड़ी करने वाले अपराधी बैंक की दीवारों को नहीं, बल्कि ग्राहक की असावधानी को निशाना बनाते हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय में बैंकिंग सुरक्षा का सबसे मजबूत पासवर्ड तकनीक नहीं, बल्कि जागरूकता है।

कल्पना कीजिए कि दो व्यक्तियों के पास समान बैंक खाता, समान मोबाइल फोन और समान डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध हैं। दोनों के पास इंटरनेट बैंकिंग भी है और दोनों ही यूपीआई का उपयोग करते हैं। पहला व्यक्ति प्रत्येक अनजान कॉल पर विश्वास कर लेता है। उसे यह जानकारी नहीं कि बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन अथवा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं पूछता। परिणामस्वरूप वह कुछ ही मिनटों में अपनी जीवनभर की बचत से हाथ धो बैठता है। दूसरा व्यक्ति भी वही सुविधाएँ उपयोग करता है, लेकिन वह प्रत्येक लेन-देन से पहले सावधानी बरतता है। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करता, अनजान व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी नहीं देता और

किसी भी समस्या की स्थिति में सीधे बैंक अथवा अधिकृत हेल्पलाइन से संपर्क करता है। दोनों के बीच अंतर केवल एक है—वित्तीय साक्षरता। यही कारण है कि आज वित्तीय शिक्षा को विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बैंकिंग जागरूकता शिविरों तक पहुँचाने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।

अक्सर यह माना जाता है कि वित्तीय साक्षरता बैंक, विद्यालय या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त होती है। यह धारणा आंशिक रूप से सही अवश्य है, किंतु पूर्ण सत्य नहीं। आर्थिक समझ का पहला विद्यालय हमारा परिवार होता है। एक बच्चा जब अपने माता-पिता को आय-व्यय का संतुलन बनाते, आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर करते, नियमित बचत करते या सोच-समझकर खरीदारी करते देखता है, तभी उसके भीतर वित्तीय अनुशासन के बीज पड़ने लगते हैं।

हमारे पारंपरिक भारतीय परिवारों में "बचत" केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन-मूल्य मानी जाती रही है। मिट्टी की गुल्लक, गृहिणियों द्वारा की जाने वाली छोटी-छोटी बचतें, आवश्यकता के अनुसार खर्च करने की आदत और भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने की संस्कृति ने अनेक परिवारों को कठिन परिस्थितियों में भी संभाले रखा। आज समय बदल गया है। गुल्लक की जगह डिजिटल वॉलेट ने ले ली है, नकदी की जगह यूपीआई ने और पासबुक की जगह मोबाइल बैंकिंग ने। किंतु बचत का मूल सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए वित्तीय साक्षरता का पहला पाठ यह होना चाहिए कि "कमाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है समझदारी से खर्च करना और नियमित बचत करना।"

भारत जैसे विशाल और बहुभाषी देश में आर्थिक समावेशन का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब वित्तीय जानकारी लोगों तक उनकी सहज भाषा में पहुँचे। हिन्दी का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वह व्यापक रूप से समझी जाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता रखती है। "सावधि जमा", "आवर्ती जमा", "गृह ऋण", "चक्रवृद्धि ब्याज", "नामांकन", "डिजिटल भुगतान", "साइबर सुरक्षा" जैसे शब्द आज सामान्य जनजीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि बैंकिंग की भाषा न तो अत्यधिक तकनीकी हो और न ही इतनी सरलीकृत कि उसका अर्थ बदल जाए। एक संतुलित, स्पष्ट और व्यावहारिक हिन्दी ही वित्तीय संप्रेषण को प्रभावी बना सकती है। राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग तब और सार्थक हो जाता है, जब वह नागरिक को अपने आर्थिक अधिकारों को समझने और सुरक्षित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करे।

✍राजीव कुमार
सहायक प्रबन्धक
शाखा—महालेखाकर भवन

**मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज़्ज़त करता हूं,
पर मेरे देश में हिन्दी की इज़्ज़त न हो,
ये मैं सह नहीं सकता**

आचार्य विनोबा भावे

यूको राजभाषा मिशन

" राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट श्रेणी
का बैंक बनने हेतु,
बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों को
राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में,
प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना द्वारा
दृढ़तापूर्वक सक्रिय कर एवं
राजभाषा नीति का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर,
नवीनतम प्रौद्योगिकी को राजभाषा से जोड़कर,
बैंकिंग को जन-उन्मुख बनाते हुए
बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना "

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

यूको बैंक
UCO BANK

यूको होम लोन

नए घर की खुशी...
यूको बैंक के साथ।

लोन की ब्याज दर (ROI)
7.10%*
प्रति वर्ष से शुरू

100%
डिजिटल स्वीकृत ऋण पर दस्तावेजीकरण एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट

लोन ईएमआई (EMI)
672/-*
प्रति लाख

Scan to apply

अपना घर अपनी पहचान
यूको होम लोन के साथ

नियम और शर्तें लागू

आसान प्रक्रिया | शीघ्र मंजूरी | विश्वसनीय बैंक

1800 8910 (Toll Free) 8334001234 7666399400 Follow us